

## अध्याय II

आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र  
तथा सा.क्षे.उ.



## अध्याय-II

### 2.1 परिचय

2.1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 48 विभागों के साथ-साथ 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 61 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकारणों आदि) की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है। विभागों और अन्य संस्थाओं का विवरण अनुलग्नक 2.1 में दिया गया है और तालिका-2.1.1 में संक्षेपित किया गया है।

#### तालिका-2.1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों और संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	अन्य संस्थाएं (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	कुल
		की संख्या		
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	1	2	4
4.	बिजली विभाग	4	1	5
5.	पर्यटन विभाग	1	1	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति और भाषा	-	8	8
9.	व्यापार एवं कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य उत्पाद शुल्क और व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1	1	2
12.	योजना विभाग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	विधि, न्याय और विधायी मामले विभाग	-	1	1
16.	रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	-
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय	-	-	-
19.	राजस्व विभाग	-	-	-
20.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	-	-	-
21.	विधान सभा सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासनिक विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उपराज्यपाल का सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-

27.	सूचना एवं प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि एवं भवन विभाग	-	-	-
29.	उद्योग विभाग	5	-	1
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	14	14
32.	समाज कल्याण	-	-	-
33.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	2	2
34.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1	-	1
35.	शिक्षा	-	3	3
36.	उच्च शिक्षा	-	15	15
37.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	-	6	6
38.	सेवा विभाग	1	-	1
39.	श्रम विभाग	-	2	2
40.	रोजगार निदेशालय	-	-	-
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	1	-	1
42.	विकास विभाग	-	1	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-
44.	वजन एवं माप निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	-	-	-
46.	वन एवं वन्य जीव विभाग	-	-	-
47.	पर्यावरण विभाग	-	2	2
48.	परिवहन विभाग	2	2	4
<b>कुल</b>		<b>18</b>	<b>61</b>	<b>79</b>

## लेखापरीक्षा कवरेज

**2.1.2** वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के अंतर्गत कुल 769 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 105 इकाइयों (13.65 प्रतिशत) का अनुपालन लेखापरीक्षा किया। प्रतिवेदन के इस अध्याय में तीन पीए/एसएससीए और सात विभागों से संबंधित सात अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ के परिणाम शामिल हैं।

## लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

**2.1.3** लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उनके विचार जानने के लिए चार चरणों का अवसर प्रदान करती है, यथा

**लेखापरीक्षा ज्ञापन:** क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने के लिए जारी किया जाता है।

**निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर):** लेखापरीक्षा पूरी होने के एक महीने के भीतर जारी किया जाता है जिसका उत्तर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर देना होता है।

**ड्राफ्ट पैराग्राफ:** विभागाध्यक्षों को जारी किया जाता है जिनके अंतर्गत लेखापरीक्षित इकाइयाँ सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने से पहले विचार के लिए छह सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय विचार प्रस्तुत करने के लिए कार्य करती हैं।

**निर्गम सम्मेलन:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पहले विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सरकारी/विभागीय विचार प्रदान करने के लिए अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागाध्यक्षों/राज्य सरकार को स्पष्टीकरण/उत्तर देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल तब जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या संतोषजनक नहीं होते हैं, तत्पश्चात लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी मामला हो, में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है। तथापि, अधिकांश मामलों में, लेखापरीक्षित संस्थाएँ समय पर और संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

• **निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति**

मार्च 2022 तक 32 विभागों से संबंधित 499 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी आईआर की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2022 तक 2475 आईआर में शामिल 11928 पैराग्राफ ठोस उत्तरों के अभाव में निपटान के लिए बकाया थे।

बकाया आईआर की स्थिति तालिका-2.1.2 में दी गई है।

**तालिका-2.1.2: 31 मार्च 2022 तक बकाया आईआर और पैराग्राफ  
(31 मार्च 2022 तक जारी)**

क्र.सं.	अवधि	बकाया आईआर की संख्या (प्रतिशत)	बकाया पैरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2021-22	90 (3.64)	860 (7.21)
2	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	378 (15.27)	2753 (23.08)
3	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	496 (20.04)	2999 (25.14)
4	5 वर्ष अधिक	1511 (61.05)	5316 (44.57)
<b>कुल</b>		<b>2475</b>	<b>11928</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

2021-22 की अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा समिति<sup>1</sup> की कोई बैठक विभागीय अधिकारियों के साथ बकाया पैरा के निस्तारण हेतु आयोजित नहीं की गई।

- वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के लिए उत्तरों की स्थिति

2021-22 के लिए वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, तीन निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए)/एसएससीए और सात अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उनके विचार जानने के लिए भेज दिए गए थे। तीन पीए/एसएससीए के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में सरकार के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो गई हैं। सात अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में सरकार का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

### पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

#### 2.1.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के बकाया उत्तर

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निपटाए गए मुद्दों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक विभागों को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि इन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए लिया गया है या नहीं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफ और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कार्रवाई नोट (एटीएन) पर स्वतः संज्ञान जारी करना है। इन एटीएन को दिल्ली की विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत जांच कर पीएसी को प्रस्तुत किया जाना है। प्राप्त नहीं हुए एटीएन की स्थिति तालिका-2.1.3 में दी गई है।

<sup>1</sup> लेखापरीक्षा समितियों का गठन प्रशासनिक विभाग लेखापरीक्षा के एक प्रतिनिधि तथा वित्त विभाग के एक नामित व्यक्ति के अलावा लेखापरीक्षा इकाई के विभागध्यक्ष को शामिल करके किया जाता है जिसका उद्देश्य अनुपालन की निगरानी करना तथा लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निपटान सुनिश्चित करना है।

तालिका 2.1.3: 31.03.2023 तक एटीएन प्राप्त नहीं हुए

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू/गैर-पीएसयू)	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ (सीएपी)		पीए/सीएपी पैराग्राफों की संख्या जिनके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		पीए	सीए	पीए	सीए
<b>क. सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)</b>					
2018	05.07.2022	01	03	01	07
2019	05.07.2022	0	10	0	07
<b>कुल</b>		<b>01</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>14</b>
<b>ख. पीएसयू</b>					
2015	13.06.2016	01	06	01	0
2018	03.12.2019	01	02	01	0
2019	05.07.2022	0	04	0	03
<b>कुल</b>		<b>02</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
<b>कुल योग (ए+बी)</b>		<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>17</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

• **लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा**

वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान, विभागों/स्वायत्त निकायों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 13 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट किए गए थे। पीएसी ने 31 मार्च 2023 तक इनमें से किसी भी पीए/सीए पर चर्चा नहीं की।

• **सरकारी उपक्रम समिति (सीओजीयू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 12 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ रिपोर्ट किए गए थे। इनमें से, सीओजीयू ने दो निष्पादन लेखापरीक्षा और पांच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों को चर्चा के लिए लिया था। 31 मार्च 2023 तक सीओजीयू चर्चा की स्थिति तालिका 2.1.4 में विस्तृत रूप से दी गई है।

तालिका 2.1.4: रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा में सीओजीयू चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए पीएसयू से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पीए/टीए/सीए
कुल लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	14 (2 पीए + 12 टीए)
लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सीओजीयू द्वारा लिए गए	7(2पीए + 5 टीए)
सीओजीयू द्वारा की गई सिफारिश	शून्य
प्राप्त एटीएन	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

## राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति

2.1.5 आठ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन<sup>2</sup> थे जिन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बाकी है (सितंबर 2024)।

## राज्य विधानमंडल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे रखे जाने की स्थिति

2.1.6 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को खाते प्रस्तुत करने और स्वायत्त निकायों द्वारा दिल्ली विधान सभा को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) प्रस्तुत करने की स्थिति तालिका-2.1.5 में दर्शाई गई है।

### तालिका 2.1.5: 31 मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए गए लेखाओं का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की लेखापरीक्षा का कार्य सीएजी को सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखे प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखे की प्रस्तुति में देरी की अवधि (31 मार्च 2022 तक)
1.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार सौंपा गया माना गया	2020-21	-	-
2.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान	2017-18 से 2021-22 सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार	2019-20	2020-21	एक वर्ष
3.	दिल्ली जल बोर्ड	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार	2017-18	2018-19 से 2020-21	तीन वर्ष
4.	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार	2016-17	2017-18 से 2020-21	चार वर्ष
5.	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	2018-19 से 2022-23 के सीएजी के डीपीसी अधिनियम 2018-19 से 2022-23 की धारा 20(1) के अनुसार	2020-21	-	-

<sup>2</sup> (1) राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2020-21 (2022 की संख्या 1), (2) राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और पीएसयू 2019-20 और 2020-21 (2022 की संख्या 3), (3) दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर पीए (2022 की संख्या 2), (4) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर पीए (2023 का नंबर 1), (5) राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2021-22 (2023 की संख्या 2), (6) दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर पीए (2024 की संख्या 1), (7) राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2022-23 (2024 की संख्या 2), और (8) सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर पीए (2024 की संख्या 3)।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की लेखापरीक्षा का कार्य सीएजी को सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखे प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखे की प्रस्तुति में देरी की अवधि (31 मार्च 2022 तक)
6.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार सौंपा गया माना गया	2020-21	-	-
7.	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार	2020-21	-	-
8.	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार	2018-19	2019-20 से 2020-21	दो वर्ष
9	दिल्ली परिवहन निगम ईपीएफ ट्रस्ट	सीएजी के डीपीसी अधिनियम 2020-21 से 2024-25 की धारा 20(1) के अनुसार	2019-20	2020-21	एक वर्ष
10	दिल्ली वित्त निगम	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार	2020-21	-	-
11	दिल्ली परिवहन निगम	सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार	2019-20	2020-21	एक वर्ष
12	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	2017-18 से 2020-21 के सीएजी के डीपीसी अधिनियम 2010-11 से 2014-15 की धारा 20(1) के अनुसार	2019-20	2020-21	एक वर्ष
13	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2013-14 से 2017-18 के सीएजी के डीपीसी अधिनियम 2013-14 से 2017-18 की धारा 20(1) के अनुसार	2017-18	2018-19 से 2020-21	तीन वर्ष
14	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	2010-11 से 2014-15 के सीएजी के डीपीसी अधिनियम 2010-11 से 2014-15 की धारा 19(3) के अनुसार	अभी तक प्राप्त नहीं	2010-11 से 2014-15	पाँच वर्ष

### लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

2.1.7 राज्य सरकार के विभागों के खातों की परीक्षण लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागों के आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को पुष्टि के लिए और सूचना के अंतर्गत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

2021-22 के दौरान संबंधित डीडीओ ने 70 मामलों में दिखाए गए ₹ 462.40 करोड़ की वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति 26 मामलों में ₹ 4.52 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की थी।

### 2.1.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत न करना, राज्य संस्थाओं के वार्षिक खातों की तैयारी में बकाया और राज्य विधानमंडल में एसएआर के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/खातों को न रखना, सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए चिंता का कारण है।

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

### 2.2 सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

वर्ष 2016-23 के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कि लिए पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत आवंटित राशि का उपयोग करने के लिए अपनी गतिविधियों की योजना बनाने में विफल रहा क्योंकि यह ₹ 35.16 करोड़ के बजट के मुकाबले केवल ₹ 9.78 करोड़ (28 प्रतिशत) ही खर्च कर सका।

इसी तरह 2018-23 के दौरान आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी) परियोजना में कुल बचत 31.44 प्रतिशत (2022-23) से 86.36 प्रतिशत (2018-19) के बीच रही जो योजना और कार्यान्वयन में कमी को इंगित करती है। 31 मार्च 2017 तक विभाग 1000 एएएमसी के लक्ष्य के प्रति, केवल 523 एएएमसी (31 मार्च, 2023) ही स्थापित कर सका, जिसमें शाम की पाली की 31 एएएमसी भी शामिल हैं। 31 मार्च 2020 के बाद केवल 38 एएएमसी स्थापित किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित चार जिलों<sup>3</sup> में 218 में से 41 एएएमसी डॉक्टरों के पैनल से बाहर होने, इस्तीफा देने, छुट्टी आदि के कारण 15 दिनों से लेकर 23 महीने तक की अवधि के लिए बंद रहे। एएएमसी में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों और उपस्कर जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्स-रे व्यूअर, थर्मामीटर, बीपी उपकरण आदि की कमी पाई गई। निरीक्षण किए गए 74 एएएमसी में आवश्यक दवा सूची में निर्धारित 165 दवाईयों की शतप्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान एएएमसी में आने वाले 70 प्रतिशत मरीजों को डॉक्टर से एक मिनट से भी कम परामर्श का समय मिला। निरीक्षणों में भारी कमी थी जैसाकि मार्च 2018 से मार्च 2023 के दौरान चार चयनित जिलों में केवल दो प्रतिशत एएएमसी का ही निरीक्षण किया गया।

<sup>3</sup> उत्तर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम

मोबाइल स्वास्थ्य योजना<sup>4</sup> (एमएचएस) और स्कूल स्वास्थ्य योजना<sup>5</sup> में डॉक्टरों, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (पीएचएनओ)/सहायक नर्स मिड-वाइफ (एएनएम) और फार्मासिस्टों की कमी थी। एमएचएस में 100 ईडीएल में से 76 दवाइयों केंद्रीय भंडार में उपलब्ध नहीं थीं। स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 2016-20 के दौरान 17 लाख (लगभग) स्कूली बच्चों में से केवल 2.81 लाख से 3.51 लाख स्कूली बच्चों को ही कवर किया गया।

विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में ओपीडी भार को कम करने के लिए मौजूदा डिस्पेंसरियों को सेकेंडरी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में उन्नत करके पॉलीक्लिनिक स्थापित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि वर्ष 2018-19 के अंत तक 150 पॉलीक्लिनिक की योजना में से केवल 28 पॉलीक्लिनिक ही क्रियाशील थे। एलोपैथिक डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों (23 प्रतिशत), नर्सिंग स्टाफ (16 प्रतिशत) तथा पैरामेडिकल (37 प्रतिशत) की भी कमी थी (मार्च 2023)।

सभी चयनित दवा दुकानों में दवा भंडारण के लिए जगह का अभाव था। दवाइयों के डिब्बे फर्श/शौचालय परिसर और सीढ़ियों पर रखे हुए थे। एएएमसी और डिस्पेंसरियों के लिए ईडीएल में निर्धारित कई दवाएं 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं थीं।

डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण 67 प्रतिशत आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों, 72 प्रतिशत यूनानी डिस्पेंसरियों और 14 प्रतिशत होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों ने सप्ताह में सभी छः दिन काम नहीं किया। आयुष डिस्पेंसरियों में जगह, रैंप/लिफ्ट, प्रतीक्षा क्षेत्र, कार्यात्मक शौचालय, पेयजल आदि की कमी थी। ओपीडी मरीजों की संख्या 2016-17 में 34.72 लाख से 19 प्रतिशत घटकर 2022-23 में 28.13 लाख हो गई। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चयनित 27 डिस्पेंसरियों में औसतन 42 प्रतिशत आयुर्वेद औषधियाँ और 56 प्रतिशत यूनानी औषधियाँ उपलब्ध नहीं थीं।

दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया है और इसलिए यह डिस्पेंसरियों को आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में उन्नत करने

<sup>4</sup> एमएचएस असेवित क्षेत्रों, रात्रि आश्रयों, कल्याण गृहों, विशेष आयोजनों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करता है।

<sup>5</sup> स्कूल स्वास्थ्य योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के स्कूली बच्चों की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग प्रदान करती है।

के लिए निधियों का लाभ नहीं उठा सकी। रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने डिस्पेंसरियों में योग प्रशिक्षक का पद सृजित नहीं किया है और कोई भी आयुष डिस्पेंसरी योग और प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं कर रही थी।

### 2.2.1 परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में चार स्तरीय प्रणाली आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पुनर्गठित किया (जुलाई 2015)। पुनर्गठित प्रणाली के अंतर्गत, मौजूदा डिस्पेंसरियों<sup>6</sup> को पॉलीक्लिनिक्स में परिवर्तित किया जाना था।

आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी) का उद्देश्य नागरिकों की प्राथमिक देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना था। इन क्लिनिकों का उद्देश्य नागरिकों की सामान्य स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पता लगाने, नैदानिक परीक्षण करने और सभी आवश्यक दवाइयाँ प्रदान कराना था। एएएमसी में एकल डॉक्टर ओपीडी का उद्देश्य अधिकांश सामान्य स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्यों को संबोधित करना था, जहां विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं थी।

पॉलीक्लिनिक्स की संकल्पना सेकेंडरी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में की गई थी जो विशेषज्ञ डॉक्टरों (प्रवेश सुविधाओं के बिना) के साथ नैदानिक परीक्षण सुविधाओं की सुविधा प्रदान करते थे। इन क्लिनिकों का उद्देश्य दिल्ली सरकार के अस्पतालों के ओपीडी भार को कम करना था।

सरकार द्वारा चलायी जा रही तीन प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सारांश इस प्रकार है:

<sup>6</sup> डिस्पेंसरी निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं (क) सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए सामान्य ओपीडी, (ख) निर्धारित आवश्यक दवाओं का मुफ्त वितरण, (ग) मामूली चोटों और ड्रेसिंग आदि का उपचार (घ) काम के घंटों के दौरान बुनियादी आपातकालीन देखभाल, (ङ) प्रयोगशाला सेवाएं (नियमित प्रयोगशाला सेवाएं), (च) टीकाकरण और परिवार कल्याण गतिविधियां, (छ) स्वास्थ्य शिक्षा और मलेरिया क्लिनिक (केवल चयनित डिस्पेंसरियों में)।

एएएमसी	डिस्पेंसरियों	पालीक्लिनिक
आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी) एकल डॉक्टर सामान्य ओपीडी प्रदान करता है और इसका लक्ष्य 10000-15000 की आबादी को सेवा प्रदान करना है। एएएमसी आउटसोर्स स्टाफ और आउटसोर्स लैब सेवा का उपयोग करके कार्य कर रहे हैं।	डिस्पेंसरियों एकल डॉक्टर सामान्य ओपीडी प्रदान करती है और इसका लक्ष्य 30000-50000 आबादी को सेवा प्रदान करना है। डिस्पेंसरियों नियमित कर्मचारियों का उपयोग करके कार्य कर रही हैं।	पालीक्लिनिक को विशेषज्ञ डॉक्टरों (प्रवेश सुविधाओं के बिना) के साथ सेकेंडरी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है। इन क्लीनिकों का उद्देश्य दिल्ली सरकार के अस्पतालों के ओपीडी भार को कम करना था।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के वार्षिक प्रतिवेदन (2021-22), के अनुसार 167 एलोपैथिक डिस्पेंसरियों, 28 पॉलीक्लिनिक, 58 प्रारंभिक प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 49 डिस्पेंसरियों (आयुर्वेदिक), 523 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 22 डिस्पेंसरियों (यूनानी), 108 डिस्पेंसरियों (होम्योपैथिक), आठ मोबाइल हेल्थ क्लिनिक और 50 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक हैं।

तीसरे और चौथे स्तर में इनडोर प्रवेश के प्रावधान के साथ मल्टी-स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं प्रदान करने वाले अस्पताल शामिल थे।

### 2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण में दवाइयों की विभिन्न प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की पर्याप्त रूप से योजना बनाई गई थी और उन्हें प्रभावी ढंग से तथा कुशलता से क्रियान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता करना था कि सरकार सुनिश्चित करने में कितना सक्षम है;

1. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तपोषण की पर्याप्तता;
2. स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और प्रबंधन;
3. दवाइयों, औषधियों, उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता;
4. सभी स्तरों पर आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता जैसे डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिक्स आदि;

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियामक तंत्रों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं/चिकित्सकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं;
6. आपातकाल की तैयारी एवं प्रबंधन।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया गया:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017;
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश/निर्देश;
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) तथा आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) निदेशालय द्वारा जारी निर्णय/आदेश;
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945;
- बजट भाषण, परिणामी बजट, और सरकार/विभागों/इकाइयों के वार्षिक प्रतिवेदन;
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2016;
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2014 और अस्पताल सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016।

### 2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, रा.रा.क्षे.दि.स. की केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए), एएएमसी के राज्य नोडल अधिकारी (एसएनए) के कार्यालय और आयुष निदेशालय के अभिलेख की 2016-17 से 2021-22 की अवधि की जांच की गई। चार सीडीएमओ<sup>7</sup> कार्यालय - उत्तर पूर्व, दक्षिण,

<sup>7</sup> मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में डीजीएचएस के तहत 11 जिला कार्यालय हैं।

दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम, 87 डिस्पेंसरियों (38 एलोपैथिक और 49 आयुष डिस्पेंसरियों) और 81 एएएमसी का चयन किया गया।

विभाग के साथ एक प्रविष्टि सम्मेलन आयोजित किया गया (13 दिसंबर 2022) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के समापन के बाद, 9 अगस्त 2023 को हितधारकों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एक निर्गम सम्मेलन भी आयोजित किया गया। विभाग के उत्तर, जहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, उन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

### 2.2.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डीजीएचएस अपने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है जैसे (i) आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी), (ii) मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक, (iii) स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक और (iv) डिस्पेंसरियां और पॉलीक्लिनिक।

डीजीएचएस अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से जिनका नेतृत्व अपर निदेशकों/वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों के स्तर के अधिकारी करते हैं, दिल्ली सरकार के स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग को नीतिगत इनपुट प्रदान करने के अतिरिक्त विशेष क्षेत्रों में तकनीकी और कार्यकारी कार्य करता है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों/योजनाओं के कामकाज/कार्यान्वयन पर निष्कर्ष शामिल हैं।

#### 2.2.5.1 वित्तीय प्रबंधन

उचित वित्तीय प्रबंधन में आवश्यकताओं के यथार्थवादी मूल्यांकन के आधार पर बजट बनाना और उपलब्ध निधियों का प्रभावी उपयोग शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन गतिविधियों को निधि की कमी के कारण हानि न हो।

(i) राजस्व और पूंजीगत व्यय

2016-17 से 2022-23 के दौरान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 13,114.10 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से ₹ 13,078.94 करोड़ (99.73 प्रतिशत) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत थे और ₹ 35.16 करोड़ (0.27 प्रतिशत) पूंजीगत शीर्ष के लिए थे।

डीजीएचएस कुल आवंटित बजट का ₹ 11241.08 करोड़ (85.72 प्रतिशत) का उपयोग कर सका। राजस्व शीर्ष के अंतर्गत आवंटित बजट से ₹ 11231.30 करोड़ (85.87 प्रतिशत) तथा पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 9.78 करोड़ (27.82 प्रतिशत) का व्यय किया गया। वर्षवार विवरण तालिका 2.2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.1: डीजीएचएस का आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूंजीगत			कुल बजट	कुल व्यय
	बजट	व्यय	प्रतिशत में	बजट	व्यय	प्रतिशत में		
2016-17	20.68	14.81	71.62	22.00	0.34	1.54	42.68	15.15
2017-18	1275.87	1130.66	88.62	0	0	-	1275.87	1130.66
2018-19	1556.07	1506.56	96.81	0	0	-	1556.07	1506.56
2019-20	1512.04	1475.34	97.57	12.00	8.58	71.50	1524.04	1483.92
2020-21	2434.19	1974.64	81.12	1.15	0.86	74.78	2435.34	1975.50
2021-22	3867.18	3250.85	84.06	0	0	-	3867.18	3250.85
2022-23	2412.91	1878.44	77.84	0.01	0	0.00	2412.92	1878.44
कुल	13078.94	11231.30	85.87	35.16	9.78	27.81	13114.10	11241.08

स्रोत: डीजीएचएस द्वारा प्रस्तुत उत्तर

विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए आवंटित राशि का उपयोग करने के लिए अपनी गतिविधियों की योजना बनाने में विफल रहा क्योंकि यह पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 35.16 करोड़ के बजट के प्रति केवल ₹ 9.78 करोड़ (28 प्रतिशत) ही खर्च कर सका।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि विभाग द्वारा अवास्तविक बजट तैयार किया गया था। सरकार ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की (अक्टूबर 2023)।

(ii) एएएमसी को जारी की गई निधि की भारी बचत

एएएमसी परियोजना के लिए निधि दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन को तीन उप-शीर्षों अर्थात् 'सामान्य', 'पूंजीगत' और 'वेतन' के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। उपशीर्ष 'सामान्य' में प्रयोगशाला शुल्क, किराया,

बिजली, कार्यालय आकस्मिकता आदि से संबंधित व्यय शामिल हैं। उपशीर्ष 'वेतन' में डॉक्टरों, मोहल्ला क्लिनिक परिचारक, मल्टीटास्क कार्यकर्ता और फार्मासिस्ट के पारिश्रमिक से संबंधित व्यय शामिल हैं। उपशीर्ष 'पूँजीगत' में उपकरण से संबंधित व्यय शामिल है।

2018-23 के दौरान एएएमसी पर आवंटन और व्यय की स्थिति तालिका-2.2.2 में दी गई है।

### तालिका-2.2.2: एएएमसी परियोजना का आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट शीर्ष 2210 01 110 20 एएएमसी के लिए डीजीएचएस को सहायता अनुदान	प्रारंभिक शेष	जारी करना	ब्याज	कुल	व्यय	वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष/ अव्ययित शेष	बचत (प्रतिशत)
2018-19	सहायता अनुदान सामान्य	0	32.50	0.86	33.36	1.00	32.36	97.00
	पूँजीगत संपत्तियों के लिए सहायता अनुदान	0	20.00	0.00	20.00	0.03	19.97	99.86
	वेतन के लिए सहायता अनुदान	0	40.50	0.00	40.50	11.77	28.73	70.92
	<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>93.00</b>	<b>0.86</b>	<b>93.86</b>	<b>12.80</b>	<b>81.06</b>	<b>86.36</b>
2019-20	सहायता अनुदान सामान्य	32.36	40.00	0.10	72.46	32.57	39.90	55.05
	पूँजीगत संपत्तियों के लिए सहायता अनुदान	19.97	0	0.00	19.97	0.14	19.83	99.27
	वेतन के लिए सहायता अनुदान	28.73	60.00	2.19	90.91	51.61	39.30	43.22
	<b>कुल</b>	<b>81.06</b>	<b>100.00</b>	<b>2.29</b>	<b>183.35</b>	<b>84.32</b>	<b>99.02</b>	<b>54.00</b>
2020-21	सहायता अनुदान सामान्य	39.9	15.75	0.20	55.85	30.47	25.38	45.44
	पूँजीगत संपत्तियों के लिए सहायता अनुदान	19.83	1.50	0.00	21.33	0.57	20.76	97.33
	वेतन के लिए सहायता अनुदान	39.3	108.00	1.63	148.93	118.44	30.49	20.47
	<b>कुल</b>	<b>99.02</b>	<b>125.25</b>	<b>1.83</b>	<b>226.11</b>	<b>149.47</b>	<b>76.63</b>	<b>33.89</b>
2021-22	सहायता अनुदान सामान्य (20 00 31)	25.38	49.62	0.29	75.29	33.31	41.98	55.75
	पूँजीगत संपत्तियों के लिए सहायता अनुदान (2000 35)	20.76	6.25	0.00	27.01	1.63	25.38	93.96
	वेतन के लिए सहायता अनुदान (20 00 36)	30.49	134.51	3.17	168.17	132.17	36.00	21.40
	<b>कुल</b>	<b>76.63</b>	<b>190.38</b>	<b>3.46</b>	<b>270.47</b>	<b>167.10</b>	<b>103.36</b>	<b>38.21</b>
2022-23	सहायता अनुदान सामान्य (20 00 31)	41.98	45.02	0.35	87.35	59.04	28.31	32.41
	पूँजीगत संपत्तियों के लिए सहायता अनुदान (2000 35)	25.38	6.25	0.00	31.63	3.14	28.49	90.07
	वेतन के लिए सहायता अनुदान (20 00 36)	36	143.00	3.52	182.52	144.52	38.00	20.81
	<b>कुल</b>	<b>103.36</b>	<b>194.27</b>	<b>3.86</b>	<b>301.49</b>	<b>206.69</b>	<b>94.80</b>	<b>31.44</b>

तालिका-2.2.2 से यह देखा जा सकता है कि 2018-23 के दौरान तीनों शीर्षों में बचत हुई। कुल बचत 31.44 प्रतिशत (2022-23) से 86.36 प्रतिशत

(2018-19) तक थी जो इंगित करता है कि परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में कमी थी।

राज्य नोडल अधिकारी, एएएमसी ने कहा (मई 2023) कि 1000 एएएमसी खोलने के आदेश के अनुसार एएएमसी स्थापित करने के लिए बजट प्रावधान रखे गए थे, तथापि, व्यय वास्तविक एएएमसी के लिए किया गया था। चालू आवश्यक व्यय जैसे पारिश्रमिक, बिजली, पानी, किराया के लिए प्रतिबद्ध व्यय को आमतौर पर सहायता अनुदान की पहली किस्त जारी होने से पहले पिछले वर्ष की अव्ययित निधि से आरक्षित रखा जाता है। आगे, यह कहा गया (अगस्त 2023) कि कुछ प्रशासनिक कारणों से एएएमसी कर्मचारियों/प्रयोगशाला सेवाओं को भुगतान जारी न होने के कारण बचत हुई थी और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बचत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट अनुमान उस वर्ष की अनुमानित आवश्यकता पर आधारित होगा। उत्तर सिद्ध करता है कि बजट अनुमान प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी।

#### 2.2.5.2 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी) की कार्यप्रणाली

रा.रा.क्षे.दि.स. ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी) स्थापित करने का निर्णय लिया (नवंबर 2015)। इसका उद्देश्य रा.रा.क्षे.दि.स. की एक डिस्पेंसरी द्वारा सेवित 30000-50000 की आबादी के बजाय प्रत्येक 10000-15000 की आबादी के लिए कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र प्रदान करना था। एएएमसी का प्रबंधन राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) और प्रत्येक जिले में जिला नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाता है ताकि एएएमसी के कार्यों की निगरानी की जा सके।

एएएमसी नियंत्रण कक्ष डीजीएचएस के अंतर्गत एएएमसी परियोजना कार्य को कार्यान्वित कर रहा है। जिला स्तर पर सीडीएमओ द्वारा वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टरों को एएएमसी में तैनात किया जाता है। अन्य स्टाफ अर्थात् फार्मासिस्ट, मोहल्ला क्लिनिक परिचारक और मल्टीटास्क कार्यकर्ताओं का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टरों को प्रति मरीज ₹ 40, फार्मासिस्टों को ₹ 12, मोहल्ला क्लिनिक सहायकों को ₹ 10 और मल्टीटास्किंग

कर्मचारियों को ₹ 8 पारिश्रमिक प्रति दिन 75 मरीजों के अनुरूप न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान के साथ निर्धारित किया गया है।

**(i) सात वर्ष बीत जाने के बावजूद 1000 एएएमसी का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया**

रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी) स्थापित करने का निर्णय लिया (नवंबर 2015)। एएएमसी को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा ₹ 209.59 करोड़ की लागत से अर्ध-स्थायी संरचनाओं (पोर्टा-केबिन) में स्थापित किया जाना था। वर्ष 2015-16 में 500 एएएमसी स्थापित करने की आवश्यकता थी।

एएएमसी की स्थापना की प्रक्रिया में सरकारी भूमि/निजी स्थलों की पहचान, सभी हितधारकों द्वारा स्थल निरीक्षण और व्यवहार्यता मूल्यांकन, सरकारी भूमि/निजी भूमि/भवन के मामले में पोर्टा केबिन की स्थापना शामिल थी। इच्छुक मालिकों की सूची प्राप्त होने के बाद स्थल का व्यवहार्यता मूल्यांकन संबंधित सीडीएमओ कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।

31 मार्च 2017 तक विभाग 1000 एएएमसी के लक्ष्य के प्रति केवल 523 एएएमसी स्थापित कर सका (31 मार्च, 2023), जिसमें शाम की पाली के 31 एएएमसी भी शामिल थे।

एएएमसी की जिलेवार उपलब्धता तालिका-2.2.3 में दी गई है।

**तालिका-2.2.3: एएएमसी की जिले-वार उपलब्धता**

क्र.सं.	ज़िला	एएएमसी			
		पोर्टा केबिन	किराये का	अन्य <sup>8</sup>	कुल
1	केंद्रीय	27	9	6	42
2	पूर्व	26	5	1	32
3	नई दिल्ली	12	3	2	17
4	उत्तर	33	11	0	44
5	उत्तर पूर्व	7	23	0	30
6	उत्तर पश्चिम	50	24	4	78
7	शाहदरा	36	20	0	56
8	दक्षिण	35	10	0	45
9	दक्षिण पूर्व	37	14	0	51
10	दक्षिण पश्चिम	37	33	0	70
11	पश्चिम	39	18	1	58
<b>कुल</b>		<b>339</b>	<b>170</b>	<b>14</b>	<b>523</b>


<sup>8</sup> बस्ती विकास केंद्र, सरकारी भवन, डीयूएसआईबी, किराया मुक्त, कंटेनर

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 170 एएएमसी किराए के भवनों में कार्यरत हैं। स्थापना के बाद से मासिक किराये का विवरण और किराए के रूप में व्यय की गई कुल राशि विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि 31 मार्च 2020 के बाद, अगले तीन वर्षों में केवल 38 एएएमसी स्थापित किए गए।

2017-23 की अवधि के दौरान एएएमसी और ओपीडी विजिट की संख्या चार्ट-2.2.1 में दी गई है।

चार्ट-2.2.1: ओपीडी विजिट की तुलना में एएएमसी की स्थापना की प्रवृत्ति



उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 से ओपीडी विजिट में 100 प्रतिशत (2022-23) से अधिक की वृद्धि के बावजूद, उक्त अवधि के दौरान एएएमसी में वृद्धि केवल आठ प्रतिशत थी।

विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि भूमि स्वामित्व एजेंसियों से एनओसी प्राप्त करने में देरी के कारण 1000 एएएमसी का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और कोविड-19 महामारी एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण अधिक एएएमसी खोलने की प्रक्रिया धीमी हो गई तथा शेष एएएमसी खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पिछले चार वर्षों के दौरान स्थापित एएएमसी की संख्या महत्वपूर्ण नहीं थी जो विभाग/डीजीएचएस की ओर से प्रयास की कमी को इंगित करता है।

**सिफारिश: सरकार को समयबद्ध तरीके से प्रति 10000-15000 जनसंख्या पर एक एएएमसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उचित संरचित योजना तैयार करने की आवश्यकता है।**

**(ii) एएएमसी में मानव संसाधन**

डीजीएचएस, रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेश (16 मई 2018) के अनुसार, एएएमसी का प्रशासनिक नियंत्रण डीजीएचएस के पास है और एएएमसी परियोजना का कार्यान्वयन दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम) के अंतर्गत राज्य एएएमसी सेल के पास है। राज्य एएएमसी सेल के स्टॉफ का विवरण अस्पतालों/पीडब्ल्यूडी से लिया गया है। कार्यालय राज्य नोडल अधिकारी/राज्य परियोजना अधिकारी का कोई स्वीकृत पद नहीं है।

डॉक्टरों का पैनल जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में गठित 11 राज्य स्तरीय समितियों (सीडीएमओ अध्यक्ष हैं) द्वारा किया जाता है। ये राज्य स्तरीय समितियां सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करती हैं। फार्मासिस्टों, मोहल्ला क्लिनिक सहायक (एमसीए) और मल्टी टास्क कार्यकर्ताओं (एमटीडब्ल्यू) का पैनल 2019 के दौरान मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली द्वारा और बाद में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से किया गया।

पैनल में शामिल डॉक्टरों, एमसीए, फार्मासिस्टों और एमटीडब्ल्यू की स्थिति तालिका-2.2.4 में दी गई है।

**तालिका-2.2.4: कुल एएएमसी बनाम पैनल में शामिल स्टॉफ (31 मार्च 2023)**

वर्ग	मांग	पैनलबद्ध
डॉक्टर	523	506
एमसीए	523	498
फार्मासिस्ट	523	515
एमटीडब्ल्यू	523	505

डीजीएचएस के आदेश (20 दिसंबर 2019) के अनुसार, सीडीएमओ को यह सुनिश्चित करना था कि डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण कोई भी एएएमसी बंद नहीं रहेगा तथा दुर्लभ मामले में जहां डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण एएएमसी बंद रहता है, किसी अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, भले ही उस दिन वे उपस्थित हों।

**तालिका 2.2.4** में आँकड़े इंगित करता है कि 17 एएएमसी ने डॉक्टरों की कमी के कारण काम नहीं किया (31 मार्च 2023)।

आगे, मंत्रिमंडल नोट संख्या 2244 में अनुमोदित दिशानिर्देश 6.1(ई) के अनुसार नवंबर 2015 में एएएमसी में तैनात मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए 15 प्रतिशत का अवकाश आरक्षित रखा जाना था।


लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टी, त्यागपत्र अथवा पैनल से बाहर होने के कारण रिक्ति के प्रति डॉक्टरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों में 218 में से 41 एएएमसी डॉक्टरों के पैनल से बाहर होने के कारण उनकी उपलब्धता में कमी, त्यागपत्र, छुट्टी आदि के कारण 15 दिनों से लेकर 23 महीने (अनुलग्नक 2.2) तक की अवधि के लिए बंद रहे। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कमी के कारण बंद रहे एएएमसी का सारांश **तालिका-2.2.5** तथा **चार्ट 2.2.2** में दर्शाया गया है।

**तालिका-2.2.5: बंद रहने वाली एएएमसीएस की संख्या**

बंद होने की अवधि (महीने में)	एएएमसीएस की संख्या
0 से 3	23
4 से 6	9
7 से 9	3
10 महीने या उससे अधिक	6

चार्ट-2.2.2: वह अवधि जिसके लिए एएमसी बंद रहे



विभाग ने कहा कि एएमसी में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**सिफारिश:** सरकार को छुट्टी, त्यागपत्र, पैनल से बाहर होने आदि के कारण रिक्तियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात। सूचीबद्ध करके सभी एएमसी में उचित कामकाज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

### (iii) एएमसी में बुनियादी ढांचे की कमी

स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के कामकाज में उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सटीक निदान और प्रभावी उपचार प्रदान करने में मदद करते हैं। नवंबर 2015 में केबिनेट नोट संख्या 2244 में स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एएमसी को उपकरण/फर्नीचर/सुविधा का सेट प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने चयनित चार जिलों अर्थात् उत्तर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में कुल 81 एएमसी में से 74 में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियां पाईं:

- 35 एएमसी में डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाए गए।
- दस मोहल्ला क्लिनिक बिना पेयजल सुविधा की व्यवस्था के चल रहे थे।

- 24 मोहल्ला क्लीनिकों में दवाइयों/औषधियों और इंजेक्शनों के भंडारण के लिए एसी की सुविधा नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दवाइयाँ गर्मी और नमी से बिना बचाव के खुले में पड़ी थीं।
- 21 एएएमसी में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- 15 मोहल्ला क्लीनिकों में पावर बैकअप की सुविधा नहीं थी।
- छह मोहल्ला क्लिनिक बिना जांच टेबल के चल रहे थे।
- 71 मोहल्ला क्लीनिकों में भीड़ प्रबंधन के लिए कोई टोकन वेंडिंग मशीन उपलब्ध नहीं थी।
- 29 एएएमसी में अग्निशामक यंत्र नहीं पाया गया।
- 24 एएएमसी में शिकायत निवारण प्राधिकारी के नाम और पते के साथ शिकायत निवारण बोर्ड स्थापित नहीं किया गया था।
- 12 मोहल्ला क्लिनिक विकलांगों के अनुकूल नहीं थे क्योंकि इन क्लीनिकों में कोई रैंप नहीं पाया गया।
- 20 एएएमसी में मरीजों के लिए गोपनीयता स्क्रीन नहीं पाया गया।
- 31 एएएमसी में औषधियों और दवाइयों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी
- पांच एएएमसी में बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं पाई गई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कई एएएमसी संकुल/अस्वच्छ क्षेत्रों में स्थित थे जैसाकि चित्र 2.2.1 में स्पष्ट है:



चित्र 2.2.1: संकुल/अस्वच्छ क्षेत्रों में एएएमसी

विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि एएएमसी में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**(iv) एएएमसी में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों की कमी**

स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के कामकाज में उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सटीक निदान और प्रभावी उपचार प्रदान करने में मदद करते हैं। दिल्ली में एएएमसी बनाने के लिए एएंडईएस (27 नवंबर 2015) के अनुसार, प्रत्येक एएएमसी के लिए 42 चिकित्सा उपकरण स्वीकृत किए गए थे।

74 एएएमसी के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से निम्नलिखित का पता चला:

- 21 एएएमसी में पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं था,
- 57 एएएमसी में ग्लूकोमीटर/स्ट्रिप्स नहीं थे,
- 45 एएएमसी में एक्स-रे व्यूअर उपलब्ध नहीं था,
- पांच मोहल्ला क्लीनिकों में स्वास्थ्य सलाहकार के पास टॉर्च उपलब्ध नहीं थी,
- 18 मोहल्ला क्लिनिकों में थर्मामीटर उपलब्ध नहीं था,
- 12 एएएमसी के पास वजन मापने की मशीन नहीं थी,
- 14 क्लीनिकों में ऊंचाई मापने का पैमाना नहीं था,
- दो मोहल्ला क्लिनिक में रेफ्रिजरेटर उपलब्ध नहीं था,
- 11 एएएमसी में बीपी उपकरण उपलब्ध नहीं था तथा
- दो एएएमसी में स्टेथोस्कोप उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि एएएमसी में सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**(v) आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता में कमी**

राज्य नोडल अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश (मई 2022) के अनुसार, सभी एएएमसी स्टोर-इन-चार्ज को सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) को समय पर मांग अपलोड करके और एएएमसी को समय पर

वितरण करके 165 आवश्यक दवाइयों की 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। जिला औषधि भंडार को अपनी मांग सीपीए को भेजनी होती है और सीपीए अपने विक्रेता के माध्यम से सीधे जिला भंडार को दवाइयों/औषधियों की आपूर्ति करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईडीएल की कई दवाईयाँ या तो सीपीए द्वारा खरीदी नहीं गईं या विक्रेता द्वारा आपूर्ति नहीं की गईं यद्यपि आपूर्ति आदेश दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप कई दवाइयों अनुपलब्ध थीं।

जिला औषधि भंडार, उत्तर-पूर्व ने सीपीए से 151 दवाईयाँ (2022-23 की तीसरी तिमाही) और 128 दवाइयों (2022-23 की चौथी तिमाही) की आपूर्ति का अनुरोध किया था। बदले में सीपीए ने विक्रेता को तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः केवल 120 (79 प्रतिशत) और 95 दवाइयों (74 प्रतिशत) की आपूर्ति के लिए आदेश दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विक्रेताओं द्वारा तीसरी तिमाही की 35 दवाइयों (29 प्रतिशत) और चौथी तिमाही की 11 दवाइयों (12 प्रतिशत) की आपूर्ति औषधि भंडार को नहीं की गई। विक्रेताओं द्वारा दवाइयों की आपूर्ति में तीन से छह महीने तक की देरी की गई।

परिणामस्वरूप, उत्तर-पूर्वी जिले के जिला औषधि भंडार में दवाइयों का भंडार खत्म हो गया। जानकारी के अनुसार ईडीएल में निर्धारित 26 दवाइयों<sup>9</sup> जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 की अवधि के दौरान एक महीने से लेकर 16 महीने तक उपलब्ध नहीं थीं।

74 कार्यरत एएएमसी के निरीक्षण (अप्रैल/मई 2023) के दौरान चार चयनित जिलों (दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण) के संबंध में, यह पाया गया कि 74 में से 39 एएएमसी (53 प्रतिशत) में 75 प्रतिशत से कम आवश्यक दवाइयां उपलब्ध थीं (अनुलग्नक 2.3)।

विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि कुछ आवश्यक दवाइयों, जिनका सीपीए के साथ कोई वैध दर अनुबंध (आरसी) नहीं था, राज्य एएएमसी सेल द्वारा केंद्रीय पीएसयू से जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई थीं।

<sup>9</sup> टैब एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड, टैब बेटाहिस्टिन, मरहम क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट, टैब क्लोपिडोग्रेल, सीरप क्लोक्सासिलिन, टैब डाइक्लोफिनेस सोडियम एसआर, ड्रॉप डाइसाइक्लोमाइन और ऐक्टिवेटड डाइमैथिकोन आदि

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि एएएमसी सेल द्वारा खरीद के बावजूद, एएएमसी में ईडीएल की उपलब्धता की कमी थी। आगे, यह औषधियों की खरीद की मौजूदा प्रणाली में कमियों को दर्शाता है।

**सिफारिश: सरकार को खरीद और वितरण के कुशल प्रबंधन द्वारा सभी एएएमसी में सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।**

**(vi) एएएमसी ओपीडी आंकड़े की जांच**

विभाग ने केवल अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए बाह्य-रोगी आंकड़े प्रदान किए आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मरीजों के ओपीडी आंकड़े की जांच की गई। प्रति मरीज परामर्श समय, दवाइयों के नुस्खे में अनियमितता आदि के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

**(ए) एएएमसी में परामर्श का समय**

प्रति मरीज परामर्श समय, नैदानिक देखभाल की गुणवत्ता और मरीजों की संतुष्टि का एक माप है। ओपीडी में परामर्श समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। उपर्युक्त अवधि के दौरान ओपीडी आंकड़े की जांच के आधार पर एएएमसी में प्रति मरीज परामर्श समय का विवरण इस प्रकार था:

- 31 प्रतिशत लाख मामलों में परामर्श समय 4 - 30 सेकंड था,
- 39 प्रतिशत लाख मामलों में परामर्श समय 31 सेकंड - 1 मिनट था,
- 18 प्रतिशत लाख मामलों में परामर्श समय 1-2 मिनट था,
- 12 प्रतिशत लाख मामलों में परामर्श समय 2 मिनट से अधिक था।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है; 70 प्रतिशत मामलों में परामर्श समय एक मिनट से भी कम था।

**(बी) एएएमसी की कार्यात्मक स्थिति**

एएएमसी को मासिक आधार पर (26 दिन) प्रति दिनों न्यूनतम 75 ओपीडी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कुल 523 एएएमसी उपलब्ध थे (मार्च 2023)। विभाग ने केवल अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत बाह्य-रोगी के आंकड़े रखा और उसे लेखापरीक्षा को प्रदान किया। इसलिए लेखापरीक्षा का दायरा उस सीमा तक सीमित था।

एएएमसी की कार्यात्मक स्थिति तालिका-2.2.6 में दी गई है।

तालिका-2.2.6: एएएमसी की कार्यात्मक स्थिति

महीना	कार्यात्मक एएएमसी की संख्या	11 दिनों से कम समय तक कार्य करने वाले एएएमसी की संख्या	75 से कम मरीजों की औसत ओपीडी वाले एएएमसी की संख्या	75 -150 की औसत ओपीडी वाले एएएमसी की संख्या	151-200 की औसत ओपीडी वाले एएएमसी की संख्या	200 से अधिक औसत ओपीडी वाले एएएमसी की संख्या
दिसंबर-जनवरी 2023	500	17	44	180	225	51
जनवरी-फरवरी 2023	500	10	37	175	238	50
फरवरी-मार्च 2023	504	09	35	171	236	62

स्रोत: विभाग की वेबसाइट।

तालिका-2.2.6 से देखा जा सकता है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान 523 एएएमसी में से औसतन 501 कार्यात्मक थे, तथापि 39 एएएमसी मासिक आधार पर प्रति दिन 75 ओपीडी के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाए।

उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2024)।

#### (vii) एएएमसी में दवाइयों और औषधियों का इनवेंटरी प्रबंधन

जिला औषधि भंडार और एएएमसी के राज्य नोडल कार्यालय में अभिलेख की जांच से पता चला कि दवाइयों के प्रबंधन के लिए कोई कम्प्यूटरीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली नहीं थी।

फार्मसी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्दिष्ट करती है कि संबंधित फार्मासिस्ट प्रभारी द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जो दवाइयों एक्सपायर्ड होने के करीब पायी जाने वाली दवाओं को अन्य विभागों यानी इंद्रा और अंतर-विभागों में ले जाया जाए।

चयनित एएएमसी की नमूना जांच (अप्रैल-मई 2023) से पता चला कि 2018-23 की अवधि के दौरान 37 एएएमसी में 495 प्रकार की विभिन्न दवाइयां (कुल 2,16,554) एक्सपायर हो गई थीं (अनुलग्नक 2.4)।

कम्प्यूटरीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली के अभाव में कोई वैकल्पिक प्रणाली नहीं थी जहां एक्सपायर्ड तिथि के करीब पहुंच चुकी दवाइयों की पहचान अन्य क्लीनिकों में उपयोग के लिए की जा सके।

विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि भविष्य में दवाइयों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

**(viii) आवश्यक औषधि सूची में दवाइयों की संख्या में भिन्नता**

विभाग ने सितंबर 2022 में पंजीकरण से लेकर दवाइयों के वितरण तक सभी मोहल्ला क्लीनिकों को डिजिटल कर दिया है, 165 आवश्यक दवाइयों को एएएमसी के लिए मंजूरी दी गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निरीक्षित 74 एएएमसी<sup>10</sup> में से 16 में ईडीएल में भिन्नता थी, 117 से 195 दवाइयों के बीच थी जबकि ईडीएल में 165 दवाइयां निर्धारित थी।

विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि ईडीएल सभी एएएमसी के लिए समान है तथा सभी मोहल्ला क्लीनिकों को ईडीएल के अनुसार दवाइयों की आपूर्ति भी की जाती है। सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं जिसके कारण कुछ विसंगतियां देखी गई हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है।

**(ix) एएएमसी की प्रयोगशाला सेवाओं में कमियां**

एएएमसी में प्रयोगशाला सेवाएं (रेडियोलॉजी को छोड़कर) डीजीएचएस द्वारा खुली निविदा के माध्यम से चयनित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। सेवाओं के लिए भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान दिल्ली के सभी एएएमसी में प्रयोगशाला सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, जबकि उत्तरी जिले में 11 मार्च 2020 से 24 अप्रैल 2020 और 13 सितंबर 2021 से 27 सितंबर 2021 के दौरान एएएमसी में प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। विभाग ने इन अवधियों के दौरान प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं के संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी।

विभाग ने उत्तर दिया (मई 2023) कि मानव संसाधन की कमी के कारण सीडीएमओ कार्यालय द्वारा बिल के देरी से सत्यापन के कारण उत्तरी जिले में प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 16 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022

---

<sup>10</sup> पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिला

के दौरान सभी एएएमसी में प्रयोगशाला सेवाओं की उपलब्धता की कमी के संबंध में विभाग ने कहा कि सहायता अनुदान की दूसरी किस्त जारी न होने के कारण धन की कमी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस अवधि के दौरान तीनों शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी (संदर्भ तालिका 2: एएएमसी परियोजना का आवंटन और व्यय)। यह मरीज देखभाल सुनिश्चित करने में विभाग के लापरवाह रवैये को दर्शाता है।

#### (x) एएएमसी की निगरानी

डीजीएचएस ने आदेश जारी किया था (26 फरवरी 2018) कि मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों (सीडीएमओ) की टीम जिले के सभी एएएमसी का तिमाही आधार पर दौरा करेगी। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2019 में, डीजीएचएस ने सभी सीडीएमओ को प्रति माह कम से कम एक एएएमसी का विजिट करने का निर्देश जारी किया। ऐसे विजिट के दौरान कम से कम 10 प्रतिशत ओपीडी प्रविष्टियों को मरीजों के संपर्क नंबर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकारी डिस्पेंसरियों (डीजीडी) से जुड़े प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जिले के सभी एएएमसी का विजिट पाक्षिक आधार पर करेगा और मासिक आधार पर एएएमसी सेल, द्वारका को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

निगरानी टीम को स्टाफ की समय की पाबंदी सुनिश्चित करनी थी। फार्मसी इंडेंट रजिस्टर, स्टॉक और बैलेंस रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर, लैब रजिस्टर, दैनिक उपभोग रजिस्ट्रों की जाँच की जानी थी और ऐसे विजिट की रिपोर्ट मासिक आधार पर राज्य नोडल अधिकारी को प्रस्तुत की जानी थी। दवाइयों और नुस्खों के विवेकपूर्ण उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना था। सभी नुस्खों पर पैनल में शामिल डॉक्टरों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान चयनित जिलों के 218 एएएमसी के 11,191 निरीक्षणों की आवश्यकता के प्रति केवल 175 निरीक्षण (1.56 प्रतिशत) किए गए थे। आई.आर. में बताई गई

सामान्य कमियों में शिकायत पेटियों की उपलब्धता की कमी, भंडार रजिस्टर ठीक से नहीं रखा जाना और नुस्खे की पर्ची जारी नहीं करना थी।

लेखापरीक्षा टीम द्वारा चयनित एएएमसी की प्रत्यक्ष विजिट के दौरान भी इसी तरह की कमियां देखी गईं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एएएमसी के डॉक्टर अपने टैबलेट में निर्धारित दवाइयों का अभिलेख रख रहे थे, तथापि, मरीजों को नुस्खा पर्ची प्रदान नहीं की गई थी।

अप्रैल-मई 2023 के दौरान किए गए चार चयनित जिलों के 74 एएएमसी के संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि किसी भी एएएमसी द्वारा कोई निरीक्षण/निगरानी संबंधी अभिलेख नहीं रखे गए थे।

विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि भविष्य में निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि एएएमसी में आने वाले मरीजों को नुस्खा पर्चियां मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

## 2.2.6 मोबाइल स्वास्थ्य योजना का संचालन

रा.रा.क्षे.दि.स. ने जेजे समूहों और कॉलोनिनों में रहने वाले प्रवासी आबादी और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष जोर देने के साथ असेवित क्षेत्रों में उनके घरों में ही नियमित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य योजना (एमएचएस) शुरू की (1989)। इसके अतिरिक्त, एमएचएस को विशेष आयोजनों और सामूहिक समारोहों, सामाजिक कल्याण गृहों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों आदि की जरूरतों को पूरा करना था। डीजीएचएस एमएचएस के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था।

मार्च 2023 तक आठ मोबाइल स्वास्थ्य टीमों काम कर रही थीं।

### 2.2.6.1 चालु मोबाइल स्वास्थ्य योजना हेतु जनशक्ति की कमी

प्रत्येक मोबाइल डिस्पेंसरी में एक चिकित्सा अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (पीएचएनओ) या सहायक नर्सिंग मिडवाइफ (एएनएम), फार्मासिस्ट, ड्रेसर और एक परिचारक होना चाहिए। एमएचएस के लिए एमओ, पीएचएनओ/एएनएम, फार्मासिस्ट, ड्रेसर और परिचारक के प्रत्येक के लिए 35 पद स्वीकृत किए गए थे। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मोबाइल डिस्पेंसरी वैन के माध्यम से प्रदान की जानी थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्टाफ की सेवानिवृत्ति के कारण तैनात व्यक्तियों की वास्तविक संख्या में लगातार गिरावट आई। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नियोजित वास्तविक व्यक्तियों की संख्या तालिका-2.2.7 में दी गई है।

तालिका-2.2.7: मोबाइल स्वास्थ्य योजना की स्वीकृत कार्मिक संख्या और पद पर कार्यरत व्यक्ति

वर्ष	चिकित्सा अधिकारी		पीएचएनओ/एएनएम		फार्मासिस्ट		ड्रेसर		परिचारक/एनओ	
	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी
2016-17	35	28	35	29	35	30	35	24	35	18
2017-18	35	27	35	34	35	26	35	19	35	23
2018-19	35	26	35	31	35	21	35	22	35	16
2019-20	35	25	35	29	35	19	35	21	35	17
2020-21	35	22	35	29	35	17	35	19	35	14
2021-22	35	22	35	30	35	16	35	17	35	14
2022-23	35	18	35	30	35	15	35	15	35	12

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2016-23 के दौरान, स्वीकृत संख्या की तुलना में चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में 20 से 48 प्रतिशत की रेंज में, पीएचएनओ/एएनएम में तीन से 17 प्रतिशत की रेंज में, फार्मासिस्टों में 14 से 57 प्रतिशत की रेंज में, ड्रेसर में 13 से 57 प्रतिशत की रेंज में और परिचारक/नर्सिंग अर्दली में 34 से 66 प्रतिशत की रेंज में कमी थी। तैनात स्टाफ में से भी छह डॉक्टर, 20 पीएचएनओ/एएनएम, छह फार्मासिस्ट, 11 ड्रेसर और आठ नर्सिंग अर्दली/परिचारक को डीजीएचएस के अंतर्गत अन्य कार्यालयों<sup>11</sup> में भेज दिया गया।

पर्याप्त जनशक्ति के अभाव में, एमएचएस सभी असेवित क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, रात्रि आश्रयों, कल्याण गृहों आदि को नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं था। स्टाफ को अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित करना स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा मोबाइल स्वास्थ्य योजना को दी गई कम प्राथमिकता को दर्शाता है।

एमएचएस ने, अपने उत्तर (सितंबर 2023) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और सूचित किया कि एमएचएस में रिक्त पदों को भरने/नए पदों के सृजन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है।

<sup>11</sup> सीडीएमओ कार्यालय, परिवार कल्याण विभाग, डीजीएचएस (मुख्यालय) तथा विभिन्न अस्पताल इत्यादि

इसके अतिरिक्त, मोबाइल डिस्पेंसरियों को वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी के साथ किराए के वाहनों का उपयोग करके संचालित किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-23 की अवधि के दौरान कोई वाहन किराए<sup>12</sup> पर नहीं लिया गया था। वाहनों की उपलब्धता की कमी ने मोबाइल स्वास्थ्य योजना के कवरेज और लॉजिस्टिक्स (दवाइयों/उपकरण) को सीमित कर दिया।

अपर निदेशक, एमएचएस ने कहा (अक्टूबर 2023) कि डीजीएचएस द्वारा कुछ अवसरों पर वाहनों को किराए पर लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था और वर्ष 2023-24 में बजट आवंटन की अनुपलब्धता के कारण वाहनों को किराए पर लेने के वर्तमान प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई।

तथ्य यह है कि विभाग चालू मोबाइल डिस्पेंसरियों के लिए वाहन उपलब्ध नहीं करा सका।

**सिफारिश: सरकार को पर्याप्त स्टाफ प्रदान करके और पर्याप्त गतिशीलता सुनिश्चित करके एमएचएस को मजबूत करने की आवश्यकता है।**

#### 2.2.6.2 मोबाइल स्वास्थ्य योजना के लिए आवश्यक दवाइयों की अनुपलब्धता

एमएचएस के अंतर्गत 100 आवश्यक दवाइयां अनुमोदित की जाती हैं और इन्हें डीजीएचएस की केंद्रीय खरीद एजेंसी के माध्यम से खरीदा जाना था। केंद्रीय भंडारों की दवाइयों के भंडार रजिस्टर से यह देखा गया कि 100 ईडीएल दवाइयों में से 76 दवाइयां केंद्रीय भंडार में उपलब्ध नहीं थीं। 2022-23 की अवधि के लिए जोनल टीमों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों की जांच से पता चला कि दवाइयों की अनुपलब्धता के कारण केंद्रीय भंडार द्वारा कई बार एमएचएस टीमों द्वारा मांगी गई दवाइयों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कई मामलों में, केंद्रीय भंडारों को मांग प्रस्तुत किए जाने के समय एमएचएस टीम के पास कोई भंडार उपलब्ध नहीं था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एमएचएस टीमों पर्याप्त आवश्यक दवाइयों के बिना काम कर रही थीं।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2023) कि आवश्यक दवाइयों की अनुपलब्धता के लिए सीपीए जिम्मेदार है क्योंकि मांग की गई दवाइयों की आपूर्ति इसके द्वारा की जाती है।

---

<sup>12</sup> 2017-18 (एक महीने के लिए) तथा 2020-21 (तीन महीने के लिए) को छोड़कर

तथ्य यह है कि एमएचएस आवश्यक दवाइयों के बिना काम कर रहा था।

### 2.2.6.3 आंख एवं कान की देखभाल सेवाओं के लिए 100 मोबाइल वैन क्लिनिक की स्थापना नहीं करना

मोबाइल वैन के माध्यम से दूरदराज क्षेत्रों में चश्मे और श्रवण यंत्रों की जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आंख और कान की देखभाल सेवाओं (एमएचएस) के लिए ₹ 60.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर 100 मोबाइल वैन क्लिनिक स्थापित करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया था (8 मई 2017)। एमएचएस के कार्यान्वयन के लिए डीजीएचएस जिम्मेदार था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रस्ताव के अनुमोदन के बावजूद आंख और कान की देखभाल सेवाओं के लिए मोबाइल वैन क्लिनिक को कार्यान्वित नहीं किया जा सका (अप्रैल 2023) क्योंकि 2018-2023 की अवधि के दौरान अपेक्षित धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी। 2018-19 के दौरान, ₹ 35.46 करोड़ के प्रस्ताव के प्रति केवल ₹ 5 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। इसी प्रकार, 2019-20 के दौरान केवल ₹ 3.25 करोड़ स्वीकृत किए गए और उसके बाद कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, एमएचएस के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पद सृजित किए जाने थे और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीजीएचएस द्वारा न तो पद स्वीकृत किए गए और न ही कर्मचारी नियुक्त किए गए थे।

इस योजना में डोरस्टेप आंख और कान की देखभाल सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी जिसे मई 2017 से मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल की अनुमोदन के बावजूद दिल्ली में लागू नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (जून 2023) कि यह श्रमबल और धन के मामले में संसाधनों की बर्बादी होगी क्योंकि दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पॉलीक्लिनिक और अन्य सुविधाओं के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जो पॉलीक्लिनिक/अस्पताल में एक निश्चित सेटअप से अधिक संगठित तरीके से नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया (अक्टूबर 2023) कि एमएचएस में योजना को लागू करने के लिए आँख और ईएनटी विशेषज्ञ का कोई पद नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह योजना 2017 में विशेष रूप से डोरस्टेप आंख और कान की देखभाल की जांच सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो इसके डिस्पेंसरियों/पॉलीक्लिनिकों/अस्पतालों के नेटवर्क द्वारा पहले से ही प्रदान की जा रही सेवाओं के अतिरिक्त थी।

**सिफारिश:** सरकार विभाग के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए योजना की निरंतरता की फिर से जांच कर सकती है कि डोरस्टेप आंख और कान सेवाएं प्रदान करना संसाधनों की बर्बादी होगी।

#### 2.2.6.4 मोबाइल स्वास्थ्य योजना का घटता कवरेज

लेखापरीक्षा में मोबाइल स्वास्थ्य योजना (एमएचएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और मोबाइल वैन की कमी देखी गई जैसा कि पैरा 2.3.1 और 2.3.3 में विस्तृत रूप से बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2017-23 के दौरान तैनात टीमों की संख्या और इलाज किए गए मरीजों की संख्या में गिरावट आई जैसा कि तालिका 2.2.8 में वर्णित है।

**तालिका 2.2.8: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एमएचएस टीमों की संख्या और इलाज किए गए मरीजों की संख्या**

वर्ष	तैनात मोबाइल स्वास्थ्य टीमों की संख्या	उपचारित मरीजों की संख्या
2017-18	27	2,25,031
2018-19	19	1,88,743
2019-20	19	1,91,349
2020-21	17	1,46,171
2021-22	8	60,311
2022-23	8	35,062

स्रोत: एमएचएस की वार्षिक रिपोर्ट

कुल 277 रात्रि आश्रय स्थलों और अन्य डे केयर क्षेत्र थे जिनके लिए कम से कम 26 टीमों की आवश्यकता थी। इसके प्रति रात्रि आश्रय स्थलों के लिए केवल सात टीमों और एक टीम असेवित क्षेत्रों के लिए तैनात की गई थी (मार्च 2023)। टीमों की कमी के कारण, एमएचएस जेजे क्लस्टर के सभी रात्रि आश्रय स्थलों, निर्माण स्थलों, कल्याण गृहों, असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों को कवर करते हुए नियमित सेवाएं प्रदान नहीं कर सका।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा एमएचएस के अंतर्गत मोबाइल स्वास्थ्य डिस्पेंसरियों की मांग का कोई व्यापक आंकलन नहीं किया गया था। यह आंकलन जेजे क्लस्टरों/असेवित क्षेत्रों में एएएमसी की उपलब्धता के कारण भी आवश्यक हो गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2023) और कहा कि बाधाओं के बावजूद यह अभी भी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार सेवाएं प्रदान करता है।

### 2.2.7 स्कूल स्वास्थ्य योजना का संचालन

बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें स्वच्छता पर उपयोगी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई (1979)। स्कूल स्वास्थ्य योजना में बच्चों की आसान पहुंच के लिए स्कूल परिसरों में स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने की परिकल्पना की गई। स्कूल स्वास्थ्य योजना के उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूली बच्चों की बीमारियों की जांच करना, परामर्श देना और अपने 12 जिला कार्यालयों तथा 44 स्कूल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से स्कूली बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना शामिल है (मार्च 2023)। प्रत्येक स्कूल स्वास्थ्य योजना टीम को 8-10 स्कूलों (लगभग 10000 से 12000 छात्र) का एक समूह आवंटित किया जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. के लगभग 1200 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 17-18 लाख छात्र पढ़ते हैं। स्कूल स्वास्थ्य योजना का केंद्रीय भंडार जिला क्लिनिक स्टोर को दवाइयों जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

#### 2.2.7.1 स्कूल स्वास्थ्य योजना द्वारा स्कूली बच्चों के कवरेज में कमी

प्रत्येक स्कूल स्वास्थ्य योजना टीम को 8-10 स्कूलों (लगभग 10000 से 12000 छात्र) का एक समूह आवंटित किया जाता है। स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग/स्वास्थ्य जांच का वर्षवार विवरण तालिका-2.2.9 में दिया गया है।

**तालिका-2.2.9: स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच का विवरण**

वर्ष	तैनात स्वास्थ्य टीमों की संख्या	कवर किए गए स्कूलों की संख्या	कवर किए गए स्कूलों का लगभग प्रतिशत	जांच किये गए स्कूली बच्चों की संख्या	जांच किए गए स्कूली बच्चों का लगभग प्रतिशत
2016-17	65	325	27	281488	17
2017-18	53	367	31	328274	19
2018-19	56	333	28	316009	19
2019-20	57	282	24	351402	21
2020-21	0	3	0.3	648	0.04
2021-22	24	0	0	0	0
2022-23	24	147	12	2,09,364	12

तालिका-2.2.9 से देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान लगभग 1200 स्कूलों और 17 लाख छात्रों में से केवल 282 से 367 (24 से 31 प्रतिशत) स्कूलों और 2.81 लाख से 3.51 लाख (17 से 21 प्रतिशत) छात्रों को सालाना कवर किया जा सका। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, कोविड के कारण स्कूल स्वास्थ्य योजना चालू नहीं थी। वर्ष 2022-23 में, कवरेज को 147 स्कूलों (12 प्रतिशत) और 2.09 लाख (12 प्रतिशत) छात्रों तक कम कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्कूल स्वास्थ्य टीम छात्रों का अभिलेख रखती है, लेकिन छात्रों को कोई स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं किया गया। इसके अलावा, माता-पिता की काउंसलिंग नहीं की गई, जबकि छात्र काउंसलिंग (नशीली दवाओं के सेवन के लिए) योजना के कवरेज के अनुसार की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक विशेष स्कूल में सेवा प्रदान करने के लिए 20 स्कूल स्वास्थ्य<sup>13</sup> क्लिनिकों को स्कूल स्वास्थ्य योजना से कर्मचारियों को नियोजित करके एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था (जनवरी 2022), जिससे 2021-23 के दौरान स्कूल स्वास्थ्य टीमों की प्रभावी ढंग से घटकर 24 रह गई।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर उसकी कोई टिप्पणी नहीं है।

<sup>13</sup> पैराग्राफ 2.2.7.3 देखें

### 2.2.7.2 स्कूल स्वास्थ्य योजना चलाने के लिए जनशक्ति की कमी

2016-23 के दौरान, स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत संख्या के प्रति डॉक्टरों की कमी 22 से 32 प्रतिशत, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (पीएचएनओ) की कमी 7 से 46 प्रतिशत तक थी, जबकि फार्मासिस्टों की कमी 11 से 37 थी। विवरण तालिका-2.2.10 में दिया गया है।

**तालिका-2.2.10: स्कूल स्वास्थ्य योजना में स्वीकृत संख्या और पद पर कार्यरत व्यक्ति**

वर्ष	चिकित्सक		पीएचएनओ		फार्मासिस्टों	
	स्वीकृत संख्या	पद पर कार्यरत व्यक्ति	स्वीकृत संख्या	पद पर कार्यरत व्यक्ति	स्वीकृत संख्या	पद पर कार्यरत व्यक्ति
2016-17	31	21	61	33	38	24
2017-18	32	22	61	55	38	34
2018-19	32	25	61	55	38	29
2019-20	32	25	61	57	38	32
2020-21	32	23	61	56	38	32
2021-22	32	23	61	51	38	27
2022-23	32	22	61	45	38	27

2022-23 में, छह डॉक्टरों, 20 पीएचएनओ को 20 स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिकों में प्रतिनियुक्त किया गया था जो केवल अपने संबंधित स्कूल में सेवाएं प्रदान करते हैं। इससे स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों को कवर करने के लिए कर्मचारियों की संख्या और कम हो गई। यह भी देखा गया कि रेफरल केंद्रों के लिए नेत्र विशेषज्ञ का केवल एक पद और दंत चिकित्सक के सभी छह पद खाली पड़े थे (मार्च 2023)।

विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2023) में कोई टिप्पणी नहीं दी।

### 2.2.7.3 सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू करने की धीमी प्रगति

दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली 1973 के नियम 38 के अनुसार हर स्कूल में एक अंशकालिक या पूर्णकालिक डॉक्टर की नियुक्ति अनिवार्य है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को केस सं. डब्ल्यूपी © 7814/2011 में छह महीने के भीतर दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के नियम 38 को लागू करने का निर्देश दिया था (8 अगस्त 2012)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2023 तक, रा.रा.क्षे.दि.स के शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदों के सृजन, वेतन के भुगतान और स्टाफ की देखरेख के लिए विभागों के बीच आम सहमति की कमी के कारण स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक को लागू करने की योजना को सुदृढ़ नहीं कर सके।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव (2018) में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 185 चिकित्सा अधिकारियों, 611 पीएचएनओ, 358 एएनएम के पदों के सृजन और 1029 मल्टीटास्किंग स्टाफ की आउटसोर्सिंग की सिफारिश की गई थी, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने इस आधार पर खारिज कर दिया था (सितंबर 2019) कि प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं था और इसमें समय लगेगा, इसके अतिरिक्त एएएमसी मॉडल के अनुसार पैनलबद्ध कर्मचारियों के साथ स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने का सुझाव दिया गया।

पीडब्ल्यूडी ने 94 पोर्टा केबिन का निर्माण किया और शिक्षा विभाग को सौंप दिया (अगस्त 2022 तक)। स्कूल स्वास्थ्य योजना की टीम को तैनात करके पोर्टा-केबिन में केवल 20 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक चालू किए गए (मई 2023)।

इस प्रकार, दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली 1973 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के प्रावधान और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश (अगस्त 2012) के बावजूद, रा.रा.क्षे.दि.स. केवल 20 स्कूलों में सुविधा को स्थापित कर सका।

विभाग ने अपने उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं दी (अक्टूबर 2023)।

#### 2.2.7.4 स्कूल स्वास्थ्य योजना में अन्य कमियां

(ए) डी-वर्मिंग और डब्ल्यूआईएफएस कार्यक्रम आयोजित करने में कमी

रा.रा.क्षे.दि.स. का डी-वर्मिंग कार्यक्रम, सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को कवर करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में (मार्च 2023) 5700 स्कूलों (लगभग) को कवर किया जाना था। इसी प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. का साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएस) एनीमिया से निपटने और सभी सरकारी और सहायता प्राप्त

स्कूली बच्चों<sup>14</sup> को कवर करने के लिए शुरू किया गया था (जुलाई 2013)। उपर्युक्त कार्यक्रम 2020-21 और 2021-22 के दौरान चालू नहीं थे क्योंकि कोविड के कारण स्कूल बंद थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 21 प्रतिशत (2016-17) से 71 प्रतिशत (2019-20) स्कूल डी-वर्मिंग कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए थे, जबकि डब्ल्यूआईएफएस के अंतर्गत 2016-23 के दौरान केवल 56 प्रतिशत (2019-20) से 76 प्रतिशत (2022-23) छात्रों को कवर किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति उसकी कोई टिप्पणी नहीं है।

### (बी) दवाइयों और सर्जिकल वस्तुओं की कमी

योजना के अंतर्गत, 44 टीमों (पोर्टा केबिन में स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक सहित) काम कर रही थीं और दिल्ली सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 19 लाख स्कूली बच्चों की देखभाल कर रही थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आवश्यक दवा सूची तैयार नहीं की है। स्कूल स्वास्थ्य योजना के केंद्रीय भंडार रजिस्टर की जांच से पता चला कि 21 विभिन्न दवाइयों और सर्जिकल वस्तुओं के भंडार को भंडार-निकासी के बाद दोबारा नहीं भरा गया था और भंडार-निकासी अवधि 3 से 84 महीने तक थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 21 में से 15 दवाइयां/सर्जिकल आइटम 60 महीने से अधिक समय से उपलब्ध नहीं थीं (अनुलग्नक 2.5)।

इसके अतिरिक्त, 2022-23 के लिए जिला क्लीनिकों के 17 मांग पत्रों की जांच से पता चला कि केन्द्रीय भंडार द्वारा दवाइयों<sup>15</sup> और सर्जिकल आइटम<sup>16</sup> मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसी प्रकार, जिला स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक द्वारा मांगे गए कई बुनियादी उपकरण<sup>17</sup> भी केंद्रीय भंडार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

<sup>14</sup> कक्षा 6वीं से 12वीं तक 2021-22 तक, और कक्षा 1 से 12वीं तक 2022-23 से आगे

<sup>15</sup> बीटाडीन ऑइंटमेंट सोफ्रामाइसिन, टैब पीसीएम, टैब इबुप्रोफिन, टैब सिप्रो, टैब सीपीएम, टैब फेनिरामाइन, टैब पेंटाप्राजोल एमएनजेड आदि।

<sup>16</sup> चिपकने वाला प्लास्टर, बैंड एड, बैंडेज, आदि।

<sup>17</sup> हिमोग्लोबिन मीटर, एचबी क्यूवेट्स, वजन मापने की मशीन, बीपी उपकरण, टॉर्च, कैंची, थर्मामीटर, आदि।

इस प्रकार, स्कूल स्वास्थ्य योजना अपेक्षित दवाइयों, सर्जिकल आइटम और उपकरणों के बिना चल रही है। विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2023) में कोई टिप्पणी नहीं दी।

### (सी) स्टोर में बेकार पड़े उपकरण/आइटम

तालिका-2.2.11 में दिए गए विवरण के अनुसार स्कूल स्वास्थ्य योजना के केंद्रीय भंडार के रजिस्टर की संवीक्षा से पता चला कि स्कूल स्वास्थ्य टीमों द्वारा उपयोग के लिए मांगे गए उपकरण/आइटम स्टोर में पिछले नौ वर्षों अथवा उससे अधिक समय से बेकार पड़े हुए थे।

#### तालिका-2.2.11 स्कूल स्वास्थ्य योजना के स्टोर में बेकार पड़ी आइटम

क्र.सं.	आइटम का नाम	मात्रा
1	सेंट्रीफ्यूज मशीन	6
2	जांच टेबल	6
3	रिवाल्वींग स्टूल	52
4	बीपी उपकरण	80
5	स्टेथोस्कोप	21
6	वैक्सीन कैरियर	24
7	सिरिंज सह निडल डिस्ट्रायर	12
7	ग्लूकोमीटर	123

यह दर्शाता है कि विभाग ने वास्तविक मांग का आकलन किए बिना थोक में उपकरण खरीदे और वह जरूरत के आधार पर डीजीएचएस के अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को जारी करके इसका उपयोग करने में भी विफल रहा।

विभाग ने अपने उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं दी (अक्टूबर 2023)।

**सिफारिश:** सरकार को एसएचएस को मजबूत करना चाहिए ताकि सभी स्कूली बच्चों को कवर करते हुए योजना के अंतर्गत सभी सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह एसएचएस के लिए विशेष रूप से एक ईडीएल को मंजूरी देने पर भी विचार कर सकती है और उसे अपने क्लिनिकों में सभी आवश्यक दवाइयां सुनिश्चित करनी चाहिए।

### 2.2.8 डिस्पेंसरियों/पॉलीक्लिनिकों का कार्य

पुनर्गठित प्रणाली के अंतर्गत (जुलाई 2015), मौजूदा डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक में परिवर्तित किया जाना था। सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आदेश (7 जनवरी 2016) के अनुसार, पॉलीक्लिनिक सरकारी अस्पताल से जुड़े थे और उन्हें विशेष बाह्य उपचार उद्देश्यों के लिए

उपग्रह केंद्र के रूप में कार्य करना था। संलग्न अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को संबंधित पॉलीक्लिनिकों को जनशक्ति, दवाइयां तथा उपभोग्य वस्तुएं और अन्य लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करनी थी और उनके दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी भी करनी थी। पॉलीक्लिनिक्स में सामान्य दवाइयों, बाल रोग, प्रसूति और स्त्री रोग प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने थे, जबकि आर्थोपेडिक्स, त्वचा विज्ञान, नेत्र और ईएनटी सप्ताह में कम से कम दो बार उपलब्ध कराए जाने थे। मार्च 2023 तक, केवल 28 पॉलीक्लिनिक कार्यशील थे और 167 डिस्पेंसरी भी सेवाएं प्रदान कर रही थी।

### 2.2.8.1 द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक में बदलने में ढिलाई

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में संकल्पित पॉलीक्लिनिकों का उद्देश्य दिल्ली सरकार के अस्पतालों के ओपीडी भार को कम करना था। बजट भाषण (2016-17) में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक 150 पॉलीक्लिनिक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। पीडब्ल्यूडी को 15 महीनों में 94 चयनित दिल्ली सरकार डिस्पेंसरियों (डीजीडी) को पॉलीक्लिनिकों में बदलने के लिए ₹ 168.58 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय मंजूरी जारी की गई थी (08 अगस्त 2018)।

डिस्पेंसरियों और पॉलीक्लिनिकों (2021-22) का जिले-वार विवरण तालिका-2.2.12 में दिया गया है।

**तालिका-2.2.12: डिस्पेंसरियों और पॉलीक्लिनिकों की उपलब्धता**

क्र.सं.	जिले का नाम	डिस्पेंसरी	पॉलीक्लिनिक
1.	केंद्रीय	24	2
2.	पूर्व	16	1
3.	उत्तर	15	1
4.	उत्तर-पूर्व	5	4
5.	उत्तर पश्चिम	20	7
6.	दक्षिण	9	1
7.	दक्षिण पश्चिम	23	4
8.	पश्चिम	19	3
9.	नई दिल्ली	12	1
10.	शाहदरा	15	3
11.	दक्षिण पूर्व	9	1
	<b>कुल</b>	<b>167</b>	<b>28</b>

स्रोत: डीजीएचएस की वार्षिक रिपोर्ट

यह देखा जा सकता है कि केवल 28 डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक में परिवर्तित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पुनर्गठित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के संचालन के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- दिसंबर 2022 तक अस्पतालों द्वारा उन सात पॉलीक्लिनिकों का अधिग्रहण नहीं किया गया था जहां पीडब्ल्यूडी द्वारा रीमॉडलिंग का काम पूरा किया गया था जिससे परिचालन संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी।
- मौजूदा पॉलीक्लिनिकों में सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे। विभाग विशेषज्ञों के पैनल की प्रक्रिया में था (दिसंबर 2022) और ओपीडी परामर्श के लिए पॉलीक्लिनिकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्थान पर वरिष्ठ रेजिडेंट्स को भी तैनात करने के लिए बाध्य था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सरकारी अस्पताल में ओपीडी भार को कम करने के लिए मौजूदा डिस्पेंसरियों को द्वितीयक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में अपग्रेड करके पॉलीक्लिनिक स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2023) कि पुनर्गठित स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में डिस्पेंसरियों की कोई अवधारणा नहीं थी, तथापि, 107 डीजीडी को रीमॉडलिंग सूची में शामिल नहीं किया गया था और वे पॉलीक्लिनिक के साथ सह-अस्तित्व के लिए बाध्य थे क्योंकि केवल स्वयं के भवनों में चल रही डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक में परिवर्तित किया जाना था।

सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पॉलीक्लिनिक की योजनाबद्ध संख्या को कार्यात्मक नहीं किया जा सका।

**सिफारिश:** सरकार को द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की पुनर्गठित स्वास्थ्य प्रणाली में परिकल्पित पॉलीक्लिनिक की स्थापना में तेजी लानी चाहिए।

### 2.2.8.2 डिस्पेंसरियों में मानव संसाधन

डीजीएचएस के अंतर्गत विभिन्न डिस्पेंसरियों में स्वीकृत पदों के प्रति डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स की उपलब्धता (31 मार्च 2023) तालिका-2.2.13 में दी गई है।

तालिका-2.2.13: विभिन्न डिस्पेंसरियों की स्वीकृत संख्या और पद पर कार्यरत व्यक्ति

जिला	स्वीकृत				कार्यरत			
	डॉक्टर	नर्सिंग स्टाफ	पैरामेडिक्स	अन्य <sup>18</sup>	डॉक्टर	नर्सिंग स्टाफ	पैरामेडिक्स	अन्य
<b>एलोपैथिक डिस्पेंसरियों</b>								
केंद्रीय	107	158	241	216	47	90	102	90
पूर्व	51	40	71	116	41	36	51	77
पश्चिम	65	43	240	11	55	36	89	5
उत्तर	57	41	113	125	36	41	83	36
दक्षिण पश्चिम	87	74	131	207	74	74	106	161
उत्तर पूर्व	31	23	58	64	26	22	40	45
उत्तर पश्चिम	69	57	106	171	69	57	106	127
दक्षिण	39	27	48	78	38	24	34	40
शाहदरा	59	45	233	5	48	43	164	2
नई दिल्ली	44	30	64	89	35	28	43	53
दक्षिण पूर्व	35	22	58	61	29	18	47	20
<b>कुल</b>	<b>644</b>	<b>560</b>	<b>1363</b>	<b>1143</b>	<b>498</b>	<b>469</b>	<b>865</b>	<b>656</b>

एलोपैथिक डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की 23 प्रतिशत, नर्सिंग स्टाफ की 16 प्रतिशत और पैरामेडिक्स की 37 प्रतिशत कमी थी (मार्च 2023)।

चयनित जिलों में जनशक्ति की कमी (31 मार्च 2023) निम्नानुसार थी:

- दक्षिण-पश्चिम जिला, मेडिकल स्टाफ (15 प्रतिशत), पैरामेडिकल स्टाफ (19 प्रतिशत), और अन्य (22 प्रतिशत)।
- दक्षिण जिला, मेडिकल स्टाफ (3 प्रतिशत), पैरामेडिकल स्टाफ (29 प्रतिशत), नर्सिंग स्टाफ (11 प्रतिशत) और अन्य (49 प्रतिशत)।
- पश्चिम जिला, मेडिकल स्टाफ (15 प्रतिशत), पैरामेडिकल स्टाफ (63 प्रतिशत), नर्सिंग स्टाफ (16 प्रतिशत) और अन्य (55 प्रतिशत)।
- उत्तर-पूर्व जिला, मेडिकल स्टाफ (16 प्रतिशत), पैरामेडिकल स्टाफ (31 प्रतिशत), नर्सिंग स्टाफ (4 प्रतिशत) और अन्य (30 प्रतिशत)।

<sup>18</sup> ड्रेसर, डार्क रूम, प्लास्टर रूम सहायक, नर्सिंग अर्दली/चपरासी/अटेंडेंट, नर्सिंग अर्दली, एम्बुलेंस अटेंडेंट, स्वीपर सह चौकीदार और सफाई कर्मचारी

**सिफारिश: सरकार को रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए।**

### 2.2.8.3 डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की अनुपातहीन तैनाती

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य असमानता का तात्पर्य स्वास्थ्य परिणामों में व्यवस्थित अंतर से है। स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण एक ऐसी स्थिति है जहां उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों को आबादी के बीच समान रूप से वितरित नहीं किया जाता।

सीडीएमओ (उत्तर पूर्व और पश्चिम) कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/सूचना (अप्रैल-मई 2023) की जांच से पता चला कि जिले के भीतर डॉक्टरों की तैनाती संबंधित डिस्पेंसरियों की लक्षित आबादी के अनुसार नहीं की गई थी। इसका डिस्पेंसरी वार विवरण **अनुलग्नक 2.6** में दर्शाया गया है।

प्रति डिस्पेंसरी 30000-50000 आबादी को सेवा देने के मानदंड के प्रति, उत्तर-पूर्व जिले में प्रति डॉक्टर वास्तविक आबादी 18,060 से 58,146 के बीच थी जबकि पश्चिम जिला में यह 6,728 से 40,000 थी।

### 2.2.8.4 एनएबीएल मान्यता के बिना डिस्पेंसरी प्रयोगशालाओं का कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की औषधि नीति सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर हर समय सुरक्षित, प्रभावी और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने की परिकल्पना करती है। इसके लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। नेशनल बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) की स्थापना सरकार को उद्योग संघों और उद्योग को सामान्य रूप से अनुरूपता आकलन निकाय की मान्यता की एक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें चिकित्सा तथा जांच प्रयोगशाला सहित परीक्षण की तकनीकी क्षमता के तीसरे पक्ष का आकलन शामिल है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की एलोपैथिक डिस्पेंसरियां दो प्रकार की प्रयोगशालाएं प्रदान करती हैं, अर्थात् बेसिक लैब्स (बीएल) और मदर लैब्स (एमएल)। बीएल, बुनियादी जांच परीक्षण जैसे मूत्र, रक्त शर्करा (फास्टिंग/पीपी), एचबी, एल्ब्यूमिन और परीक्षण करती है जिनके लिए केवल रैपिड किट की आवश्यकता होती है, जबकि एमएल में हेमटोलॉजी, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, केएफटी आदि जैसे विशेष परीक्षण किए जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों प्रयोगशालाएं एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थीं। एनएबीएल से मान्यता के अभाव में प्रयोगशालाओं की तकनीकी दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

### 2.2.9 जिला औषधि भंडार


दिल्ली में, छः<sup>19</sup> जिला औषधि भंडार (डीडीएस) हैं, जो 11 जिलों में सेवा प्रदान करते हैं। जिला औषधि भंडार केंद्रीय खरीद एजेंसी से दवाइयां/औषधियां प्राप्त करते हैं और उन्हें सीडीएमओ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न डिस्पेंसरियों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में वितरित करते हैं। चार चयनित जिलों को सेवा प्रदान करने वाले जिला औषधि भंडारों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

#### जिला औषधि भण्डार का संचालन

(ए) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-16 में एएएमसी के खुलने के बाद से, डीडीएस, दक्षिण उचित तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक वेंटिलेशन या एयर कंडीशनर के प्रावधान के बिना बेसमेंट में स्थित था। इसके अतिरिक्त, लगभग 97 एएएमसी जोड़ने के बावजूद भंडारण सुविधाओं में वृद्धि नहीं की गई। जगह की कमी के कारण, स्टोर प्राधिकारियों को इमारत के सीढ़ी क्षेत्रों पर दवाइयों रखने के लिए बाध्य होना पड़ा जैसा कि चित्र-2.2.2 में दर्शाया गया है।

इसी तरह, अन्य तीन चयनित डीडीएस, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और पश्चिम में भी दवाइयों के भंडारण के लिए जगह की कमी थी। दवाइयों को रखने के लिए रैंक जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। परिणामस्वरूप, दवाइयों के डिब्बे फर्श/शौचालय परिसर और सीढ़ियों पर रखे गए थे।

<sup>19</sup> दक्षिण-पूर्व/दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम/नई दिल्ली, उत्तर/केन्द्रीय, उत्तर-पूर्व, पूर्व/शाहदरा तथा पश्चिम/उत्तर-पश्चिम



चित्र 2.2.2: दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व के जिला औषधि भंडार में फर्श पर पड़ी दवाइयां

(बी) 2015-16 में एएएमसी की शुरुआत के बाद कार्यभार में वृद्धि के बावजूद जिला औषधि भंडार की स्वीकृत संख्या में वृद्धि नहीं की गई थी। यद्यपि इस मुद्दे को जिला भंडार द्वारा उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(सी) डीडीएस, दक्षिण ने आपदा प्रबंधन मानदंडों का अनुपालन नहीं किया क्योंकि परिसर में आग लगने की स्थिति में निकासी या आग बुझाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

इसी तरह, डीडीएस, उत्तर पूर्व और डीडीएस पश्चिम में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं थे या समाप्ति तिथि के बाद पाए गए/उचित स्थिति में नहीं थे।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2023) कि दक्षिण जिला अग्नि निकास के प्रावधान के लिए पीडब्ल्यूडी को बार-बार लिख रहा है और मुद्दों को चिह्नित कर रहा है। आगे यह भी कहा गया कि अग्निशामक यंत्रों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इसने अन्य मुद्दों की पुष्टि की लेकिन कोई टिप्पणी नहीं दी।

**सिफारिश:** सरकार को जिला औषधि भंडारों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए और अपने जिला भंडारों में आपदा प्रबंधन मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.2.9.2 डिस्पेंसरियों के ईडीएल के अनुसार नमूना जांच किए गए जिला भंडारों में दवाइयों की कमी

डिस्पेंसरियों के ईडीएल में 257 दवाइयाँ निर्धारित हैं। 2016-23 के दौरान, नमूना जांच किये गये जिला भंडारों की ईडीएल की वर्ष-वार उपलब्धता तालिका-2.2.14 में दी गयी है।

**तालिका-2.2.14: जिला भंडारों में दवाइयों की वर्ष-वार उपलब्धता**

वर्ष	ईडीएल में दवाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान उपलब्ध दवाइयों की औसत संख्या	उपलब्धता में कमी	
			संख्या में	प्रतिशत में
दक्षिण पश्चिम और नई दिल्ली जिले का आपूर्तिकर्ता जिला भंडार				
2016-17	257	210	47	18.29
2017-18	257	230	27	10.51
2018-19	257	226	31	12.06
2019-20	257	223	34	13.23
2020-21	257	190	67	26.07
2021-22	256	205	51	19.92
2022-23	256	223	33	12.89
दक्षिण और दक्षिण पूर्व जिले का आपूर्तिकर्ता जिला भंडार				
2016-17	257	210	47	18.29
2017-18	257	230	27	10.51
2018-19	257	226	31	12.06
2019-20	257	223	34	13.23
2020-21	257	160	97	37.74
2021-22	256	203	53	20.70
2022-23	256	229	27	10.55

स्रोत: जिला भंडारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

तालिका-2.2.14 से देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान एक जिला भंडार में आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) की 10 से 26 प्रतिशत दवाइयों उपलब्ध नहीं थीं, जबकि 10 से 37 प्रतिशत दवाइयों दूसरे जिला भंडार में उपलब्ध नहीं थीं।

उपर्युक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि डिस्पेंसरियां सभी आवश्यक दवाइयों के साथ मरीज देखभाल प्रदान करने की स्थिति में नहीं थीं।

दक्षिण पश्चिम जिले ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अक्तूबर 2023)। अन्य जिलों से उत्तर प्रतीक्षित था।

**सिफारिश:** सरकार को अपने जिला औषधि भंडारों में एएएमसी और डिस्पेंसरियों दोनों के लिए सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

## 2.2.10 आयुष निदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने स्वास्थ्य देखभाल वितरण में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) जैसी चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और इन प्रणालियों में अनुसंधान करने और शिक्षा का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीएचएंडएफडब्ल्यू) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली (आईएसएमएंडएच) का एक अलग विभाग स्थापित किया (मई 1996)। वर्ष 2013 में आईएसएमएंडएच का नाम बदलकर आयुष निदेशालय (निदेशालय) कर दिया गया।

निदेशक की अध्यक्षता में यह निदेशालय, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समग्र देखरेख में कार्य करता है। यह अपनी डिस्पेंसरियों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 55 आयुर्वेदिक, 25 यूनानी और 116 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां हैं।

### 2.2.10.1 निधि की पर्याप्तता

2016-23 की अवधि के दौरान डिस्पेंसरियां चलाने के लिए निधि के आवंटन और व्यय को तालिका-2.2.15 में दिया गया है।

#### तालिका-2.2.15: बजट आवंटन और उपयोग 2016-2023

(₹ करोड़ में)

विभाग	बजट आवंटन/प्राप्त अनुदान	किया गया व्यय
आयुष निदेशालय	237.11	182.47
होम्योपैथिक विंग	271.88	262.47
<b>कुल</b>	<b>508.99</b>	<b>444.94</b>

तालिका-2.2.15 से यह देखा जा सकता है कि आयुष गतिविधियों के प्रबंधन के लिए ₹ 508.99 करोड़ के आवंटन के प्रति ₹ 444.94 करोड़ (87.42 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

### 2.2.10.2 आयुष डिस्पेंसरियों में अपर्याप्त अवसंरचना एवं स्थान

आईपीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार परामर्श, प्रतीक्षा क्षेत्र, दवा वितरण और दवाइयों के भंडारण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु डिस्पेंसरियों को चलाने के लिए दो कमरे की संरचना आवश्यक है। पीएचसी को जलजमाव क्षेत्र से दूर होना चाहिए। प्रतीक्षा क्षेत्र में मरीजों के भार के अनुसार प्रतीक्षा/मरीजों के लिए पर्याप्त स्थान और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतीक्षा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पंखे, कूलर, बेंच या कुर्सियाँ होनी चाहिए। मरीजों के प्रतीक्षा क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग पर्याप्त पानी की आपूर्ति वाले शौचालय उपलब्ध होने चाहिए। एक बंद शिकायत/सुझाव बॉक्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उचित पावर बैकअप/इन्वर्टर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाओं में कोई व्यवधान न हो और टीकों और डायग्नोस्टिक्स के लिए कोल्ड चेन को ठीक से अनुरक्षण किया जाए।

अप्रैल/मई 2023 के दौरान 49 डिस्पेंसरियों<sup>20</sup> के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से निम्नलिखित पता चला:

- एक कमरे की संरचना में सात डिस्पेंसरियां चालु थीं।
- पांच<sup>21</sup> डिस्पेंसरियां बिना प्रतीक्षा क्षेत्र या मरीजों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था के बिना कार्यरत थीं।
- अधिकांश आयुष डिस्पेंसरियां एलोपैथिक डिस्पेंसरियों के साथ सह-स्थित हैं जो बिना किसी लिफ्ट सुविधा के इमारत की पहली या दूसरी मंजिल पर स्थित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई रैम्प सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- एक आयुर्वेद डिस्पेंसरी<sup>22</sup> में डॉक्टर के लिए कुर्सी एवं टेबल उपलब्ध नहीं पाई गईं।

<sup>20</sup> 19 आयुर्वेदिक, 8 यूनानी और 22 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों का निरीक्षण किया गया

<sup>21</sup> सीलमपुर, जाफरपुर (यूनानी), रंजीत नगर, द्वारका सेक्टर 17 (आयुर्वेद) और दक्षिणपुरी (होम्योपैथी)

<sup>22</sup> सोनिया विहार डिस्पेंसरी

- निरीक्षण की गई 49 डिस्पेंसरियों में से 17 में पावर बैकअप उपलब्ध नहीं था, सात डिस्पेंसरियों में मरीजों के लिए कार्यशील शौचालय नहीं थे और 14 डिस्पेंसरियों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी।



चित्र-2.2.3: शौचालय कार्यशील नहीं थे।

निदेशालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि वह कैफेटेरिया अप्रोच<sup>23</sup> के अंतर्गत मौजूदा दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में नई इकाइयां खोलता है। कुछ डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक में पुनर्गठित करने के लिए निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये एक कमरे से संचालित हो रही हैं। इसमें आगे बताया गया कि जहां भी संभव हो सका, सुधारात्मक उपाय किए गए हैं तथापि कोई और विवरण नहीं दिया गया।

**सिफारिश: सरकार को अपनी आयुष डिस्पेंसरियों में सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।**

### 2.2.10.3 आयुष डिस्पेंसरियों का आंशिक रूप से कार्यात्मक होना

सभी डिस्पेंसरियों को सप्ताह में छह दिन कार्य करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टाफ की कमी के कारण, कई आयुष डिस्पेंसरियां छह दिनों से कम समय के लिए काम कर रही थी (मार्च 2023), जिससे मरीज देखभाल सेवाओं की उपलब्धता प्रभावी ढंग से कम हो गई, जैसा कि तालिका-2.2.16 में बताया गया है।

<sup>23</sup> रा.रा.क्ष.दि.स. के कैफेटेरिया अप्रोच के अंतर्गत, आयुष डिस्पेंसरियों को एक ही स्थान पर दोनों सेवाएं प्रदान करने के लिए एलोपैथिक डिस्पेंसरियों/अस्पतालों के साथ सह-स्थित किया जाना है।

तालिका-2.2.16: आंशिक रूप से कार्यरत डिस्पेंसरियों का विवरण

वर्ग	कुल डिस्पेंसरियां	कार्यरत दिनों की संख्या		
		6 दिन	तीन दिन	एक-दो दिन
आयुर्वेदिक	55	18	36	1
यूनानी	25	7	17	1
होम्योपैथी	116	99	13	4

स्रोत: विभाग का उत्तर

उपर्युक्त तालिका-2.2.16 से देखा जा सकता है कि 67 प्रतिशत आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां, 72 प्रतिशत यूनानी डिस्पेंसरियां और 14 प्रतिशत होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां सप्ताह में पूरे छह दिन काम नहीं कर रही थी जिससे स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता कम हो गई थी।

निदेशालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि पदों के सृजन का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

#### 2.2.10.4 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत डिस्पेंसरियों को स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में अपग्रेड नहीं किया गया

भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष डिस्पेंसरियों को आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में अपग्रेड करने के लिए गैर-आवर्ती लागत के रूप में ₹ 6.85 लाख और प्रति डिस्पेंसरी आवर्ती लागत के रूप में ₹ 9.37 लाख प्रति वर्ष प्रदान करती है। इस योजना में प्रत्येक डिस्पेंसरी में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, चिकित्सा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, आईईसी गतिविधियां आदि शामिल हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया है और इसलिए यह डिस्पेंसरियों को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए धन का लाभ नहीं उठा सका। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. ने न तो एचडब्ल्यूसी बनाए और न ही अपनी डिस्पेंसरियों में सेवाओं में सुधार किया ताकि जनता को चिकित्सा की आयुष प्रणाली के सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराए जा सकें।

निदेशालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि राज्य आयुष सोसायटी की स्थापना का प्रस्ताव, जिसे एनएएम के अंतर्गत निधि प्राप्त करना अनिवार्य है, सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

**सिफारिश:** सरकार को केंद्रीय योजना का लाभ उठाने के लिए तत्काल रूप से राज्य की आयुष सोसायटी स्थापना पर विचार करना चाहिए।

#### 2.2.10.5 आयुष डिस्पेंसरियों में ओपीडी

2016-23 के बीच आयुष डिस्पेंसरियों में आने वाले ओपीडी मरीजों की उपस्थिति तालिका-2.2.17 में दी गई है।

**तालिका-2.2.17: आयुष डिस्पेंसरियों में ओपीडी मरीज**

वर्ष	आयुर्वेद	यूनानी	होम्योपैथी	कुल
2016-17	746171	451011	2275663	3472845
2017-18	755470	493092	1843209	3091771
2018-19	668411	392079	1939883	3000373
2019-20	449024	171733	1991395	2612152
2020-21	262517	207965	1198775	1669257
2021-22	469639	269765	1280872	2020276
2022-23	671317	433905	1708114	2813336

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

ओपीडी मरीजों की संख्या 2016-17 में 34.72 लाख से (19 प्रतिशत) घटकर 2022-23 में 28.13 लाख हो गई। 2016-17 से 2022-23<sup>24</sup> की अवधि के दौरान प्रति डिस्पेंसरी प्रतिदिन मरीज भार घटकर 62 से 18 (आयुर्वेद), 75 से 58 (यूनानी) और 74 से 49 (होम्योपैथी) हो गया।

मरीजों की घटती संख्या इन डिस्पेंसरियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रति मरीजों की कम संतुष्टि का संकेत है।

निदेशालय ने बताया (अक्टूबर 2023) कि मरीजों की संख्या में गिरावट का कारण डॉक्टरों की कमी के कारण डिस्पेंसरियों का आंशिक रूप से कार्य करना है। इसमें आगे कहा गया है कि आयुष निदेशालय द्वारा आयुष प्रणालियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

<sup>24</sup> कोविड काल के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है

### 2.2.10.6 आयुष में कर्मचारियों की कमी

आयुष निदेशालय और डिस्पेंसरियों में कर्मचारियों की भारी कमी थी। मार्च 2023 तक आयुष निदेशालय में कर्मचारियों की कुल कमी 47.78 प्रतिशत थी जैसा कि तालिका-2.2.18 में दिया गया है।

**तालिका-2.2.18: आयुष निदेशालय में कर्मचारियों की स्थिति**

विभाग का नाम	स्वीकृत संख्या	तैनात कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्तियाँ (प्रतिशत में)	रिक्त पद पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या
आयुष निदेशालय (आयुर्वेद एवं यूनानी विंग)	229	118	111	48.47	48
होम्योपैथिक विंग	357	188	169	47.34	110
<b>कुल</b>	<b>586</b>	<b>306</b>	<b>280</b>	<b>47.78</b>	<b>158</b>

स्रोत: विभागीय अभिलेख एवं उत्तर

प्रत्येक डिस्पेंसरी में ओपीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ), एक फार्मासिस्ट और एक नर्सिंग अर्दली/सहायक तैनात किया जाना है। डिस्पेंसरियों में कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति (मार्च 2023) तालिका-2.2.19 में दी गई है।

**तालिका-2.2.19: आयुष डिस्पेंसरियों में कर्मचारियों की स्थिति**

विभाग/संस्था का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पद	रिक्तियाँ (प्रतिशत में)
आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां	121	91	30	24
यूनानी डिस्पेंसरियां	63	43	20	31
होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां	285	182	103	36
<b>कुल</b>	<b>469</b>	<b>316</b>	<b>153</b>	<b>33</b>

तालिका-2.2.19 से देखा जा सकता है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में कर्मचारियों की कुल कमी क्रमशः 24 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 36 प्रतिशत थी (मार्च 2023)।

2016-2023 की अवधि के दौरान, डिस्पेंसरियों में चिकित्सा अधिकारियों और फार्मासिस्टों की भारी कमी थी।

आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की वार्षिक कमी क्रमशः छह से 27 प्रतिशत, 18 से 41 प्रतिशत और पांच से 23 प्रतिशत तक थी।

इसी तरह, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में फार्मासिस्टों की वार्षिक कमी क्रमशः 39 से 53 प्रतिशत, 61 से 67 प्रतिशत और 35 से 41 प्रतिशत तक थी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी डिस्पेंसरियों खोलने के बावजूद, निदेशालय ने नए पद सृजित नहीं किए थे। कर्मचारियों की कमी के कारण, कई डिस्पेंसरियों आंशिक रूप से चालू थीं और सप्ताह में केवल तीन दिन ही चल रहे थे।

49 डिस्पेंसरियों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (अप्रैल/मई 2023), यह देखा गया कि 17 डिस्पेंसरियों में सप्ताह में दो से चार दिन डॉक्टर उपलब्ध थे जबकि 16 डिस्पेंसरियों में फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं थे।

निदेशालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि रिक्त पदों की भर्ती के लिए डीएसएसएसबी और यूपीएससी को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

**सिफारिश: आयुष डिस्पेंसरियों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।**

**2.2.10.7 डिस्पेंसरियों में आवश्यक आयुष औषधियों की उपलब्धता का अभाव**  
डिस्पेंसरियों के लिए अनुमोदित 2018 की आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में 110 आयुर्वेद, 104 यूनानी और 200 होम्योपैथी दवाइयाँ हैं। डिस्पेंसरियां माँग पत्र के माध्यम से माँग जमा करके आयुष के केंद्रीय औषधि भंडार से दवाइयाँ खरीदती हैं।

2018-23 की अवधि के लिए केंद्रीय औषधि भंडार के स्टॉक रजिस्ट्रों की जांच से पता चला कि 2018-23 के दौरान, 104 यूनानी आवश्यक दवाइयों में से केवल 17 और 110 आयुर्वेदिक आवश्यक दवाइयों में से केवल तीन उपलब्ध थीं, जबकि 15 आयुर्वेदिक दवाइयाँ और 18 यूनानी दवाइयाँ संपूर्ण अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं थीं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयाँ की उपलब्धता का विवरण तालिका-2.2.20 में दिया गया है।

**तालिका-2.2.20: 2018-23 के दौरान वह अवधि जिसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी**

दवा की श्रेणी	कुल आवश्यक दवाइयाँ	पूरी अवधि के लिए उपलब्ध दवाइयाँ	वह अवधि जिसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी			
			6-12 महीने	13-36 महीने	37-59 महीने	पूरी अवधि के लिए अनुपलब्ध दवाइयाँ
आयुर्वेद	110	3	4	87	1	15
यूनानी	104	17	15	52	2	18

इसी प्रकार, होम्योपैथी श्रेणी में 200 आवश्यक दवाइयाँ में से 2017-19 में आठ दवाइयाँ, 2019-21 में 14 दवाइयाँ और 2021-23 में 8 दवाइयाँ की खरीद नहीं की गई थी।

इस प्रकार केंद्रीय औषधि भंडार में स्टॉक की कमी के कारण, डिस्पेंसरियों द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र के प्रति दवाइयाँ की प्राप्ति में कमी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 37 मांगपत्रों (2016-23) में, मांग की गई 50 प्रतिशत तक दवाइयाँ डिस्पेंसरियों को प्राप्त नहीं हुई थी।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि तालिका 2.2.21 के अनुसार चयनित डिस्पेंसरियों<sup>25</sup> में औसतन 42 प्रतिशत आयुर्वेद दवाइयाँ और 56 प्रतिशत यूनानी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थीं।

**तालिका-2.2.21: निरीक्षण की गई डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ की उपलब्धता का अभाव**

श्रेणी	डिस्पेंसरियों की कुल संख्या	निरीक्षण की गई इकाइयों की संख्या	आवश्यक दवाइयाँ की संख्या	उपलब्ध दवाइयाँ की औसत संख्या	अनुपलब्ध दवाइयाँ की औसत संख्या (प्रतिशत में)
आयुर्वेद	55	19	110	63	47(42%)
यूनानी	25	8	104	45	59(56%)
होम्योपैथी	116	22	200	187	13(6%)

डिस्पेंसरियों के लिए आवश्यक दवाइयाँ की खरीद और आपूर्ति में निदेशालय की विफलता ने ईडीएल तैयार करने के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया और मरीजों

<sup>25</sup> आयुर्वेद की 55 में से 19, यूनानी की 25 में से 8 और होम्योपैथी की 116 में से 22 डिस्पेंसरियों का निरीक्षण किया गया।

को प्रभावी रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए डिस्पेंसरियों की क्षमता से भी समझौता किया।

निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2023) कि निविदा प्रक्रिया में विभिन्न मुद्दों के कारण दवाइयों की खरीद नहीं की जा सकी। अब, मेसर्स आईएमपीसीएल द्वारा निर्मित उत्कृष्ट आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, और जेम पोर्टल से खरीद की जा रही है।

#### **2.2.10.8 आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयों की खरीद में देरी**

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया (नवंबर 2008) कि आयुष दवाइयों की खरीद केंद्र और राज्य सरकार के उद्यम जैसे मेसर्स इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के माध्यम से की जानी चाहिए, जो वास्तव में इन दवाइयों का निर्माण कर रहा है और जिससे घटिया दवाइयों से बच जा सकें।

तदनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. ने मेसर्स इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) से आयुष दवाइयों खरीदने का निर्णय लिया (नवंबर 2008) क्योंकि निविदा प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार से न्यूनतम मूल्य पर खरीदी गई दवाइयों मानक के अनुरूप नहीं थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशालय ने सीधे आईएमपीसीएल से (2018-19 से आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों की खरीद बंद कर दी, जो उसकी अपनी नीति के विरुद्ध था क्योंकि आईएमपीसीएल को दवाइयों की खरीद के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी (नवंबर 2008/ अक्टूबर 2016)। इसके अतिरिक्त, आईएमपीसीएल से सीधे खरीद करने के बजाय, आयुष निदेशालय ने तीन बार निविदाएं शुरू कीं, जिनमें से दो को बाद में मुकदमेबाजी के कारण रद्द कर दिया गया।

अंततः, तीसरी निविदा के दौरान (मई 2019), सितंबर 2020 में 214 ईडीएल ए एंड यू दवाइयों में से 198 की आपूर्ति के लिए 22 बोलीदाताओं का चयन किया गया, जबकि कोई भी बोलीदाता 16 दवाइयों के लिए योग्य नहीं था।

यह देखा गया कि दो बोली लगाने वाले जो 89 दवाइयों के लिए योग्य थे, उन्हें बाद में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा दो वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया (फरवरी 2020) और निदेशालय ने इन एजेंसियों से कोई दवाई नहीं खरीदने का फैसला किया, तथापि, तथ्यों को छुपाने के लिए इसने कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।

इस बीच में, दिसंबर 2019 में मेसर्स आईएमपीसीएल से आवश्यक ए एंड यू दवाइयों की खरीद के लिए एक मंत्रिमंडल नोट को मंजूरी दी गई थी और दिसंबर 2019 में खरीद आदेश जारी किए गए थे, भले ही वित्त विभाग ने आईएमपीसीएल से दवाइयों की सीधी खरीद के लिए स्पष्ट अनुमोदन दिया था (2008/2016)।

परिणामस्वरूप, 2018-20 की अवधि के दौरान (दिसंबर 2019 तक), अधिकांश दवाइयों भंडार में अनुपलब्ध रही और जनवरी 2020 के बाद से आपूर्ति आईएमपीसीएल से प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त जेम पोर्टल की शुरुआत के बाद, खरीदार सीधे जेम पर दवाइयों के लिए मेसर्स आईएमपीसीएल को ऑर्डर दे सकता है।

मई 2022 में, निदेशालय ने वर्ष 2022-23 के लिए डिस्पेंसरियों द्वारा उठाई गई वार्षिक मांग के आधार पर ₹ 3.31 करोड़ की लागत से आईएमपीसीएल से विभिन्न आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया। तथापि, वित्त सदस्य ने जीएफआर के नियम 149 (iii) के संदर्भ में खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दवाइयों खरीदने का सुझाव दिया, जबकि इन दवाइयों को सीधे आईएमपीसीएल से खरीदने के लिए विभिन्न निर्देश और आदेश उपलब्ध थे। अंततः, निदेशालय ने 3 फरवरी 2023 को जेम पोर्टल पर एक बोली जारी की थी। दवाइयां अभी तक खरीदी नहीं गई थीं (मई 2023)।

निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2023) कि निविदा प्रक्रिया में विभिन्न मुद्दों के कारण दवाइयों की खरीद नहीं की जा सकी। अब, उत्कृष्ट आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयों मेसर्स आईएमपीसीएल द्वारा निर्मित जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं और जेम पोर्टल से ही खरीद की जा रही है।

**सिफारिश:** सरकार को अपनी डिस्पेंसरियों में सभी आवश्यक आयुष दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

#### 2.2.10.9 आयुष के लिए ईडीएल को नियमित आधार पर अद्यतित नहीं किया गया

अप्रैल 1994 में बनाई गई रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की औषधि नीति में एक विशेष समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष आवश्यक दवाइयों की एक सूची तैयार करने का प्रावधान है। यह पाया गया कि डिस्पेंसरियों के लिए आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों के ईडीएल को लेखापरीक्षा की अवधि (2016-17 से 2022-23) के दौरान केवल 2018 में केवल एक बार अद्यतित किया गया था।

निदेशालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2022 में प्रकाशित “आवश्यक आयुष दवाइयों की राष्ट्रीय सूची” के आधार पर विभाग ने आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के लिए अपने ईडीएल की समीक्षा की है। आयुष निदेशालय के होम्योपैथिक विंग ने ईडीएल और होम्योपैथिक दवाइयों के फॉर्मूलरी में संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू की।

#### 2.2.10.10 भंडार रजिस्टर में शेष को गलत तरीके से आगे बढ़ाने के कारण दवाइयों की हानि

केन्द्रीय औषधि भंडार द्वारा अनुरक्षण किए गए आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों के भंडार रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पांच मामलों में भंडार जारी करते समय या तो शेष की सही ढंग से गणना नहीं की गई थी या वर्ष के अंत में अंतिम शेष को अगले वर्ष के प्रारंभिक शेष के रूप में सही ढंग से नहीं दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप भंडार की हानि हुई जो तालिका-2.2.22 में दर्शाई गई है।

**तालिका-2.2.22: भंडार के अंतिम शेष में अंतर**

क्र.सं.	औषधि का नाम	तारीख	वास्तविक अंतिम शेष	रजिस्टर में दिखाया गया अंतिम शेष	अंतर
1.	कुमार्यासव 200 मि.ली.	18.02.20	5849	5845	4
2.	कुमार्यासव 200 मि.ली.	17.03.20	12745	12695	50
3.	अरविन्दसव 200 मि.ली.	26.10.21	18170	18026	144
4.	हब -ए- असगंद 30 गोलियां	15.12.16	2750	2700	50
5.	30 एपोसाइनम	01.04.17	100	98	2

यह इन्वेंटरी की कमजोर निगरानी को दर्शाता है।

निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2023) कि भविष्य में ऐसी त्रुटि को रोकने के लिये सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।

#### 2.2.10.11 सभी आयुष डिस्पेंसरियों में लैब टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है

49 आयुष डिस्पेंसरियों के संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि नौ डिस्पेंसरियों में कोई लैब सुविधा उपलब्ध नहीं थी। व्यवस्था के अनुसार आयुष डॉक्टरों द्वारा निर्धारित लैब परीक्षण, सह-स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरियों/पॉलीक्लिनिकों की व्यवस्था से किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डॉक्टरों द्वारा यह सूचित किया गया कि आयुष डॉक्टरों के प्रयोगशाला परीक्षण नुस्खे पर प्रयोगशाला द्वारा तब तक विचार नहीं किया गया जब तक कि एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गई। यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बहुत कम प्राथमिकता दिए जाने को दर्शाता है।

#### 2.2.10.12 आयुष डिस्पेंसरियों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवाओं की अनुपलब्धता

योग, रोगों की रोकथाम और जीवनशैली से संबंधित कई विकारों के उपचार पर केंद्रित है। प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य शरीर से बीमारियों और रूग्ण पदार्थों को खत्म करना है ताकि वैकल्पिक उपचारों सहित प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके। आयुष निदेशालय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को उपलब्ध सेवाओं के रूप में प्रदर्शित कर रहा है।

यह पाया गया कि निदेशालय ने योग प्रशिक्षक का पद सृजित नहीं किया है और कोई भी आयुष डिस्पेंसरी योग और प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं कर रही थी। इस प्रकार, आयुष निदेशालय, जिसका उद्देश्य योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना था, ने अपने डिस्पेंसरियों के माध्यम से नागरिकों के बीच उन्हें बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।

निदेशालय ने बताया (अक्टूबर 2023) कि योग की ओपीडी सेवाएं शुरू करने के लिए योग प्रशिक्षकों/चिकित्सकों के पदों के सृजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

### 2.3 गुरु तेग बहादुर अस्पताल के उदासीन रवैये के कारण ₹ 70.21 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ

कार्य सौंपे जाने से पूर्व वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 2008 का पालन न करने के कारण अनुबंध रद्द कर दिया गया और अनुबंध के उल्लंघन के लिए ठेकेदार को ₹ 70.21 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 2008 का नियम 50 (ए) सुरक्षा और स्वच्छता सेवाओं की बहाली हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल (अस्पताल) ने सितंबर, 2012 में सुरक्षा सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किया था। मेसर्स गौरव एंटरप्राइजेज को एल-1 घोषित किया गया और दो वर्ष की अवधि के लिए वाच एवं वार्ड/डोरकीपिंग सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध देने का अनंतिम प्रस्ताव एजेंसी को दिया गया। 19 जुलाई, 2013 को ठेकेदार को अंतिम कार्य सौंपा गया। चिकित्सा अधीक्षक के निर्देश पर, 30 जुलाई 2013 को ठेकेदार को एक और पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि अगले आदेश तक ठेके का अनुबंध देना स्थगित रखा गया है।

बाद में, सुरक्षा के कार्य को सौंपने से संबंधित फाइल 30 जुलाई 2013 को सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) को मंजूरी के लिए भेजी गई थी। तथापि, सचिव ने अस्पताल से यह पूछा कि सचिव से अनुबंध समझौते की मंजूरी लिए बिना कार्य कैसे सौंपा गया। विभाग ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और अक्टूबर 2013 में निविदा रद्द करने का निर्देश दिया। तदनुसार अस्पताल द्वारा निविदा रद्द कर दी गई और फरवरी 2014 में विक्रेताओं को सूचित किया गया।

इसके बाद, एजेंसी ने माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की और दावा किया कि अस्पताल के इरादे गलत थे क्योंकि अनुबंध को पहले स्थगित रखा गया था और फिर बिना कोई कारण बताए बिना रद्द कर दिया गया। विक्रेता द्वारा निष्क्रिय शुल्क के कारण ₹ 1,67,09,139 क्षति पर मुआवजे और नुकसान

के कारण ₹ 77,75,716 व्यवसाय के अवसर के नुकसान के कारण ₹ 25,00,000 कानूनी खर्चा और 18 प्रतिशत के भविष्य के ब्याज के कारण ₹ 3,00,00,00 का दावा किया गया था। अस्पताल ने उत्तर दिया कि पार्टियों के बीच न तो किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और न ही किसी भी समय कोई वैध अनुबंध विद्यमान था। स्वीकृति की सूचना के बाद, विक्रेता को 31 जुलाई 2013 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था और हस्ताक्षर करने से पहले, कार्य को स्थगित रखने के संबंध में 30 जुलाई 2013 को एक पत्र भेजा गया था।

6 मई 2019 को अपने फैसले में, माननीय न्यायाधिकरण ने कहा कि अस्पताल द्वारा अनुबंध रद्द करना अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था तथा अस्पताल इस तरह के उल्लंघन से होने वाले किसी भी और सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, मैसर्स एंटरप्राइजेज को ₹ 67,20,572 का दावा राशि के साथ-साथ दावा दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक अनुबंध की तारीख पर प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से दो प्रतिशत अधिक ब्याज का भुगतान किया जाना था और कार्यवाही की लागत के रूप में ₹ 3,00,000 की राशि का भुगतान अस्पताल द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, अस्पताल ने ठेकेदार को ₹ 70,20,572 की राशि का भुगतान किया।

अस्पताल ने कहा (सितंबर 2022) कि यदि इस अस्पताल के लेखा पदाधिकारियों से जानकारी ली गई होती तो ₹ 70,20,572 के खर्च से बचा जा सकता था। अब वित्तीय निहितार्थ वाले मामले को लेखा पदाधिकारियों के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसके अलावा, विक्रेता को ₹ 70,20,572 का भुगतान करते समय, ब्याज घटक को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

इस प्रकार, अस्पताल द्वारा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 2008 का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 70.21 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला अक्टूबर 2022 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है।

## सूचना एवं प्रचार निदेशालय

### 2.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विज्ञापन और प्रचार व्यय पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2018-22 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के विज्ञापन और प्रचार में 2018-19 में 46.90 करोड़ से 2021-22 में 612.81 करोड़ तक 12 गुना से अधिक की घातीय वृद्धि हुई। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी), रा.रा.क्षे.दि.स. ने सरकारी विज्ञापन सामग्री विनियमन पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों तथा सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन अभियान जारी किए क्योंकि ये गलत, असत्यापित और अनुचित पाए गए थे।

यह संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार का कर्तव्य है कि वह सरकार के संवैधानिक और कानूनी दायित्व के साथ-साथ नागरिकों के अधिकार और हकों के लिए प्रासंगिक विज्ञापन प्रदान करे। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 मामलों में, प्रिंट विज्ञापन रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर जारी किए गए थे और रा.रा.क्षे. दिल्ली के नागरिकों के प्रति या रा.रा.क्षे. दिल्ली की आबादी को सरकारी योजनाओं और पहल के बारे में सूचित करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों से जुड़े नहीं थे, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा था। जुलाई 2020 से मार्च 2022 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर जारी किए गए प्रिंट विज्ञापनों के लिए डीआईपी पर ₹ 77.91 करोड़ (₹ 57.81 करोड़ का भुगतान) की देनदारी हुई।

जनसंपर्क, सोशल और डिजिटल मीडिया प्रबंधन एवं रा.रा.क्षे.दि.स. की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों के लाइव स्क्रीनिंग के लिए निजी क्षेत्र से जुड़ी एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए निगरानी तंत्र का या तो अभाव था या कमजोर था तथा एजेंसियों द्वारा आरएफपी शर्तों का पालन नहीं किए जाने के बावजूद एजेंसियों को भुगतान जारी किए गए थे।

बजट नियंत्रण कमजोर था क्योंकि बजट की उपलब्धता के बिना ही देनदारी का भुगतान किया गया था। 2019-20 से 2021-22 के दौरान, मार्च महीने में व्यय में तेजी देखी गई जो 25.60 प्रतिशत (2021-22) से 51.88 प्रतिशत (2019-20)

तक थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी विज्ञापन के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का समाधान करने का तंत्र या तो अपर्याप्त था या मौजूद ही नहीं था।

सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों के बारे में सूचना देने तथा प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है और सभी विभागों की प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सभी विज्ञापनों पर व्यय (रा.रा.क्षे.दि.स. के कुछ विभागों को छोड़कर, जिन्हें विज्ञापनों के लिए न्यूनतम बजट मिलता है) डीआईपी<sup>26</sup> के बजट से पूरा किया जाता है। डीआईपी एक विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थापित एक सोसायटी "शब्दार्थ"<sup>27</sup> (जून 2015) के माध्यम से सभी विज्ञापन प्रसारित करता है।

विषयवस्तु विनियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश (मई 2015) सरकारी विज्ञापन विभाग ने निम्नलिखित मापदंड प्रदान किए हैं:


- (i) विज्ञापन अभियान सरकारी जिम्मेदारियों से संबंधित होंगे।
- (ii) विज्ञापन सामग्री वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और सुलभ तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए।
- (iii) विज्ञापन सामग्री वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए तथा उसका उद्देश्य सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना नहीं होना चाहिए।
- (iv) विज्ञापन अभियान को ठीक ठहराया जाना चाहिए तथा उसे कुशल और लागत प्रभावी तरीके से चलाया जाना चाहिए।
- (v) सरकारी विज्ञापन को कानूनी आवश्यकताओं और वित्तीय विनियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा।

<sup>26</sup> रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण और पर्यावरण विभागों सहित कुछ विभागों को छोड़कर, जिन्हें वस्तु शीर्ष 26-विज्ञापन और प्रचार के अंतर्गत अलग से नाममात्र का बजट प्रदान किया जाता है।

<sup>27</sup> शब्दार्थ सरकारी विभागों की आवश्यकता के अनुसार निष्पादन विज्ञापनों के लिए डिज़ाइन तैयार करता है और रेडियो जिंगल/विज्ञापन भी बनाता है और इसके लिए मीडिया द्वारा विज्ञापनों पर सरकार को दी जाने वाली 15 प्रतिशत छूट को बरकरार रखता है। शब्दार्थ की स्थापना से पहले, सरकारी विज्ञापन सूचीबद्ध निजी विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से भेजे जाते थे।

इसके अलावा, जून 2016 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागाध्यक्षों (एचओडी) के पास डीएवीपी<sup>28</sup> द्वारा निर्धारित दरों पर विज्ञापनों के लिए व्यय स्वीकृत करने का पूरा अधिकार है। एसओपी के अनुसार, मीडिया में जारी करने के लिए डीआईपी को विज्ञापन अग्रेषित करने से पहले विभागाध्यक्ष को एक प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है कि विज्ञापनों की सामग्री मई 2015 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। विज्ञापन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और अनुमोदन की प्रक्रिया चार्ट-2.4.1 में दी गई थी।

### चार्ट-2.4.1: रा.रा.क्षे.दि.स. में विज्ञापन की प्रक्रिया



लेखापरीक्षा ने 2019-22 की अवधि के लिए डीआईपी के अभिलेखों की नमूना जांच की और रा.रा.क्षे.दि.स. के नौ<sup>29</sup> अन्य विभागों का चयन किया, जिन्होंने 2019-22 के दौरान जारी विज्ञापनों की संख्या के आधार पर डीआईपी/ शब्दार्थ के माध्यम से अपने विज्ञापन और प्रचार अभियान प्रकाशित किए। लेखापरीक्षा का उद्देश्य रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों के प्रचार पर

<sup>28</sup> केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) की स्थापना 8 दिसंबर, 2017 को पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत और नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) के एकीकरण द्वारा की गई थी।

<sup>29</sup> (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (ii) शिक्षा, (iii) शहरी विकास, (iv) पर्यावरण, (v) परिवहन, (vi) उच्च शिक्षा, (vii) लोक निर्माण, (viii) प्रशासनिक सुधार और (ix) विकास।

किए गए व्यय में मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता का पता लगाना और डीआईपी द्वारा चलाए गए विज्ञापन के संबंध में सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का अनुपालन करना था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस 25 मई 2023 को आयोजित की गई थी और जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के उत्तर, जहां भी प्राप्त हुए, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

#### 2.4.1 बजट एवं व्यय

2018-22 की अवधि के दौरान, डीआईपी ने वस्तु शीर्ष-विज्ञापन और प्रचार तथा अन्य शुल्क के तहत आवंटित बजट से रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों को प्रचारित करने पर होने वाले व्यय को पूरा किया। इसके अलावा, रा.रा.क्षे.दि.स. के कुछ अन्य विभागों को वस्तु शीर्ष विज्ञापन एवं प्रचार के तहत बजट प्रदान किया गया था। विज्ञापन और प्रचार पर रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट और व्यय के विवरण इस प्रकार थे:


तालिका-2.4.1: बजट एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीआईपी के लिए बजट	डीआईपी द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय	रा.रा.क्षे.दि.स. के अन्य विभागों के लिए बजट	अन्य विभागों द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय	रा.रा.क्षे.दि.स. का कुल बजट	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विज्ञापन पर कुल व्यय	पिछले वर्ष की तुलना में विज्ञापन और प्रचार पर व्यय में % वृद्धि
2018-19	100.00	45.55	2.43	1.35	102.43	46.90	---
2019-20	200.00	199.99	1.77	0.82	201.77	200.81	328.17
2020-21	326.00	293.20	10.65	7.79	336.65	300.99	49.89
2021-22	604.47	591.34	26.02	21.47	630.49	612.81	103.60

तालिका-2.4.1 से देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2021-22 के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर व्यय ₹ 46.90 करोड़ (2018-19) से (1,226 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 612.81 करोड़ (2021-22) हो गया। 2021-22 के दौरान विज्ञापनों पर ₹ 612.81 करोड़ रुपये का व्यय 2020-21 के व्यय के दोगुने से भी अधिक था। 2018-22 की अवधि के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.4.2 में दर्शाई गई है:

**चार्ट 2.4.2: 2018-22 के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर रा.रा.क्षे.दि.स. के व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)**



2018-19 से 2021-22 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल प्राप्तियों और व्यय की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विज्ञापन और प्रचार पर किया गया व्यय तालिका-2.4.2 में दर्शाया गया है।

**तालिका-2.4.2: राजस्व व्यय की तुलना में विज्ञापन पर व्यय**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियां	रा.रा.क्षे.दि.स. का राजस्व व्यय	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विज्ञापन पर व्यय.	राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में विज्ञापन
2018-19	43,113	36,852	46.90	0.11	0.13
2019-20	47,136	39,637	200.81	0.43	0.51
2020-21	41,864	40,414	300.99	0.72	0.74
2021-22	49,313	46,043	612.81	1.24	1.33

तालिका-2.4.2 से देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, विज्ञापन और प्रचार पर व्यय 2018-19 में 0.13 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 1.33 प्रतिशत हो गया। साथ ही, 2020-21 के दौरान, जब रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां ₹ 5,172 करोड़ (₹ 47,136 करोड़ - ₹ 41,864 करोड़) यानी 11.18 प्रतिशत कम हो गईं तो विज्ञापनों पर व्यय ₹ 100.18 करोड़ (₹ 300.99 करोड़ - ₹ 200.81 करोड़) यानी 49.86 प्रतिशत बढ़ गया।

डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि विज्ञापनों पर व्यय के लिए बजट विधान सभा की स्वीकृति के साथ वित्त (बजट) विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा आवंटित

किया गया था। इसके अलावा, विज्ञापन व्यय में वृद्धि और इसे दी गई प्राथमिकता सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार थी। जनसंपर्क विभाग ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह 2018-22 की अवधि में रा.रा.क्षे.दि.स. के विज्ञापन व्यय में कई गुना वृद्धि के कारणों/औचित्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं करता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में विभाग ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि वर्ष 2022-23 के दौरान विज्ञापनों और प्रचार पर होने वाले व्यय को कम करने के उपाय किए गए हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2022-23 के दौरान, वस्तु शीर्ष-विज्ञापन और प्रचार और अन्य शुल्क के तहत डीआईपी के आवंटित बजट ₹ 460 करोड़ (संशोधित ₹ 266.80 करोड़) के प्रति, अंतिम व्यय ₹ 231.95 करोड़ था।

#### 2.4.1.1 बजटीय नियंत्रण का अभाव

लेखापरीक्षा ने सामान्य वित्तीय नियमों के उल्लंघन में डीआईपी द्वारा बजटीय नियंत्रण की कमी के कुछ उदाहरण देखे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

##### (ए) व्यय की अधिकता

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 62(3) में प्रावधान है कि व्यय की अधिकता, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा और इससे बचा जाना चाहिए।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. भी वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता से बचने के लिए समय-समय पर निर्देश भी जारी करता है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए डीआईपी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में, वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी जीएफआर और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता थी, जैसा कि तालिका-2.4.3 में विस्तृत रूप से दर्शाई गई है।

**तालिका-2.4.3: वर्ष के अंतिम भाग में होने वाले व्यय की अधिकता का विवरण**  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	जनवरी से मार्च माह के दौरान व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय	मार्च माह के दौरान व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2019-20	2220 01 001 99 00 26-विज्ञापन एवं प्रचार	199.99	142.72	71.36	103.76	51.88
2.	2020-21	-वही-	293.20	150.35	51.27	92.49	31.54
3.	2021-22	-वही-	488.97	267.09	54.62	125.16	25.60

उत्तर में, डीआईपी ने लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करते हुए कहा (जनवरी 2023) कि इसे भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया।

जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

**(बी) बजट प्रावधान के बिना दायित्व में प्रवेश करना**

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 22 में यह प्रावधान है कि कोई भी प्राधिकरण सार्वजनिक निधि (समेकित निधि/आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते) से व्यय नहीं कर सकता है या किसी भी दायित्व में प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई हो। जीएफआर के नियम 26 में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारी को अपने नियंत्रण में रखे गए निधियों के संबंध में यह सुनिश्चित करना है कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के संशोधित अनुमान में शीर्ष 2220 01 001 99 00 26-विज्ञापन और प्रचार के तहत डीआईपी का आवंटन वित्त विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अक्टूबर 2019 के डीआईपी के अनुरोध पर मूल अनुमान ₹ 300 करोड़ से घटाकर ₹ 200 करोड़ कर दिया गया था (दिसंबर 2019)। इस ₹ 200 करोड़ में से, ₹ 55 करोड़ 2015-17 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके जारी किए गए विज्ञापनों के न्यायालय में विचाराधीन मामलों से संबंधित बिलों के लिए निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के दौरान नियमित विज्ञापन संबंधित व्यय के लिए डीआईपी के लिए उपलब्ध बजट केवल ₹ 145 करोड़ था।

तथापि, 9 मार्च 2020 को, डीआईपी ने वित्त विभाग को सूचित किया कि उन्होंने शीर्ष 2220 01 001 99 00 26-विज्ञापन और प्रचार के तहत ₹ 141 करोड़ का व्यय किया है और 9 मार्च 2020 तक ₹ 60 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी बना दी जिसके लिए संबंधित एजेंसियों ने बिल जारी किए थे।

डीआईपी ने वित्त विभाग से अनुरोध किया (मार्च 2020) कि या तो ₹ 200 करोड़ के संशोधित अनुमान के अतिरिक्त ₹ 60 करोड़ जारी करें या डीआईपी को 2019-20 के लिए ₹ 60 करोड़ के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ₹ 55 करोड़ की निर्धारित (न्यायालय में विचाराधीन मामले के लिए) राशि का उपयोग करने की अनुमति दें। वित्त विभाग ने डीआईपी को इसके अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डीआईपी ने वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की मंजूरी के बिना, निर्मित देनदारी को पूरा करने के लिए ₹ 55 करोड़ के निर्धारित बजट का उपयोग करते हुए, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 199.99 करोड़ का व्यय किया।

उत्तर में, डीआईपी ने यह तर्क दिया कि निधियों के विचलन के परिणामस्वरूप उक्त लेखा शीर्ष के अंतर्गत कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ तथा लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि की (जनवरी 2023)। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

**(सी) अतिरिक्त पुनर्विनियोग और प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं किया गया**

जीएफआर के नियम 62 (1) में प्रावधान है कि विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उस मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथियों तक वित्त मंत्रालय को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदान या विनियोजन में देखी गई सभी प्रत्याशित बचतें सौंप देंगे। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई और उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उपयोग नहीं की गई निधियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगी। जीएफआर के नियम 62 (2) में प्रावधान है कि बचत के साथ-साथ प्रावधान जिनका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही इनका पूर्वानुमान हो, जल्द से जल्द सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित आधिकार्यों के लिए कोई भी बचत आरक्षित नहीं रखी जाएगी। इसका उद्देश्य बाद के चरण में अभ्यर्पण से बचने की गुंजाइश को कम करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-22 की अवधि के दौरान, डीआईपी ने दिसंबर (2020-21 और 2021-22) के महीने में अतिरिक्त पुनर्विनियोजन किया और उसे वापस नहीं किया। खाते के निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्रत्याशित बचत को समय पर समर्पण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ये धनराशि व्यपगत हो गई। जैसा कि तालिका-2.4.4 में विस्तार से दर्शाया गया है।

**तालिका-2.4.4: 2020-22 के दौरान निधियों का अभ्यर्पण और व्यपगत का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष का नाम	मूल अनुमान	परिशोधित अनुमान	आशोधित आरई	व्यय	बचतें	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	2020-21	2220 01 001 99 00 26-विज्ञापन एवं प्रचार	230.00	230.00	326.00	293.20	32.80	बचत को समय पर अभ्यर्पित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निधियां व्यपगत हो गईं।
2.	2021-22	222060101494-आउटरीच कार्यक्रम के लिए दिल्ली शासन मॉडल	50.00	50.00	11.00	0.00	11.00	-वही-

डीआईपी ने लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करते हुए कहा (जनवरी 2023) कि इसे भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

**(डी) नए उप-शीर्षों की शुरुआत**

जीएफआर के नियम 79 के अनुसार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग-महालेखा नियंत्रक को संविधान के अनुच्छेद 150 से प्राप्त शक्तियों के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर एक नया खाता शीर्ष खोलने के लिए अधिकृत है। मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के परामर्श से आवश्यकतानुसार उप-शीर्ष (योजनाओं को दर्शाते हुए) और विस्तृत शीर्ष (उप-योजनाओं को दर्शाते हुए) खोल सकते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए डीआईपी के बजट अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2021-22 के लिए मूल बजट आवंटन के प्रस्ताव में, डीआईपी ने कोई अतिरिक्त उप-शीर्ष शामिल नहीं किया। तथापि, यह देखा गया कि वित्त विभाग,

रा.रा.क्षे.दि.स. ने तीन नए उप-शीर्षों के तहत बजट आवंटित किया और डीआईपी ने व्यय किया, जैसा कि तालिका-2.4.5 में बताया गया है।

**तालिका-2.4.5: 2021-22 के दौरान खोले गए नए उप-शीर्षों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष का नाम	बजट आवंटन	संशोधित अनुमान	व्यय किया गया
1.	2220 60 101 91 महिला सुरक्षा पर मीडिया अभियान	20.00	9.87	9.87
2.	2220 60 101 92 पर्यावरण और प्रदूषण संबंधित मुद्दों पर मीडिया अभियान	20.00	19.94	19.94
3.	2220 60 101 93 स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर मीडिया अभियान	50.00	49.62	49.62
	<b>कुल</b>	<b>90.00</b>	<b>79.43</b>	<b>79.43</b>

वर्ष 2020-21 तक, डीआईपी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया में रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों के विज्ञापन अभियानों को डीएवीपी दरों पर प्रकाशित करने के लिए उप-शीर्ष 2220 01 001 99 के तहत 26-विज्ञापन एवं प्रचार के रूप में वस्तु शीर्ष के साथ एक समेकित बजट प्राप्त हो रहा था। उक्त तीन नई उप-शीर्षों 2220 60 101 - '91', '92', और '93' के अंतर्गत समान वस्तु शीर्ष अर्थात् 26-विज्ञापन और प्रचार के साथ ₹ 90 करोड़ (संशोधित अनुमान और ₹ 79.43 करोड़ का व्यय) का उपर्युक्त बजट आवंटन, वर्ष 2021-22 के दौरान 2220 01 001 99 00 26-विज्ञापन और प्रचार के तहत ₹ 250 करोड़ (संशोधित अनुमान और ₹ 489 करोड़ का व्यय) के बजट आवंटन के अतिरिक्त था।

डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि वित्त (बजट) विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तीन नए उप-शीर्षों के तहत बजट का आवंटन सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार था और तदनुसार डीआईपी द्वारा निधियों का उपयोग महिला सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के लिए विज्ञापन अभियान पर किया गया था। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य उप-शीर्ष '2220 01 001 99 (वर्ष के दौरान ₹ 489 करोड़ के व्यय के साथ) के तहत आवंटित बजट में महिला सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए विभिन्न विज्ञापन अभियान शामिल हैं और तीन नए उप-शीर्षों की शुरुआत उचित नहीं थी।

### (ई) व्यय का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान 2220 60 101 95 00 50 - अन्य प्रभार - संचार दलों के तहत ₹ 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था।

डीआईपी ने (अगस्त 2020 में) मेसर्स विजस्पक कम्युनिकेशंस एंड पीआर प्राइवेट लिमिटेड को सामग्री निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया समन्वय, अनुवाद, मीडिया परामर्श और निगरानी, ग्राफिक डिजाइन और तथ्य जांच सहित जनसंपर्क सेवाएं प्रदान करने का कार्य ₹ 28,38,983 प्रति माह (प्लस जीएसटी @ 18 प्रतिशत) पर सौंपा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित शीर्ष - 2220 60 101 95 00 50-अन्य प्रभार-संचार दलों के तहत निधियां उपलब्ध होने के बावजूद, डीआईपी ने सितंबर 2020 से फरवरी 2021 की अवधि के दौरान शीर्ष 2220 01 001 99 00 26-विज्ञापन और प्रचार के तहत एजेंसी को भुगतान किया।

डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि निदेशालय के लिए कार्य पूरी तरह से नए थे और पीएओ-XI के साथ परामर्श के बाद, लेखे का शीर्ष बदल दिया गया था। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

#### 2.4.1.2 संविदा प्रबंधन

2020-22 की अवधि के दौरान, डीआईपी ने (ए) प्रेस के सदस्यों और नागरिकों के साथ कुशल संचार के लिए जनसंपर्क सेवाओं एवं सरकार के पीआर और सूचना प्रसार प्रयास का प्रबंधन (बी) रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल और डिजिटल क्षेत्र में रा.रा.क्षे.दि.स. की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सोशल और डिजिटल मीडिया प्रबंधन और (सी) वेबसाइटों, पोर्टलों और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी प्रेस सम्मेलनों के और कार्यक्रमों की लाइव स्क्रीनिंग करने के लिए निजी क्षेत्र से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करके तीन एजेंसियों को नियुक्त किया।

डीआईपी ने मेसर्स विजस्पक कम्युनिकेशंस एंड पीआर प्राइवेट लिमिटेड (अगस्त 2020) को पीआर सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹ 28,38,983 (प्लस जीएसटी) प्रति माह पर चयन किया जो शुरू में एक वर्ष के लिए और बाद में

अनुबंध को अगस्त 2022 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। सोशल और डिजिटल मीडिया प्रबंधन के लिए, डीआईपी ने मेसर्स साइफ्यूचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1,79,42,000/- (प्लस जीएसटी) प्रति वर्ष की दर से काम सौंपा (अगस्त 2021)। रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों का लाइव स्क्रीनिंग का काम मेसर्स प्लैनेटकास्ट मीडिया सर्विसेज लिमिटेड को ₹ 84 लाख (प्लस जीएसटी) प्रति माह पर दिया गया था (जनवरी 2021)।

संविदा प्रबंधन में देखी गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

**(ए) मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना नई नीति की शुरुआत**

रा.रा.क्षे.दि.स. नियमावली 1993 के नियम 7 और 8 तथा कार्य संचालन अनुसूची के अनुसार, नीति या प्रथा में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद (मंत्रिमंडल) के समक्ष रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (i) पीआर एजेंसी और (ii) दिल्ली सरकार की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की वेबसाइटों, पोर्टलों और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव स्क्रीनिंग के लिए निजी क्षेत्र की एजेंसी की नियुक्ति के संबंध में निर्णय डीआईपी द्वारा विभागीय स्तर पर ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना लिया गया था। तथापि, डिजिटल और सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र की एजेंसी की नियुक्ति के ऐसे ही एक मामले में मंत्रिमंडल की मंजूरी ली गई थी।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये कार्य निदेशालय के कार्यक्षेत्र के तहत थे तथा निदेशालय के केवल कुछ कार्यों को आउटसोर्स किया गया था ताकि एक समर्पित टीम इस विषय पर काम कर सके और गुणवत्ता एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित कर सके। निजी क्षेत्र से एजेंसियों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय उच्च प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से लिया गया था। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जनसंपर्क और लाइव स्ट्रीमिंग कार्य के लिए पहली बार निजी क्षेत्र की एजेंसियों की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता थी। ये सोशल और डिजिटल मीडिया प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र की

एजेंसी की भागीदारी के समान थे, जिसे व्यापार नियमों के लेनदेन के प्रावधानों के अनुसार डीआईपी द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया था।

**(बी) एजेंसियों को अनुचित समर्थन**

(i) पीआर एजेंसी के मामले में, अगस्त 2020 से एजेंसी की नियुक्ति की अवधि के दौरान, जून 2022 के महीने के लिए ₹ 28,38,983 (प्लस जीएसटी @ 18%) का भुगतान जारी नहीं किया गया और अगस्त 2022 में एजेंसी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें "केजरीवाल सरकार" के इस्तेमाल, प्रेस विज्ञप्तियों में वर्तनी की गलतियों, उर्दू और पंजाबी में कम संख्या में प्रेस विज्ञप्तियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2022 के भुगतान की समीक्षा करते समय जिन आधारों पर एजेंसी को अगस्त 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, वास्तव में वे आधार सितंबर 2020 से जून 2022 तक की पूरी कार्य अवधि के दौरान मौजूद थे, इसके अलावा एजेंसी की अन्य कमियां (अनुलग्नक 2.7) भी थीं। एजेंसी के काम में अनियमितताओं को देखने और उसे प्रति दिन मासिक शुल्क के 2 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाने (आरएफपी के खंड 7(iii) के तहत) में डीआईपी की विफलता के परिणामस्वरूप एजेंसी को अनुचित लाभ हुआ क्योंकि एजेंसी द्वारा सभी कार्य नहीं करने और अपेक्षित रिपोर्ट/सूचना प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भुगतान किया गया था। जैसा कि आरएफपी (अनुलग्नक 2.7) में परिकल्पित है।

(ii) सोशल और डिजिटल मीडिया प्रबंधन एजेंसी के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीआईपी ने पोस्ट के प्रकाशन में देरी, वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों आदि के लिए बिलों<sup>30</sup> के 5 प्रतिशत की दर से एजेंसी पर दो बार जुर्माना लगाया। आरएफपी शर्तों के अनुसार, एजेंसी पर कोई भी अतिरिक्त जुर्माना के कारण अनुबंध समाप्त हो जाता। लेखापरीक्षा ने पाया कार्य मूल्यांकन समिति की कई आपत्तियों<sup>31</sup> को इंगित करने के साथ-साथ और अनुलग्नक 2.8 में वर्णित आरएफपी के खंडों के अनुपालन में एजेंसी की विफलता के बावजूद, नवंबर 2021

---

<sup>30</sup> 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 और 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021

<sup>31</sup> अप्रैल 2022, जुलाई 2022, अगस्त 2022 और सितंबर 2022

से आगे किए गए कार्यों के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया और न ही अनुबंध समाप्त किया। यह एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के समान था।

(iii) रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की लाइव स्क्रीनिंग के लिए एजेंसी के मामले में, आरएफपी के खंड 2 में कार्य का दायरा निर्धारित किया गया है (ए) वेबसाइटों, पोर्टलों, अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की लाइव स्क्रीनिंग जिसमें लाइव स्क्रीनिंग के लिए सभी समाचार चैनलों को लाइव स्क्रीनिंग भेजना शामिल है, (बी) प्रति माह दो से तीन मिनट के 60 समाचार आधारित वीडियो प्रस्तुत करना और कई समाचार पोर्टलों पर उनका प्रसार करना, (सी) कम से कम 5 वीडियो कवरेज टीमों प्रदान करना शामिल है। नियम और शर्त संख्या 16 में निर्धारित किया गया है कि एजेंसी डीआईपी द्वारा मूल्यांकन के लिए कार्य के दायरे पर मासिक कार्य उपलब्धि प्रस्तुत करेगी। तथापि, मासिक प्रतिवेदन के स्वरूप और सामग्री का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीआईपी द्वारा गठित समिति ने भुगतान जारी होने से पहले एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रा.रा.क्षे.दि.स. की प्रेस कॉन्फ्रेंस और घटनाओं की केवल छोटी अवधि की वीडियो सीडी की सामग्री का मूल्यांकन किया। डीआईपी के पास अपना कोई निरीक्षण तंत्र नहीं था और न ही एजेंसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की लाइव स्क्रीनिंग के लिए अपने या तीसरे पक्ष के सर्वर से ग्राहकों/अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की संख्या पर कोई आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अभाव में, एजेंसी द्वारा लाइव स्क्रीनिंग के प्रभाव या पहुंच और विभिन्न मीडिया द्वारा इसके आगे के प्रसारण को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार जनवरी 2021 से एजेंसी को प्रति माह ₹ 84 लाख (जीएसटी को छोड़कर) की दर से भुगतान किया गया, लेकिन डीआईपी के निरीक्षण तंत्र के अभाव में लाइव स्क्रीनिंग की वास्तविक पहुंच/परिणाम का आंकलन नहीं किया गया था।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि पीआर एजेंसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं कार्यक्रमों की लाइव स्क्रीनिंग और सोशल तथा डिजिटल मीडिया प्रबंधन से संबंधित कार्यों के संबंध में यह निदेशालय का पहला अनुभव था। कोविड-19 महामारी के दौरान हर छोटे-मोटे काम का दस्तावेजीकरण संभव नहीं था। तथापि,

एजेंसियों के काम और निष्पादन की कड़ी निगरानी ईमेल, व्हाट्सएप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। जब भी संबंधित एजेंसी द्वारा किए गए काम में कमियां देखी गईं, तो तदनुसार जुर्माना लगाया गया। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि डीआईपी का निगरानी तंत्र कमजोर था और एजेंसियों को आरएफपी शर्तों का पालन नहीं करने के बावजूद भुगतान जारी किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में विभाग ने कहा (मई 2023) कि (i) जनसंपर्क, (ii) सोशल और डिजिटल मीडिया प्रबंधन तथा (iii) रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की लाइव स्क्रीनिंग के लिए लगी तीन एजेंसियों के साथ अनुबंध समझौता क्रमशः अगस्त 2022, अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 से आगे नहीं बढ़ाया गया है।

#### 2.4.1.3 विज्ञापनों के प्रकाशन पर ₹ 30.10 करोड़ का अनियमित व्यय

कोविड-19 अवधि के पहले चरण के दौरान और उसके बाद जारी किए गए वित्त (बजट) विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों में निहित था कि दिल्ली सरकार के राजस्व में गिरावट के मद्देनजर व्यय प्रबंधन और व्यय के युक्तिकरण बनाने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि 11 जुलाई 2020 से 7 सितंबर 2020 की अवधि के लिए डीआईपी को स्थापना और कोविड-19 से संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय करने के लिए वित्त विभाग या मंत्रिपरिषद की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 जुलाई 2020 से 7 सितम्बर 2020 की अवधि के दौरान डीआईपी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर माध्यमों<sup>32</sup> में विज्ञापनों के जारी/प्रकाशन पर ₹ 30.10 करोड़ का व्यय किया। ₹ 30.10 करोड़ की यह देनदारी वित्त विभाग या मंत्रिपरिषद की पूर्व मंजूरी के बिना डीआईपी द्वारा सृजित की गई थी, जैसा कि वित्त विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों/निर्देशों के अनुसार अपेक्षित है और इसलिए यह अनधिकृत और अनियमित थी।

---

<sup>32</sup> कोविड से संबंधित विज्ञापन/जागरूकता अभियानों पर होने वाले व्यय को बाहर रखा गया है।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि विज्ञापन और प्रचार पर व्यय हेतु कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था तथा 11 जुलाई 2020 से 7 सितंबर 2020 की अवधि के सभी बिल पीएओ-XI द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसके अलावा, 8 सितंबर 2020 के बाद से, डीआईपी को डीआईपी से संबंधित सभी व्यय वहन करने के लिए अधिकृत किया गया था।

जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों के अनुसार डीआईपी को 11 जुलाई 2020 से 7 सितंबर 2020 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के अन्य विभागों की तरह वित्त विभाग या मंत्रिपरिषद की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता थी।

#### 2.4.1.4 टेलीविजन विज्ञापनों (टीवीसी) के प्रस्तुतिकरण पर ₹ 1.34 करोड़ का निष्फल व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 21, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के संबंध में यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक अधिकारी को सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जितनी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के व्यय के संबंध में बरतता है तथा धन और व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीआईपी ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान बिजनेस ब्लास्टर्स (इंटरप्रेनरशीप-माइंडसेट-क्यूरीकलम) कार्यक्रम<sup>33</sup> पर विज्ञापन अभियान के लिए 16 टेलीविजन विज्ञापनों (टीवीसी) के प्रस्तुतिकरण पर ₹ 1.65 करोड़ का व्यय हुआ। तथापि टीवी मीडियम में केवल दो टीवीसी प्रसारित किए गए और ₹ 1.34 करोड़ के व्यय से निर्मित 14 टीवीसी का डीआईपी द्वारा उपयोग नहीं किया गया और ₹ 1.34 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि टीवीसी सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के साथ तैयार किए गए थे और बनाए गए टीवीसी का भविष्य में

<sup>33</sup> रा.रा.क्षे.दि.स. के शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य रा.रा.क्षे.दि.स. स्कूलों के विद्यार्थियों को अपने व्यावसायिक विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे उनमें एन्ट्रप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित हो सके।

उपयोग किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीवीसी की सामग्री अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान जारी बिजनेस ब्लास्टर्स (एन्ट्रप्रन्योरशिप-माइंडसेट-करिक्युलम) कार्यक्रम हेतु विनिर्दिष्ट थी। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान कार्यक्रम के विज्ञापन अभियान के लिए डीआईपी द्वारा 14 टीवीसी का उपयोग नहीं किया गया था।

## 2.4.2 विज्ञापनों की विषय-वस्तु

### 2.4.2.1 विज्ञापनों में गलत या गैर-सत्यापनीय सामग्री

सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्तु विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि विज्ञापनों की विषय-वस्तु ऐसी होनी चाहिए की सूचना प्राप्तकर्ताओं को तथ्यों और विश्लेषण के बीच अंतर करने में सक्षम बनाया जा सके और जहां जानकारी एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, वह सटीक और सत्यापन योग्य होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित पांच मामलों में, विज्ञापन में दिखाए गए आंकड़ों/दावों का आधार या तो अभिलेख में उपलब्ध नहीं था या गलत पाया गया, जिससे विज्ञापन की सामग्री सत्यापन योग्य नहीं थी या गलत थी।

(ए) डीआईपी ने सितंबर से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान प्रिंट और आउटडोर मीडिया में “दिल्ली की हवा साफ हुई/प्रदूषण में 25 प्रतिशत की कमी” पर विज्ञापन जारी किए और ₹ 17.76 करोड़ का व्यय किया। विज्ञापनों की सामग्री में दावा किया गया था कि 2012-14 की तुलना में 2016-18 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में पीएम 2.5 के स्तर में 25 प्रतिशत की कमी आई है, जो कि भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों पर आधारित है। 2012-18 के सीपीसीबी डेटा में इसी अवधि के दौरान पीएम 2.5 स्तर में 72 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जैसा कि तालिका-2.4.6 में बताया गया है।

तालिका-2.4.6: रा.रा.क्षे. दिल्ली में पीएम 2.5 के स्तर में कमी/वृद्धि का विवरण

अवधि	विज्ञापन के अनुसार पीएम 2.5 का स्तर ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ में)	सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार पीएम 2.5 का स्तर ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ में)
2012-14 (ए)	154	72
2016-18 (बी)	115	124
पीएम 2.5 स्तर (ए)- (बी) में वृद्धि/कमी (माइनस में)	(- )39	52
पीएम 2.5 स्तर में प्रतिशत वृद्धि/कमी (माइनस में)।	(-) 25 प्रतिशत	72 प्रतिशत

इस प्रकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार 2012-14 से 2016-18 तक दिल्ली में पीएम 2.5 के स्तर में 25 प्रतिशत की कमी का दावा करने वाले विज्ञापनों में दिखाए गए आंकड़ें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार नहीं थे। इस प्रकार ₹ 17.76 करोड़ के व्यय वाले विज्ञापन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सत्यापन के बिना जारी किए गए थे।

(बी) सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 के अनुसार, किसी कार्य के निष्पादन में मुख्य चरण शामिल हैं:

- प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (एएण्डईएस) से व्यय करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय करने की मंजूरी,
- सीपीडब्ल्यूडी या अन्य लोक निर्माण संगठनों और तकनीकी मंजूरी द्वारा बनाए गए दरों की अनुसूची के आधार पर विभिन्न मदों की विस्तृत विशिष्टताओं और मात्राओं वाले विस्तृत अनुमान तैयार करना;
- प्रभार को कवर करने के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करना, बोलियां प्राप्त करना और सफल बोलीदाता का चयन करना।
- निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य को सौंपना और कार्य का निष्पादन।

फरवरी और मार्च 2021 में "पिछले 6 वर्षों के दौरान दिल्ली में निर्मित पुलों/फ्लाईओवरों/एलिवेटेड कॉरिडोर" के विषय पर ₹ 5.26 करोड़ के व्यय के साथ प्रसारित टीवी क्लिप में लेखापरीक्षा ने पाया कि (ए) भ्रष्टाचार उन्मूलन के कारण

दिल्ली में दस<sup>34</sup> फ्लाईओवर/एलिवेटेड कॉरिडोर के संबंध में कार्य की मंजूरी दिये जाने के बाद भारी बचत का दावा किया गया था (बी) इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले पूरा होना बताया गया और (सी) विज्ञापन में बचत के कुल आंकड़े इस्तेमाल किए गए।

विभाग द्वारा एए एंड ईएस के प्रति बचत को "भ्रष्टाचार के उन्मूलन" के कारण बताना सत्यापनीय नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि (ए) एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य के संबंध में मंगोलपुरी से मधुबन चौक तक कॉरिडोर के लिए अंतिम भुगतान निविदा और अनुमानित लागत से अधिक था। (बी) 10 में से नौ परियोजनाएं काफी देरी (एक से तीन वर्ष) के साथ पूरी हुईं, जैसा कि तालिका-2.4.7 में बताया गया है और (सी) 10 परियोजनाओं के संबंध में ₹ 506 करोड़ से अधिक बचत का दावा अंतिम भुगतान की तुलना में प्रारंभिक एए एंड ईएस की गलत तुलना के कारण थे। ऐसे में ₹ 5.26 करोड़ के व्यय वाले इन विज्ञापन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए थे।

#### तालिका-2.4.7: नौ फ्लाईओवर/एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति

क्र.सं.	फ्लाईओवर परियोजना का नाम	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	टिप्पणी
1.	जगतपुर चौक पर फ्लाईओवर	20.05.15	27.08.18	क्रमिक 1 से 4 तक एकल अनुबंध के तहत निष्पादित किया गया है।  एसडीओसी के विपरीत, फ्लाईओवर परियोजना के पूरा होने में 3 वर्ष से अधिक की देरी हुई।
2.	मुकुंदपुर चौक पर फ्लाईओवर			
3.	बुराड़ी चौक पर फ्लाईओवर			
4.	भलस्वा चौक पर फ्लाईओवर			
5.	विकासपुरी से मीरा बाग तक एलिवेटेड कॉरिडोर	21.02.15	21.07.17	एसडीओसी के विपरीत, एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के पूरा होने में 2 वर्ष और 5 महीने की देरी हुई।
6.	मंगोलपुरी से मधुबन चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर	09.04.15	04.08.16	एसडीओसी के विपरीत, एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के पूरा होने में 1 वर्ष और 4 महीने की देरी हुई।
7.	मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर	09.04.15	30.09.16	एसडीओसी के विपरीत, एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के पूरा होने में 1 वर्ष और 5 महीने की देरी हुई

<sup>34</sup> 1. बाहरी रिंग रोड पर मंगोलपुरी से मधुबन चौक, 2. बाहरी रिंग रोड पर मधुबन चौक से मुकरबा चौक, 3. विकासपुरी से मीरा आउटर रिंग रोड पर बाग, 4. प्रेमबारी रिंग रोड पर आजादपुर तक ब्रिज, 5. शास्त्री पार्क फ्लाईओवर, 6. जगतपुर चौक फ्लाईओवर, 7. भलस्वा चौक फ्लाईओवर, 8. बुराड़ी चौक फ्लाईओवर, 9. मुकुंदपुर चौक फ्लाईओवर, 10. मयूर विहार फ्लाईओवर (चरण- I)।

क्र.सं.	फलाईओवर परियोजना का नाम	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	टिप्पणी
8.	आजादपुर से प्रेमबाड़ी तक एलिवेटेड कॉरिडोर	04.04.13	25.01.16	एसडीओसी के विपरीत, एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के पूरा होने में 2 वर्ष और 9 महीने की देरी हुई
9.	मयूर विहार में फलाईओवर (चरण-I)	27.10.17	25.01.19	एसडीओसी के विपरीत, फलाईओवर परियोजना के पूरा होने में 2 वर्ष और 3 महीने की देरी हुई

(सी) डीआईपी ने अगस्त 2019 के दौरान समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में “डेंगू के मामलों में 80 प्रतिशत की कमी” पर विज्ञापन जारी किया और ₹ 9.25 करोड़ का व्यय किया। विज्ञापन की विषय वस्तु में दावा किया गया है कि दिल्ली में डेंगू के मामलों में 2015 के दौरान 15,867 मामलों से घटकर 2018 के दौरान 2,798 मामले हो गए।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल (एनसीवीबीडीसी) द्वारा बताए गए आंकड़ों से पता चला है कि 2015 की तुलना में 2018 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में डेंगू के मामलों में कमी केवल 8,731 (15,867 - 7,136) की कमी आई है, जो कि 55 प्रतिशत की कमी है। इस प्रकार, विज्ञापन में दिखाया गया डेटा गलत और भ्रामक था तथा इस प्रकार ऐसे विज्ञापनों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 9.25 करोड़ जारी किए गए।

(डी) डीआईपी ने 29 दिसंबर 2021 से 30 जनवरी 2022 के दौरान एक आउटडोर मीडिया अभियान (2021-22 का आर ओ नंबर 45) चलाया और बिजनेस ब्लास्टर (एन्ट्रेप्रेनरशिप माइंडसेट करिक्युलम) प्रोग्राम पर 26 नवंबर 2011, 28 नवंबर 2021 और 5 दिसंबर 2021 को समाचार पत्रों में तीन विज्ञापन जारी किए जिसमें ₹ 5.94 करोड़ का व्यय हुआ। इन आउटडोर/प्रिंट विज्ञापनों की सामग्री में "3 लाख छात्र, 51,000 से अधिक व्यावसायिक अवधारणाएं, 60 करोड़ प्रारंभिक पूंजी" शामिल थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 3 लाख छात्रों के बजाय, केवल 2,70,379 छात्रों को ही उक्त कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था और रा.रा.क्षे.दि.स. के स्कूलों के इन 2,70,379 छात्रों को प्रारंभिक धन के रूप में 54.08 करोड़ वितरित किए गए।

इस प्रकार, विज्ञापनों में दिखाया जाने वाला डेटा बिजनेस ब्लास्टर (एन्ट्रेप्रेनरशिपर माइंडसेट करिक्युलम) कार्यक्रम के तहत कवर किए गए छात्रों की संख्या पर ₹ 5.94 करोड़ का व्यय तथा प्रारंभिक पूंजी का उपयोग गलत था और इस तरह यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

(ई) डीआईपी ने फरवरी 2022 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की वर्तमान सरकार के शासन के सात वर्ष पूरे होने पर "शासन के सात वर्ष 2022" के रूप में आउटडोर और डिजिटल मीडिया अभियान जारी किया और ₹ 10.50 करोड़ का व्यय किया। अभियान की विषय वस्तु का विवरण तालिका-2.4.8 में दिया गया है।

**तालिका-2.4.8: 7 साल बेमिसाल अभियान की विषय वस्तु**

क्र.सं.	अभियान की विषय वस्तु	अभियान से संबंधित विभाग	टिप्पणी
1.	7 साल बेमिसाल - दिल्लीवासियों को मोहल्ला क्लीनिक में विश्व स्तरीय इलाज मिलता है	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	"मोहल्ला क्लीनिकों में विश्व स्तरीय उपचार" का दावा करने के लिए जिन मापदंडों को मानक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वे अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।
2.	7 साल बेमिसाल - विश्व स्तरीय दिल्ली सरकारी स्कूल	शिक्षा निदेशालय	"विश्व स्तरीय दिल्ली सरकारी स्कूल" का दावा करने के लिए जिन मापदंडों को मानक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वे अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।
3.	7 साल बेमिसाल - दिल्ली मुफ्त बिजली और पानी देती है	विद्युत विभाग और शहरी विकास विभाग	"मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति" के दावे के समर्थन में दस्तावेज़, अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।
4.	7 साल बेमिसाल - सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी	प्रशासनिक सुधार विभाग	"सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी" के दावे के समर्थन में दस्तावेज़, अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।
5.	7 साल बेमिसाल - दिल्ली अब स्टार्ट-अप राजधानी है	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय	"दिल्ली अब स्टार्ट-अप राजधानी है", के दावे के समर्थन में दस्तावेज़, अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

इसके अलावा, संबंधित विभागों (जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, शहरी विकास, बिजली विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा) के विभागाध्यक्षों के स्थान पर सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमों के अनुपालन के प्रमाण पत्र पर सूचना एवं प्रचार निदेशालय के विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह एसओपी (जून 2016) का स्पष्ट उल्लंघन था और विज्ञापन अभियान में शामिल सामग्री के संबंध में आवश्यक आश्वासन प्रदान नहीं करता था।

डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि एसओपी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मई 2015 के दिशानिर्देशों के अनुपालन का दायित्व विभागाध्यक्षों पर है, क्योंकि उन्हें, विज्ञापनों की विषय वस्तु उक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप है,

का प्रमाण पत्र प्रदान करना होता है। चूंकि मामला गलत या असत्यापन योग्य विषय वस्तु से संबंधित है, इसलिए संबंधित विभागों से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विज्ञापन और प्रचार के लिए आवंटित बजट वाला विभाग होने के नाते डीआईपी को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कोई जानकारी तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, वह सटीक और सत्यापन योग्य होनी चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि विज्ञापनों में डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने का मामला रा.रा.क्षे.दि.स. के विभागों के साथ उठाया जाएगा, जो विज्ञापन प्रस्ताव को जारी करने के लिए डीआईपी को भेजता है। साथ ही, डीआईपी विज्ञापनों में किए गए डेटा या दावे के समर्थन में दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और प्रमुख विज्ञापन अभियानों के मामले में, संबंधित विभागों की फाइलें डीआईपी में रखी जाएंगी।

सरकारी विज्ञापन की विषय-वस्तु विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि विज्ञापन सामग्री वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि सरकारी विज्ञापन राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेंगे और राजनीतिक व्यक्तित्वों का महिमामंडन करने तथा सत्ताधारी दल की सकारात्मक छवि या सरकार की आलोचना करने वाले दलों की नकारात्मक छवि पेश करने से बचेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी और मार्च 2021 के टीवी क्लिप के प्रसारण, जिसका विषय “पिछले 6 वर्षों में ₹ 5.26 करोड़ की लागत से दिल्ली में पुलों/फ्लाईओवरों/एलिवेटेड कॉरिडोरों का निर्माण” से संबंधित विज्ञापन अभियान में पिछली सरकारों को नकारात्मक रूप से पेश किया गया।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि चूंकि मामला विषय-वस्तु से संबंधित है, इसलिए लोक निर्माण विभाग से अपना उत्तर देने का अनुरोध किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि डीआईपी, विज्ञापन और प्रचार के लिए आवंटित बजट वाला विभाग होने के नाते, स्वतंत्र रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन की विषय-वस्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

### 2.4.3 विज्ञापन अभियान पर असंगत व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 21 के अनुसार, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को निर्धारित करता है, व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

सरकारी विज्ञापन की विषय-वस्तु विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि वह सार्वजनिक धन का उपयोग इस तरह से करें कि करदाताओं के पैसे का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। विज्ञापन अभियान उचित होने चाहिए और उन्हें कुशल एवं लागत प्रभावी तरीके से चलाए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार मामलों में, योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन अभियानों पर किया गया व्यय उक्त योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय से समान अनुपातहीन था जैसा कि तालिका-2.4.9 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका-2.4.9: विज्ञापन अभियानों पर असंगत व्यय का विवरण

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	संबंधित विभाग	विज्ञापनों की अवधि एवं माध्यम	विज्ञापनों पर व्यय (₹ करोड़ में)	योजना/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1.	बिजनेस ब्लास्टर (एन्ट्रप्रेनरशीप माइंडसेट करिक्युलम) कार्यक्रम	शिक्षा	प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर माध्यम में 3 नवंबर 2021 से 5 मार्च 2022 तक	80.12	54.08	विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय शिक्षा विभाग द्वारा 2,70,379 छात्रों को ₹ 54.08 करोड़ की प्रारंभिक राशि के वितरण पर किए गए व्यय से 1.5 गुना था। कार्यक्रम के अंतिम परिणाम यानी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए चुने गए व्यावसायिक विचारों और सरकार या संभावित निवेशकों द्वारा आगे के निवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
2.	देश के मेन्टॉर	शिक्षा	प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर माध्यम में 9	27.90	1.90	विज्ञापन अभियान पर व्यय, शिक्षा विभाग द्वारा 105886 छात्रों को कवर करने वाले कार्यक्रम के लिए एप्लिकेशन

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	संबंधित विभाग	विज्ञापनों की अवधि एवं माध्यम	विज्ञापनों पर व्यय (₹ करोड़ में)	योजना/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
			अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक			सॉफ्टवेयर के विकास और स्थापना व्यय ₹ 1.90 करोड़ से 13 गुना अधिक था। जनवरी 2022 से नए सलाहकारों और संरक्षकों का पंजीकरण रोक दिया गया तथा मई 2022 में परियोजना को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंप दिया गया था।
3.	फसल अवशेष (परासी) प्रबंधन	विकास	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में 2020-22	23.89	0.77	विज्ञापन अभियान पर होने वाला व्यय, विकास विभाग द्वारा 2020-22 के दौरान बायो-डीकंपोजर और संबद्ध सामग्रियों की खरीद और स्प्रे (₹ 0.74 करोड़ <sup>35</sup> ) तथा 105 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम (₹ 0.03 करोड़) जिसमें किसानों को बायो-डीकंपोजर के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किए गए कुल व्यय ₹ 0.77 करोड़ से 31 गुना अधिक है। दिल्ली में कुल 21000 किसानों में से, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान बायो-डीकंपोजर के उपयोग से लाभान्वित किसानों की संख्या क्रमशः 310 और 519 थी।
4.	भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन	पर्यावरण	प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर माध्यम में 21 अगस्त 2021 से 7 सितंबर 2021 तक	5.88	20.00	राजीव चौक पर स्मॉग टॉवर की स्थापना पर किया गया व्यय पर्यावरण विभाग के ₹ 20 करोड़ के व्यय का लगभग 30 प्रतिशत विज्ञापन अभियान पर था।

संबंधित कार्यक्रमों के उपर्युक्त चार विज्ञापन अभियानों पर किया गया इतना अधिक व्यय जब उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय के प्रति देखा गया तो यह न तो उचित था और न ही सरकारी व्यय में अपेक्षित वित्तीय औचित्य के मानकों के अनुरूप था।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि उक्त चार विज्ञापन अभियानों के लिए लागत के साथ प्रशासनिक मंजूरी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई थी तथा इन अभियानों को एसओपी के अनुसार माननीय उप मुख्यमंत्री

<sup>35</sup> (बायो-डीकंपोजर कैप्सूल के लिए ₹ 2.40 लाख, बायो-डीकंपोजर की तैयारी के लिए टेंटेज किराए पर लेने पर ₹ 33.78 लाख, गुड़ और बेसन की खरीद पर ₹ 37.17 लाख और ₹ 1.40 लाख)

की उचित मंजूरी के साथ जारी किया गया था। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

तथ्य यह है कि विज्ञापन पर किया गया व्यय इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की लागत से, जो योजनाओं की लागत की 31 गुना थी, से पूरी तरह से असंगत था।

#### 2.4.4 अनुचित एवं निष्फल व्यय

सरकारी विज्ञापन की विषय-वस्तु विनियमन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि विज्ञापन अभियान औचित्यपूर्ण होने चाहिए और प्रभावी एवं लागत प्रभावी तरीके से चलाए जाने चाहिए तथा केवल आवश्यकता आधारित होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित दो मामलों में, अभियान का कोई परिणाम न निकलने, सीमित या बार-बार विषय-वस्तु या वास्तविक कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के मद्देनजर विज्ञापन अभियान अनुचित या परिहार्य थे।

(क) डीआईपी ने वर्ष 2019-20 के दौरान रास विहार के पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र में एक मोहल्ला क्लीनिक के उद्घाटन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया और इस पर ₹9.69 लाख का व्यय किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (ए) किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक मोहल्ला क्लीनिक के उद्घाटन के लिए विज्ञापन का प्रकाशन, जबकि 2019-20 के दौरान इसी तरह के अन्य विज्ञापनों में दिल्ली के पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ 100 या 150 नए मोहल्ला क्लीनिक खोलने को शामिल किया गया; और (बी) पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रसारित 10 समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन, जबकि लक्षित पहचान की गई आबादी जो उक्त मोहल्ला क्लिनिक खोलने से लाभान्वित होती, केवल पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र में रहती थी, अनुचित थी और सरकारी विज्ञापन के सामग्री विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती थी।

(ख) मुख्यमंत्री द्वारा 23 दिसंबर, 2019 को महिला सुरक्षा पर दिल्ली के सभी स्कूलों के कक्षा 6-12 के छात्रों के साथ संवाद से संबंधित विज्ञापन हेतु

डीआईपी ने 23 दिसंबर, 2019 को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने पर ₹ 72.05 लाख खर्च किए।

हालांकि, शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 23 दिसंबर 2019 को उक्त वार्ता के आयोजन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा के द्वारा कार्यक्रम के वास्तविक आयोजन का सत्यापन नहीं किया जा सका तथा ₹ 72.05 लाख के व्यय के साथ इस विषय पर विज्ञापन का व्यय निराधार रहा।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि ये विज्ञापन एसओपी के अनुकरण के बाद यानी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों से प्रशासनिक अनुमोदन और अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उपमुख्यमंत्री द्वारा मीडिया प्लान की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जारी किए गए थे। तथापि, संबंधित विभागों से अपना जवाब देने का अनुरोध किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर (मई 2023) को दोहराया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उक्त दो विज्ञापन अभियानों की या तो आवश्यकता नहीं थी या उन्हें उनके तर्क संगत निष्कर्ष तक नहीं ले जाया गया था।

#### 2.4.5 अप्रभावी विज्ञापन

सरकारी विज्ञापन के विषय-वस्तु विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि सरकार लक्षित क्षेत्र और इच्छित संचार की रचनात्मक आवश्यकता सहित संदेश की सामग्री, लेआउट, आकार और डिजाइन का निर्णय करते समय उचित सावधानी बरतेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम पहुंच और प्रभाव सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जाता है।

इसके अलावा, बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियानों के मामलों में अभियान के बाद प्रभाव आकलन को योजना प्रक्रिया में ही शामिल किया जाना आवश्यक है। अभियान समाप्त होने पर सफलता को मापने के लिए संकेतकों की पहचान हो सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित दो मामलों में, विज्ञापन अभियान सीमित पहुंच, लाभार्थियों की संख्या में कमी और असंतोषजनक परिणाम के कारण अप्रभावी थे।

(ए) 13 दिसंबर 2019 से 3 जनवरी 2020 की अवधि के दौरान, डीआईपी ने दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना पर टीवी क्लिप चलाए और इन विज्ञापनों पर ₹ 1.72 करोड़ का व्यय किया। यह योजना दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मेधावी छात्रों द्वारा लिए गए ऋण के लिए बैंकों को गारंटी प्रदान करती थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 50 और 44 थी तथा 2020-21 के दौरान घटकर 14 और वर्ष 2021-22 के दौरान 2 हो गई। यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में विज्ञापन अभियान लक्षित दर्शकों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाया।

(बी) डीआईपी ने दिल्ली में 109 निशुल्क वाई-फाई हॉटस्पॉट (एक समय में 40-150 लोगों के लिए 50-200 एमबीपीएस की गति के साथ) स्थापित करने और हर सप्ताह लगभग 500 अन्य वाई-फाई हॉटस्पॉट जोड़ने पर समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया (21 दिसंबर 2019) और इस विज्ञापन पर ₹ 1.41 करोड़ का व्यय हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2021 तक, लोक निर्माण विभाग ने निःशुल्क वाई-फाई सुविधा के लिए 10,500 एक्सेस प्वाइंट स्थापित किए थे जो एक विशेष समय में 15.75 लाख उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकते थे। तथापि, फरवरी 2022 के दौरान किसी विशिष्ट समय में अधिकतम कनेक्टेड उपयोगकर्ता केवल 66,379 (अर्थात् निर्मित क्षमता का 4.21 प्रतिशत) थे। यह स्पष्ट है कि विज्ञापन अभियान लक्षित दर्शकों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा।

यह देखा जा सकता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अभियान के बाद कोई प्रभावी मूल्यांकन नहीं किया गया था और स्थिति में सुधार के लिए कोई अनुवर्ती अभियान नहीं चलाया गया था। इस प्रकार, दिल्ली में उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना और दिल्ली में वाईफाई हॉटस्पॉट की अधिष्ठापन पर

किया गया क्रमशः ₹ 1.72 करोड़ और ₹ 1.41 करोड़ का व्यय अप्रभावी और निष्फल रहा।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि ये विज्ञापन एसओपी का पालन करते हुए अर्थात् संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों से प्रशासनिक अनुमोदन और अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करने और माननीय उपमुख्यमंत्री द्वारा मीडिया योजना की मंजूरी के बाद जारी किए गए थे। तथापि, संबंधित विभागों से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा रहा है।

जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों विज्ञापन अभियानों से लाभार्थियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे ये विज्ञापन अप्रभावी रहे।

#### 2.4.6 लक्षित जनसंख्या की पहचान

सरकारी विज्ञापन की विषय-वस्तु विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह था कि प्रचार और विज्ञापन अभियानों को विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए तथा विज्ञापनों की विषय-वस्तु सरकार के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के साथ-साथ नागरिकों के (अधिकार और हकदारी) के लिए भी प्रासंगिक होनी चाहिए। इस प्रकार समाज के लक्षित दर्शकों/वर्ग की पहचान की जानी चाहिए और अभियान को, इस पहचानी गई आबादी को, सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से लक्षित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभियान को डिज़ाइन करते समय या मीडिया का चयन करते समय ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी। आवश्यक दृश्यता/आउटरीच के किसी भी विश्लेषण के बिना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया में व्यापक कवरेज थी। छोटे अभियानों में, जिनमें केवल एक मीडिया शामिल था, समाचार पत्रों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। लक्षित दर्शकों की पहचान किए बिना मीडिया का चयन या ऐसे लक्षित दर्शकों के लिए मीडिया की

दृश्यता विज्ञापन अभियानों की प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन नहीं देती है।

इसके अलावा, किसी विशेष सरकार की जिम्मेदारी उस विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जनता के प्रति होती है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19 मामलों में, डीआईपी ने जुलाई 2020 से मार्च 2022 के दौरान दिल्ली के रा.रा.क्षे. के बाहर प्रकाशित किए गए प्रिंट विज्ञापनों के लिए ₹ 77.91 करोड़ (भुगतान किया गया: ₹ 57.81 करोड़) की देनदारी उठाई (**अनुलग्नक 2.9**)। रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर प्रकाशित किए गए ये प्रिंट विज्ञापन रा.रा.क्षे. दिल्ली के नागरिकों के प्रति रा.रा.क्षे.दि.स. के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों या सरकारी योजनाओं और पहलुओं के बारे में रा.रा.क्षे. दिल्ली की आबादी को सूचित करने से जुड़े नहीं थे और इसलिए यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

उत्तर में, डीआईपी ने पुष्टि की (जनवरी 2023) कि डीआईपी के पास लक्षित दर्शकों की पहचान करने या ऐसे लक्षित दर्शकों को मीडिया की दृश्यता के लिए कोई तंत्र नहीं था जिससे विज्ञापन अभियानों की प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन मिल सके। रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर जारी विज्ञापनों के संबंध में, डीआईपी ने कहा कि एसओपी के अनुसार, डीआईपी की भूमिका केवल संबंधित विभागों की मांग के अनुसार और उप मुख्यमंत्री/प्रभारी मंत्री (आई एंड पी) की मंजूरी के साथ विज्ञापन प्रकाशित करना था। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर विज्ञापन प्रकाशित करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसमें विज्ञापनों को दिल्ली के रा.रा.क्षे. के नागरिकों के प्रति रा.रा.क्षे.दि.स. के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों से जोड़ने का प्रावधान है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में विभाग ने कहा (मई 2023) कि वर्ष 2022-23 के दौरान समाचार पत्रों के अखिल भारतीय संस्करण में और रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं।

### 2.4.7 अभियान के बाद प्रभावी मूल्यांकन का अभाव

सरकारी विज्ञापन की विषय-वस्तु विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि बड़ी मात्रा में विज्ञापन अभियानों के मामले में, अभियान के बाद के प्रभाव का आकलन योजना प्रक्रिया में ही शामिल किया जाना आवश्यक है, जो अभियान समाप्त होने पर सफलता को मापने के लिए संकेतकों की पहचान करे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डीआईपी और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों ने विज्ञापन अभियानों की योजना प्रक्रिया में विज्ञापन अभियान की सफलता को मापने के लिए संकेतकों की पहचान नहीं की और उन्हें शामिल नहीं किया। साथ ही, विज्ञापन अभियान समाप्त होने के बाद कोई अभियान-पश्चात मूल्यांकन नहीं किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि विषय वस्तु पर अगले/बाद के विज्ञापन अभियानों की योजना प्रक्रिया में शामिल करने के लिए न तो सफलता को मापने के लिए संकेतक उपलब्ध थे और न ही पिछले विज्ञापन अभियान की सफलता या विफलता पर फीडबैक ही उपलब्ध थे।

उत्तर में, डीआईपी ने पुष्टि की (जनवरी 2023) कि डीआईपी के पास विज्ञापन अभियानों के समापन के बाद के प्रभाव आकलन करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

एग्जिट कॉन्फेंस में, विभाग ने कहा (मई 2023) कि भविष्य में विज्ञापन अभियान का मूल्यांकन एक आउटसोर्स पेशेवर एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

### 2.4.8 सरकारी विज्ञापन की सामग्री के प्रति शिकायतों के समाधान हेतु तंत्र

#### 2.4.8.1 तीन सदस्यीय समिति का गठन

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (मई 2015) में, अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को तीन सदस्यीय निकाय का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें निर्विवाद, तटस्थता और निष्पक्षता वाले व्यक्ति शामिल हों जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की हो ताकि सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। मई 2015 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, भारत सरकार ने

6 अप्रैल 2016 को सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्तु के विनियमन पर तीन सदस्यीय समिति<sup>36</sup> का गठन किया। मई 2015 के उक्त आदेश को 28 अप्रैल 2016 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें राज्यों को अपनी-अपनी समितियों को गठित करने का आदेश दिया गया। यदि राज्य चाहें तो, केंद्रीय स्तर पर गठित समिति को राज्यों में विज्ञापनों के प्रकाशन पर निगरानी का काम सौंपा जा सकता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने सबसे पहले अन्य राज्य सरकारों के साथ-साथ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से तीन सदस्यीय समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया (मई 2016)। तदनुसार, डीआईपी, ने सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर एक समिति का गठन किया (जुलाई 2016)। तथापि, मंत्रालय ने 9 अगस्त 2016 को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञापनों को केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा और केंद्रशासित प्रदेश (जैसे दिल्ली रा.रा.क्षे.) अपने स्वयं के निकायों का गठन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। तदनुसार, रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीआईपी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा गठित समिति को भंग करने का आदेश दिया (सितंबर 2016)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2016 में उपराज्यपाल द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. की पिछली समिति को भंग करने के बावजूद, उप मुख्यमंत्री ने सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया (अगस्त 2019)। उपराज्यपाल के कार्यालय ने सचिव, उप मुख्यमंत्री को बताया (दिसंबर 2019) कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा समिति गठित करने का निर्णय कानूनी रूप से मान्य नहीं था।

इस प्रकार, अगस्त 2019 में रा.रा.क्षे.दि.स. की सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन (सीसीआरजीए) पर तीन सदस्यीय समिति का गठन, जिसे अगस्त 2022 तक बढ़ाया गया था, रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

---

<sup>36</sup> इस समिति ने 5 अप्रैल 2019 तक काम किया। उसके बाद, 5 दिसंबर 2019 से एक नई तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने 4 दिसंबर 2021 तक कार्य किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार में एक नई समिति के गठन के लिए प्रक्रिया जारी थी।

इसके अतिरिक्त, 9 अगस्त 2019 से रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सीसीआरजीए के गठन के बावजूद, समिति 9 अगस्त 2019 से 8 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान कार्यात्मक नहीं थी और सितंबर 2021 (कार्यकाल 9 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2022 तक बढ़ाए जाने के बाद) के बाद ही कार्य करना शुरू किया।

आगे यह देखा गया कि 9 अगस्त 2021 से 9 अगस्त 2022 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए के सदस्यीय को ₹ 5.38 लाख का भुगतान डीआईपी के बजाय शब्दार्थ द्वारा किया गया था।

डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए का गठन और कार्यकाल का विस्तार और समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक का भुगतान उप मुख्यमंत्री की मंजूरी से किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. का सीसीआरजीए दिल्ली में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण कार्य नहीं कर सका।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए को अस्थायी घोषित कर दिया गया है (फरवरी 2023) और उस समिति के सदस्यों को उन्हें भुगतान किए गए भत्ते की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

#### 2.4.8.2 सरकारी विज्ञापन की सामग्री के प्रति प्राप्त शिकायतों का निपटान

2015-22 की अवधि के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी विज्ञापन की सामग्री के प्रति डीआईपी को प्राप्त कुल छह शिकायतों में से पहली तीन शिकायतों को भारत सरकार के सीसीआरजीए द्वारा डीआईपी से प्रतिक्रिया हेतु अग्रेषित किया गया था, और शेष तीन सीधे डीआईपी द्वारा प्राप्त हुईं। इन छह शिकायतों के निपटान का विवरण नीचे दिया गया है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

**शिकायत संख्या 1 के संबंध में,** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश (10 अगस्त 2016) पर भारत सरकार के सीसीआरजीए ने 2015-17 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विज्ञापन जारी करने के संबंध में शिकायत पर विचार किया। भारत सरकार के सीसीआरजीए के निर्देशानुसार, डीआईपी, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2015-17 के दौरान

प्रकाशित किए गए विज्ञापनों के लिए राजनीतिक दल से ₹ 97.15 करोड़<sup>37</sup> का वसूली नोटिस जारी किया (मार्च 2017) क्योंकि उनसे उस पार्टी को लाभ हुआ था।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, डीआईपी ने कहा (दिसंबर 2022) कि मार्च 2017 के बाद ₹ 97.15 करोड़ की वसूली के संबंध में भारत सरकार की सीसीआरजीए और उक्त राजनीतिक दल के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था। भारत सरकार सीसीआरजीए के साथ डीआईपी के पत्राचार से संबंधित फाइलें/अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस प्रकार डीआईपी, भारत सरकार के सीसीआरजीए को अद्यतन रखने में विफल रहा और राजनीतिक दल से ₹ 97.15 करोड़ की वसूली का मामला, जो मार्च 2017 में उठाया गया था, फरवरी 2023 तक भी लंबित था।

मामले का विवरण रिपोर्ट के पैरा 2.4.9 में चर्चा की गई है।

**शिकायत संख्या 2 के मामले में,** शिकायत, जनवरी 2020 में, भारत सरकार के सीसीआरजीए द्वारा अग्रेषित की गई थी। शिकायत, नवंबर 2019 में, ऑड-ईवन योजना के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 15 दिनों के विज्ञापन अभियान से संबंधित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार की समिति को उत्तर देने के बजाय, डीआईपी ने सितंबर 2021 में रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए के समक्ष शिकायत रखी। रा.रा.क्षे.दि.स. की समिति ने जुलाई 2022 में शिकायत का निपटारा कर दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ या समिति के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं की।

इस प्रकार, मूल रूप से भारत सरकार के सीसीआरजीए के समक्ष दायर की गई शिकायत का रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए द्वारा निपटारा कर दिया गया है।

**शिकायत संख्या 3 के मामले में,** शिकायत, भारत सरकार के सीसीआरजीए द्वारा अग्रेषित की गई थी। शिकायत 16 जुलाई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया

---

<sup>37</sup> बाद में यह राशि पुनः ₹ 106.42 करोड़ कर दी गई।

अखबार के मुंबई संस्करण में “दिल्ली सरकारी स्कूल कक्षा 12वीं का परिणाम 98 प्रतिशत उत्तीर्ण” वाले विज्ञापन से संबंधित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार की समिति को उत्तर देने के बजाय, डीआईपी ने सितंबर 2021 में रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए के समक्ष शिकायत दर्ज की गई और रा.रा.क्षे.दि.स. की समिति ने मई 2022 में शिकायत का निपटारा कर दिया, क्योंकि समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं पाया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समाचार पत्रों के अखिल भारतीय संस्करण में दिल्ली के सरकारी स्कूल की 12 वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में विज्ञापन जारी करना केवल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नागरिकों को निर्देशित नहीं था।

**शिकायत संख्या 4 के मामले में,** शिकायत, 20 जनवरी 2022 को डीआईपी/रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए द्वारा प्राप्त की गई थी। शिकायत, समाचार पत्रों के अखिल भारतीय संस्करण के विज्ञापन में एक राजनीतिक दल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित थी। सीसीआरजीए, रा.रा.क्षे.दि.स. ने फरवरी 2022 में शिकायत का निपटारा कर दिया, क्योंकि समिति ने शिकायत को बिना किसी योग्यता और तथ्य के पाया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समाचार पत्रों के अखिल भारतीय संस्करणों में मुख्यमंत्री द्वारा मैरी क्रिसमस की शुभकामना पर विज्ञापन जारी करना दिल्ली के रा.रा.क्षे. के नागरिकों के प्रति रा.रा.क्षे.दि.स. के संवैधानिक और कानूनी दायित्व से जुड़ा नहीं था।

**शिकायत नं. 5** शिक्षा विभाग के दो विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन की कथित बर्बादी के संबंध में थी और **शिकायत संख्या 6** “देश के मॅटर” अभियान के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अन्य राज्यों में विज्ञापन देने से संबंधित थी। शिकायत संख्या 5 और 6 क्रमशः मार्च 2022 और जून 2022 से रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए के समक्ष लंबित थीं।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि डीआईपी ने सरकारी विज्ञापनों की सामग्री के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायतों को समीक्षा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स.

के सीसीआरजीए के समक्ष प्रस्तुत किया। शिकायतों का निपटान रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए के निर्देशों के अनुसार किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यह देखा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए द्वारा शिकायतों का अनाधिकृत निपटान किया गया था, जो पहले से भारत सरकार के सीसीआरजीए के विचाराधीन थे और शिकायतों के निपटान के लिए अपनाये गए आधार संदिग्ध थे, जिससे रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए की कार्यप्रणाली दोषपूर्ण हो गई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने बताया (मई 2023) कि रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए को गैर-स्थायी घोषित कर दिया गया है (फरवरी 2023) और रा.रा.क्षे.दि.स. के विज्ञापनों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों जिनमें (रा.रा.क्षे.दि.स. के सीसीआरजीए द्वारा निपटाई गई तीन शिकायतें शामिल हैं) को भारत सरकार के सीसीआरजीए के समक्ष रखा गया है।

#### 2.4.9 एक राजनीतिक दल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन करते हुए 2015-17 के दौरान जारी विज्ञापनों पर व्यय की वसूली

10 अगस्त 2016 को, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाया और निर्देश दिया कि 2015-17 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी विज्ञापनों की सामग्री पर शिकायत का फैसला भारत सरकार द्वारा गठित सीसीआरजीए द्वारा किया जाएगा।

उक्त तीन सदस्यीय समिति (सीसीआरजीए) ने 16 सितंबर 2016 को अपने आदेश में निर्देश दिया कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल, जो रा.रा.क्षे.दि.स. के विज्ञापनों को जारी करने की प्रक्रिया में मुख्य लाभार्थी था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सत्ता में राजनेताओं या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की छवि पेश किया गया था, को उन विज्ञापनों पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का भुगतान करना चाहिए।

समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह विज्ञापनों पर हुये व्यय का आंकलन करे: (i) विभिन्न वर्षगाँठों के अवसर पर दिल्ली के क्षेत्र के बाहर, (ii) उन विज्ञापनों/विज्ञापनों पर, जिनमें सत्ताधारी राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख किया गया है, (iii) उन विज्ञापनों पर जो

अन्य राज्यों में हुई घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों को प्रचारित करते हैं और (iv) उन विज्ञापनों पर जिनमें विपक्ष को लक्षित किया गया है।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने आकलन किया (मार्च 2017) कि उपर्युक्त चार पहचानी गई श्रेणियों में आने वाले विज्ञापनों पर ₹ 97.15 करोड़<sup>38</sup> की राशि व्यय की गई थी।

इसमें से, ₹ 42.27 करोड़ की राशि का भुगतान डीआईपी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पहले ही किया जा चुका था और ₹ 54.88 करोड़ उन एजेंसियों को भुगतान के लिए लंबित थी, जिन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर माध्यम में ये विज्ञापन दिए थे। डीआईपी, ने उपराज्यपाल की मंजूरी से 30 मार्च 2017 को ₹ 97.15 करोड़ की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित राजनीतिक दल के संयोजक को एक पत्र जारी किया।

संबंधित राजनीतिक दल ने ₹ 97.15 करोड़ की वसूली नोटिस के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (डब्ल्यूपी (सी) 3921/2017) दायर की (मई 2017)। मामला न्यायालय में विचाराधीन था और सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीआईपी ने वसूली के लिए उक्त राजनीतिक दल से संपर्क नहीं किया (बाद में इसे संशोधित कर ₹ 106.42 करोड़ कर दिया गया) और केवल दिसंबर 2022 में वसूली नोटिस जारी किया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने कहा (मई 2023) कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने वसूली पर रोक नहीं लगाई है और डीआईपी उक्त राजनीतिक दल से वसूली के मामले पर विचार कर रहा है।

#### 2.4.10 विज्ञापन एजेंसियों को भुगतान जारी करना

एक राजनीतिक दल से वसूली के लिए नोटिस जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए (जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 2.4.9 में चर्चा की गई है), रा.रा.क्षे. दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने कहा था (मार्च 2017) कि 'मेरा विचार है कि अभी तक भुगतान नहीं की गई राशि के संबंध में, सरकार द्वारा कोई और भुगतान

<sup>38</sup> बाद में इस राशि का ₹ 106.42 करोड़ में पुनः परिकलन किया गया (₹ 45.90 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और ₹ 60.52 करोड़ का भुगतान अभी बाकी है)।

जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि विज्ञापन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न एजेंसियों को 2015-17 के दौरान जारी विज्ञापनों के लिए ₹ 60.52 करोड़ (₹ 106.42 करोड़ में से) का भुगतान लंबित था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

बाद में, सात एजेंसियों ने भुगतान जारी करने के लिए विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क किया और न्यायालयों/मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इनमें से तीन एजेंसियों को बकाया भुगतान का आदेश दिया। न्यायालय के निर्देश के परिणामस्वरूप, अन्य एजेंसियों के बकाया भुगतान प्रतिबंध देयता होने और ब्याज और मुकदमेबाजी की लागत के भुगतान से बचने के लिए, डीआईपी ने उपमुख्यमंत्री की मंजूरी से शेष एजेंसियों को भुगतान जारी करने का फैसला किया (अक्टूबर 2021)।

डीआईपी ने सितंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान न्यायालय/मध्यस्थता आदेशों के अनुसरण में तीन एजेंसियों को ₹ 14.28 करोड़ का भुगतान जारी किया। इसके अलावा डीआईपी ने उन चार एजेंसियों को ₹ 7.84 करोड़ का भुगतान भी जारी किया, जिन्होंने न्यायालयी आदेशों की प्रत्याशा में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था तथा अन्य 90 एजेंसियों को ₹ 35.78 करोड़ जारी किए गए जिनका भुगतान लंबित था। हालांकि, यह पाया गया कि किसी न्यायालय आदेश के बिना एवं माननीय उपराज्यपाल के संज्ञान में लाए बिना ही उक्त 94 (4+90) एजेंसियों को ₹ 43.62 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया गया।

यह भी देखा गया कि सितंबर 2020 से अगस्त 2022 के दौरान डीआईपी ने एजेंसियों को भुगतान जारी करने के लिए शब्दार्थ को ₹ 35.78 करोड़ जारी किए थे, जिसमें से शब्दार्थ ने 90 एजेंसियों को केवल ₹ 31.29 करोड़ का भुगतान जारी किया (₹ 26.28 करोड़ एजेंसियों को भुगतान किया गया, ₹ 4.27 करोड़ शब्दार्थ ने 15 प्रतिशत कमीशन व करों के लिए ₹ 0.74 करोड़ अपने पास रखा था)। इस प्रकार, मार्च 2022 से शब्दार्थ के पास अभी भी 4.49 करोड़ (₹ 35.78 करोड़ - ₹ 31.29 करोड़) की राशि पड़ी हुई थी।

इसके अलावा, शब्दार्थ ने सितंबर से दिसंबर 2020 के दौरान तीन एजेंसियों को पहले से किए गए ₹ 1.17 करोड़ के भुगतान को भी ₹ 31.29 करोड़ के कुल भुगतान में शामिल किया, जिसके कारण अधिक भुगतान हुआ।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि निदेशक (आईपी)/सचिव (पीआर) के पास डीएवीपी दरों पर प्रचार शुल्क के भुगतान का पूर्ण अधिकार हैं और सभी भुगतान डीआईपी के सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार किए गए थे क्योंकि देनदारी डीआईपी पर लंबित थी। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि ये भुगतान विचाराधीन मामले से संबंधित हैं जिसमें उपराज्यपाल ने आगे भुगतान जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा, मार्च 2022 से शब्दार्थ के पास लंबित ₹ 4.49 करोड़ की राशि और शब्दार्थ द्वारा ₹ 31.29 करोड़ में ₹ 1.17 करोड़ (सितंबर से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान पहले ही भुगतान किया गया) को शामिल करने के मामलों पर कुछ नहीं कहा गया है।

#### 2.4.11 मार्च 2017 के रा.रा.क्षे. दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के निर्देश पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव

रा.रा.क्षे. दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि (मार्च 2017) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन और राजनीतिक दल के लाभ के लिए 2015-17 के दौरान जारी किये गये विज्ञापनों के लिए एक राजनीतिक दल से ₹ 97.15 करोड़ की वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए (ए) सरकारी विज्ञापनों की सामग्री विनियमन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और (बी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 2015-17 के दौरान विज्ञापनों के जारी होने की जांच की जाए और जिम्मेदारी तय की जाए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-22 के दौरान अभी भी ऐसे उदाहरण थे जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. के विज्ञापन और प्रचार अभियान सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन

नहीं कर रहे थे, जैसा कि प्रतिवेदन के पैरा 2.4.2 से पैरा 2.4.6 में चर्चा की गई है।

साथ ही, यह बताने करने के लिए अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या (ए) सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए डीआईपी द्वारा कोई कदम उठाए गए थे और (बी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2015-17 के दौरान जारी किए गए विज्ञापनों की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने की कवायद कभी शुरू नहीं की गई थी।

उत्तर में, डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 2015-17 के दौरान विज्ञापनों को जारी करने की जिम्मेदारी तय करने का मामला सतर्कता निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के विचाराधीन था और डीआईपी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी विज्ञापनों की सामग्री विनियमन सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य समूह की रूपरेखा तैयार कर ली है। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोई अलग कार्य समूह कार्यरत नहीं पाया गया और डीआईपी के दावों के बावजूद, 2019-22 के दौरान दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले भी देखे गए, जैसा कि रिपोर्ट में चर्चा की गई है।

#### 2.4.12 आंतरिक नियंत्रण का अभाव

आंतरिक नियंत्रण सुरक्षा उपाय हैं जो किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन देने के लिए लागू किए जाते हैं कि उसका संचालन योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। इन्हें उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है कि इकाई के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे आंतरिक नियंत्रणों द्वारा प्रदान किया गया उचित आश्वासन सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही को मजबूत करता है। लेखापरीक्षा ने डीआईपी में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सामान्य कमजोरियां देखीं।

#### 2.4.12.1 व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और तंत्र में खामियां

यह देखा गया कि जून 2016 में डीआईपी द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के अनुमोदन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में डीआईपी की लेखा शाखा द्वारा प्रस्तावों की जांच का प्रावधान नहीं था और इसलिए अभिलेख पर कोई जानकारी नहीं थी कि क्या निदेशक (आईपी) द्वारा किसी भी विज्ञापन अभियान के लिए व्यय की मंजूरी देने से पहले संबंधित शीर्ष के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी।

यह भी देखा गया कि जीएफआर 57 के उल्लंघन करते हुए, जिसमें प्रावधान है कि सभी डीडीओ लेखा के प्रत्येक लघु या उप-शीर्ष के तहत आवंटन के लिए, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, फॉर्म जीएफआर 5 में अलग-अलग रजिस्टर (लेखा शीर्ष द्वारा व्यय दिखाने वाला रजिस्टर) बनाए रखेंगे जिससे वे संबंधित हैं, लेकिन 2019-22 की अवधि के दौरान डीआईपी की लेखा शाखा द्वारा कोई व्यय नियंत्रण रजिस्टर नहीं रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप 2019-20 के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जब शब्दार्थ/डीआईपी पर 9 मार्च 2020 तक ₹ 60 करोड़ की देनदारी थी, लेकिन उसके पास इस देनदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था।

डीआईपी अपने एसओपी की समीक्षा कर सकता है और विभागध्यक्ष यानी निदेशक (आईपी) द्वारा विज्ञापन अभियानों के लिए व्यय की मंजूरी की प्रक्रिया में डीआईपी की लेखा शाखा को शामिल करने के एक प्रावधान जोड़ने पर विचार कर सकता है। साथ ही, डीआईपी की लेखा शाखा को विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत व्यय पर नजर रखने के लिए व्यय नियंत्रण रजिस्टर का अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (मई 2023) कि डीआईपी ने विज्ञापन प्रस्तावों को व्यय मंजूरी देने की प्रक्रिया में लेखा शाखा को शामिल करना शुरू कर दिया है और डीआईपी की लेखा शाखा ने किए गए व्यय पर नजर रखने के लिए व्यय नियंत्रण रजिस्टर बनाए रखना शुरू कर दिया है।

#### 2.4.12.2 अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण

डीआईपी में रखे गए अर्नेस्ट मनी डीपोजिट (ईएमडी)/परफोर्मेस बैंक गारंटी (पीबीजी) रजिस्टर की जांच से पता चला कि रजिस्टर अधूरा था। इसके अलावा, इसे जीएआर 5 (मूल्यवान वस्तुओं का रजिस्टर) के निर्धारित प्रारूप में नहीं रखा गया था और डीडीओ ने बिना किसी तारीख के इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, ईएमडी और पीबीजी की समय पर प्राप्ति और जारी करने तथा उनकी वैधता की समाप्ति और समय पर नवीनीकरण के संबंध में जीएफआर 2017 के नियम 170 और 171 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया (मई 2023) कि लेखा शाखा ने ईएमडी/पीबीजी रजिस्टर को ठीक से बनाए रखना शुरू कर दिया है।

#### 2.4.12.3 डीआईपी और शब्दार्थ के कर्मचारियों की अतिव्यापी भूमिकाएं तथा भुगतान जारी करने में पारदर्शिता की कमी

शब्दार्थ (रा.रा.क्षे.दि.स. की एक स्वायत्त निकाय) के संविदा कर्मचारी प्रस्ताव के लिए अनुरोध तैयार करने, निविदाएं एवं जनसंपर्क के लिए एजेंसी का चयन, सोशल और डिजिटल मीडिया प्रबंधन तथा दिल्ली सरकार के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग तथा खराब काम के लिए जुर्माना लगाने या उसके बिना, भुगतान करने से पहले इन एसजेंसियों के काम की समीक्षा करने में शामिल थे।

विज्ञापन कार्यों के लिए डीआईपी और संबंधित एजेंसियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। चूंकि शब्दार्थ के संविदा कर्मचारियों के पास बोलीदाताओं की तकनीकी और वित्तीय बोलियों सहित निविदा दस्तावेजों तक पहुंच है, यह चयन प्रक्रिया के दौरान निविदाओं की गोपनीयता का उल्लंघन होने का परिणाम दे सकती है।

इसके अलावा, 2019-22 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी विज्ञापनों से संबंधित फाइलें/अभिलेख शब्दार्थ द्वारा बनाए रखा जा रहा था। तथ्य यह है कि जारी किए गए विज्ञापनों से संबंधित सरकारी अभिलेख डीआईपी के बजाय एक गैर-सरकारी निकाय की अभिरक्षा में हैं, जो अभिलेख की सुरक्षा और संपूर्णता के बारे में चिंता पैदा करता है।

समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो एफएम चैनल, वेबसाइट आदि से दावों की प्राप्ति पर, शब्दार्थ ने दावों को जारी आदेश-वार समेकित किया और संबंधित फाइलों में समेकित बिल जमा किए। शब्दार्थ में बनाए गए डेटा और अभिलेख रिलीज ऑर्डर नंबरों पर आधारित होते हैं जबकि डीआईपी के डायरी रजिस्टर में केवल शब्दार्थ से फाइलों की प्राप्ति का उल्लेख होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिलेख के दो सेटों के बीच कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं था। डीआईपी किसी विशेष तिथि पर शब्दार्थ के भुगतान के लंबित होने से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भुगतान के दावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार समिति प्रमाणित करती है कि भुगतान एफआईएफओ आधार पर किया जा रहा है। 496 जारी आदेश (लेखापरीक्षा में चयनित) के संबंध में बिलों की प्राप्ति की तारीख और भुगतान की तारीख का डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहने पर, डीआईपी केवल 165 जारी आदेश के लिए जानकारी प्रस्तुत कर सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीआईपी का यह दावा कि वह एफआईएफओ के आधार पर भुगतान करता है, संदिग्ध है, यह क्योंकि वह केवल 165 जारी आदेशों के लिए संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकता है और उस जानकारी के अनुसार, कुछ भुगतान बिल प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर किए गए, कुछ में एक महीने का समय लगा और कुछ भुगतान आठ महीनों में किए गए।

उत्तर में डीआईपी ने कहा (जनवरी 2023) कि डीआईपी और शब्दार्थ के कर्मचारियों की अतिव्यापी भूमिका एक प्रशासनिक मामला है तथा संरचना और प्रक्रियाओं के पुनर्स्थापन के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जनसंपर्क विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीआईपी से प्राप्त उत्तर को दोहराया (मई 2023)।

#### 2.4.13 निष्कर्ष

2018-22 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. का विज्ञापन और प्रचार पर व्यय 12 गुना से अधिक बढ़कर ₹46.90 करोड़ से ₹612.81 करोड़ हो गया। सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन अभियान जारी किए गए क्योंकि इन्हें अनुचित पाया गया था जिसे रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर और अनुपातहीन व्यय के साथ

जारी किया गया। लक्षित दर्शकों की पहचान करने के लिए कोई पूर्व अभ्यास नहीं किया गया था और न ही अभियान के बाद कोई प्रभावी आकलन किया गया था। प्रचार एजेंसियों को उनके काम की पर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित किए बिना भुगतान जारी किया गया था। व्यय नियंत्रण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान के बिना विज्ञापन जारी किए गए। डीआईपी ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2015-17 के दौरान जारी विज्ञापनों के लिए 2020-22 के दौरान ₹57.90 करोड़ का भुगतान जारी किया। रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी विज्ञापन के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का समाधान करने का तंत्र या तो अपर्याप्त था या अस्तित्वहीन था।

#### 2.4.14 सिफारिश

1. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए विज्ञापन अभियानों को सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
2. सभी विज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली के रा.रा.क्षे. के नागरिकों के प्रति रा.रा.क्षे.दि.स. के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के अनुरूप होने चाहिए।
3. विज्ञापन पर व्यय योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की लागत के अनुपात में होना चाहिए।
4. विज्ञापन अभियान की योजना में लक्षित दर्शकों/समाज के वर्ग की पहचान शामिल होनी चाहिए। अभियान समाप्त होने पर सफलता को मापने के लिए अभियान के बाद के प्रभावी मूल्यांकन संकेतक किए जाने चाहिए।
5. सरकारी विज्ञापनों की अंतर्वस्तु के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए उचित तंत्र निर्धारित करने और उसका पालन करने की आवश्यकता है।

## लोक निर्माण विभाग

### 2.5 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने तथा कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक में परिवर्धन और परिवर्तन के कार्यों में अनियमितताएं

6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री के आवास में परिवर्धन/परिवर्तन के कार्य में, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने टाइप VII और VIII आवास/बंगलों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा घोषित प्लिनथ क्षेत्र दरों को अपनाते हुए ₹ 7.91 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान (पीई) तैयार किया। पीडब्ल्यूडी द्वारा इस कार्य को अति आवश्यक घोषित किया गया। यद्यपि उक्त निर्माण कार्य ₹ 8.62 करोड़ पर दिया गया, जो अनुमानित लागत से 13.21 प्रतिशत अधिक था, अंततः अनुमानित लागत से 342.31 प्रतिशत अधिक ₹ 33.66 करोड़ पर पूरा किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडब्ल्यूडी ने सीमित बोली के लिए तीन परामर्श फर्मों के चयन का आधार लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। इसके अतिरिक्त, औचित्य लागत निर्धारित करते समय पीडब्ल्यूडी ने एक वर्ष पुरानी परामर्श दरों को लिया और उसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाया।

कार्य के निष्पादन के दौरान पीडब्ल्यूडी ने फिर से सीमित निविदा का सहारा लिया और उनकी वित्तीय स्थिति, साधन-संपन्नता और वीआईपी क्षेत्रों में समान कार्यों को निष्पादित करने में उनके अनुभव के आधार पर बोली लगाने के लिए पांच संविदाकारों का चयन किया। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल एक संविदाकार, जिसे कार्य सौंपा गया था, के पास अपेक्षित अनुभव था जो इंगित करता है कि सीमित निविदा के लिए बोलीकर्ताओं का चयन मनमाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निष्पादन के दौरान, पीडब्ल्यूडी ने निर्मित क्षेत्र को 1,397 वर्ग मीटर से 1,905 वर्ग मीटर (36 प्रतिशत) तक बढ़ाया और उच्च विनिर्देशों, कलात्मक और प्राचीन वस्तुओं, सजावटी कार्यों (सिवल और विद्युत/सेवाएं दोनों) की अनेक मद्दों को कार्यान्वित करके कार्य के प्रयोज्य विनिर्देशों को परिवर्तित किया। लागत को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी को

चार बार पीई का परिशोधन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी ने अतिरिक्त एए एंड ईएस के लिए निविदा की संभावना भी नहीं खोजी और ₹ 25.80 करोड़ (2वीं से 5वीं पीई) के निर्माण कार्य मौजूदा संविदाकार द्वारा निष्पादित किए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च विनिर्देशों, कलात्मक, प्राचीन वस्तुओं और सजावटी कार्यों के निष्पादन में पीडब्ल्यूडी द्वारा ₹ 18.88 करोड़ खर्च किए गए और इन कार्यों का निष्पादन पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 9.34 करोड़ के 5वें पीई के लिए एए एवं ईएस कार्य पूरा होने के दो महीने बाद जारी की गई, जिससे बिना किसी अनुमोदन के देनदारी बनी।

स्टाफ ब्लॉक/कैंप ऑफिस में परिवर्धन/परिवर्तन का दूसरा कार्य ₹ 18.37 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति ₹ 16.54 करोड़ पर दिया गया। उक्त कार्य भी सीमित निविदा के द्वारा दिया गया। सीमित निविदा का सहारा लेने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए स्वीकृत ₹ 19.87 करोड़ में से निधियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त स्टाफ ब्लॉक का निर्माण नहीं किया गया और निधियों में से सात सेवक क्वार्टरों का निर्माण दूसरे स्थान पर किया गया जो मूल कार्य में नहीं था। इसके अतिरिक्त कैंप ऑफिस की संरचना को स्थायी से अर्ध-स्थायी संरचना (एसपीएस) में बदल दिया गया, जिससे एए एंड ईएस और अनुमान वास्तविक निष्पादित कार्य से पूरी तरह से असंबंधित हो गए। अंततः कैंप ऑफिस का केवल कच्चा ढांचा ही पूरा हुआ क्योंकि इसके लिए निधि समाप्त हो गई थी और जून 2023 में पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य को बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई थी।

### 2.5.1 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड<sup>39</sup> पर भूतल पर मौजूदा आवास के

<sup>39</sup> 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबंटित बंगला।

पुनर्निर्माण और एक अतिरिक्त मंज़िल के निर्माण का प्रस्ताव रखा (17 मार्च 2020)। इस कार्य को अति आवश्यक घोषित किया गया।

इसके बाद, अधीक्षण अभियंता (एसई), पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव दिया (27 जुलाई 2020) कि चूंकि इमारत पुरानी है और इसमें लोड बेयरिंग दीवारें हैं, इसलिए मौजूदा भूतल का पुनर्निर्माण या अतिरिक्त मंज़िल का निर्माण नहीं किया जा सकता है और मौजूदा संरचना को ध्वस्त करने के बाद उसी परिसर में नए सिरे से निर्माण की सिफारिश की गई। डिजाइन के लिए परामर्शदाता/वास्तुकार की नियुक्ति और स्थानीय निकाय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने का भी प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को उसी दिन (27 जुलाई 2020) मंत्री (पीडब्ल्यूडी), प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी), इंजीनियर-इन-चीफ और तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में इस बात को इंगित करने वाला कुछ भी नहीं था कि पीडब्ल्यूडी द्वारा 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगले के पुनर्निर्माण के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था।

### 2.5.2 परिसीमा

योजना, निविदा प्रक्रिया और निष्पादन सहित कार्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए यह लेखापरीक्षा (जून और अक्टूबर 2023 के दौरान) की गई थी।

आगामी पैराग्राफों में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पीडब्ल्यूडी प्रभागों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंशिक अभिलेखों<sup>40</sup> की फोटोकॉपी पर आधारित हैं, क्योंकि सभी मूल अभिलेखों को रा.रा.क्षे.दि.स. के सतर्कता विभाग द्वारा ज़ब्त बताया गया था।

इस प्रकार, संपूर्ण अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा न तो योजना गतिविधि के बारे में, न ही निष्पादित कार्य की शुद्धता और वास्तविकता के बारे में आश्वासन प्राप्त कर सकती। इसके अतिरिक्त, चालान के साथ आपूर्ति वाउचर

<sup>40</sup> कार्यान्वयन प्रभागों की पत्राचार फाइलें, तकनीकी स्वीकृतियों का विस्तृत माप, माप पुस्तकें, चालू खाता बिल, मात्रा में विचलन और अतिरिक्त मदों के निष्पादन का नोटिंग भाग, आपूर्ति वाउचर, निष्पादित मदों का स्वीकृतिवार विवरण, समय विस्तार के मामले, प्रारंभिक नक्शे और समापन नक्शा, साइट पर सामग्री रजिस्टर और मुख्यमंत्री के पुराने आवासीय भवन के ध्वस्तीकरण से संबंधित फाइलें जैसे अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

प्रस्तुत न करने के कारण, संविदाकारों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की वास्तविकता के साथ-साथ जिस दर/निर्माण पर सामग्री वास्तव में खरीदी गई थी, उसका सत्यापन नहीं किया जा सका।

अभिलेखों की अनुपलब्धता का मामला कार्यपालक अभियंता और प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी के साथ उठाया गया। कई अनुस्मारकों के बावजूद लेखापरीक्षा को संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त, जारी किए गए प्रतिवेदन के मसौदे (17 अक्टूबर 2023) का उत्तर भी बार-बार अनुस्मारक प्रेषित किए जाने (जून 2024) के बावजूद सरकार/पीडब्ल्यूडी से प्राप्त नहीं हुआ।

6 फ्लैग रोड पर निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृतियां, किए गए व्यय और कार्यों की स्थिति तालिका-2.5.1 में दी गई है।

**तालिका-2.5.1: एए एंड ईएस, किया गया व्यय और कार्यों की स्थिति का विवरण**

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक/अतिरिक्त एए एंड ईएस	अनुमोदनकृता प्राधिकारी	राशि	कुल राशि	किया गया व्यय	कार्य की स्थिति
कार्य-I-6 फ्लैग स्टाफ रोड एसएच पर परिवर्धन और परिवर्तन: अतिरिक्त आवास प्रदान करना					
प्रथम (प्रारंभिक एए एंड ईएस) दिनांक 5.9.2020	मुख्य अभियंता	7.91	7.91	33.66	पूर्ण
द्वितीय (अतिरिक्त एए एंड ईएस) दिनांक 16.6.21	मुख्य अभियंता	1.64	25.80		
तृतीय (अतिरिक्त एए एंड ईएस) दिनांक 22.10.2021	मुख्य अभियंता	9.09			
चतुर्थ (अतिरिक्त एए एंड ईएस) दिनांक 30.12.2021	मुख्य अभियंता	5.73			
पंचम (अतिरिक्त एए एंड ईएस) दिनांक 29.6.2022	मुख्य अभियंता	9.34			
<b>कुल</b>			<b>33.71</b>		
कार्य-II- स्टाफ ब्लॉक/कैंप ऑफिस का परिवर्धन/परिवर्तन, 6 स्टाफ फ्लैग रोड, सिविल लाइंस					
1 (प्रारंभिक एए एंड ईएस) दिनांक 4.3.2021	मुख्य अभियंता	10.00 (कैंप ऑफिस)	19.87	19.22	स्वीकृत राशि के संदर्भ में 100 प्रतिशत कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय एवं नई दिल्ली बिल्डिंग (एम-323) द्वारा 19 जून 2023 को तैयार की गई फोरक्लोज़र रिपोर्ट के अनुसार लंबित।
2 (प्रारंभिक एए एंड ईएस) दिनांक 7.6.2021	मुख्य अभियंता	9.87 (स्टाफ ब्लॉक)			
<b>कुल</b>		<b>19.87</b>			

### 2.5.3 कार्य-1

कार्य-1 ₹ 8.62 करोड़ की निविदा लागत पर (सिविल- ₹ 7.02 करोड़ और इलेक्ट्रिकल- ₹ 1.59 करोड़) प्रदान<sup>41</sup> किया गया था जो कि अनुमानित लागत ₹ 7.61 करोड़ (सिविल- ₹ 6.02 करोड़ और इलेक्ट्रिकल- ₹ 1.59 करोड़) से 13.21 प्रतिशत अधिक थी। कार्य शुरू करने और पूरा होने की निर्धारित तिथि अक्टूबर 2020 और अप्रैल 2021 थी और अंततः कार्य अप्रैल 2022 में पूरा हुआ। संविदाकार को ₹ 33.66 करोड़ (सिविल - ₹ 29.08 करोड़ और इलेक्ट्रिकल- ₹ 4.57 करोड़) का अंतिम भुगतान किया गया। यह कार्य, जो अनुमानित लागत से 13.21 प्रतिशत अधिक पर दिया गया था, अंततः अनुमानित लागत से 342.31 प्रतिशत अधिक तथा निविदा राशि से 290.49 प्रतिशत अधिक पर पूरा हुआ।

लेखापरीक्षा में कार्य के विभिन्न चरणों के दौरान निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

#### 2.5.3.1 योजना

कार्य की उचित योजना बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्य का वांछित उद्देश्य बिना किसी समय या लागत अतिलंघन के पूरा हो जाए। तथापि, योजना चरण में ही निम्नलिखित कमियां देखी गईं।

##### (i) परामर्शदाता के चयन का आधार

कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली, 2019 की धारा 1.5 (2) में निर्दिष्ट किया गया है कि सामान्यतः, जब तक स्थिति अन्यथा न हो, ₹ 5 लाख तक के कार्यों के लिए वेब के माध्यम से प्रचार के साथ निविदाओं के खुले आह्वान के बाद कार्य आदेश दिए जाएंगे। ₹ 5 लाख से अधिक अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए ई-निविदा प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित किए जाएंगे। तात्कालिक आवश्यकता के मामले में, अभिलिखित कारणों के साथ, मुख्य अभियंता (सीई) के अनुमोदन से मौके पर कोटेशन एकत्र करके तत्काल कार्य निष्पादित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 183 में यह भी प्रावधान है कि जहां परामर्श सेवाओं की अनुमानित

<sup>41</sup> अनुबंध संख्या 11/2020-21, अक्टूबर 2020

लागत ₹ 25 लाख से अधिक है, वहां परामर्शदाताओं से 'रुचि की अभिव्यक्ति' की मांग करने वाली पूछताछ केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) और जीईएम पर प्रकाशित की जानी चाहिए। जिस संगठन की अपनी वेबसाइट है, उसे अपनी सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ इस वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया की परामर्श कार्य के दायरे में प्रारंभिक अनुमान (पीई) तैयार करना और सभी आशोधन शामिल थे। मुख्य अभियंता ने परामर्शदाता की नियुक्ति के कार्य को अत्यावश्यक घोषित किया और इसके लिए मौके पर कोटेशन एकत्र करने की अनुमति भी दी। तीन परामर्शदाताओं से मौके पर कोटेशन एकत्र किए गए (29 जुलाई 2020) और परामर्श कार्य एक परामर्श फर्म मेसर्स तेवतिया चौहान एंड शर्मा आर्किटेक्ट (प्रा.) लिमिटेड को ₹ 41.30 लाख की न्यूनतम उद्धृत दर पर दिया गया (30 जुलाई 2020)। तथापि केवल इन तीन परामर्शदाताओं की शॉर्टलिस्टिंग/पहचान का आधार और औचित्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाया गया।

इस प्रकार लेखापरीक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति में अपनाई गई सही प्रक्रिया के बारे में आश्वासन नहीं प्राप्त कर सका।

## (ii) न्यायोचित लागत की गलत गणना

के.लो.नि.वि. की निर्माण नियामवली, 2019 की एसओपी 5/3 के अनुसार, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर प्रचलित सामग्री और श्रम आदि की बाजार दरों के आधार पर निविदा खोलने से पहले दरों के औचित्य की जांच के लिए औचित्य लागत तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा ने परामर्श कार्य के लिए न्यायोचित लागत की गणना में अनियमितताएं पाईं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

- लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, यह पाया गया कि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर औचित्य लागत तैयार करने के बजाय, पीडब्ल्यूडी ने न्यायालय भवनों के लिए परामर्श की एक वर्ष पुरानी दरों (₹ 450 प्रति वर्ग मीटर) को अपनाकर दर औचित्य को स्वीकार कर लिया (30 जुलाई 2020)। इस प्रकार, औचित्य लागत का आधार अनुचित था क्योंकि औचित्य के लिए

प्रयुक्त परामर्श दरें ऑफिस भवन से संबंधित थीं जबकि निर्मित किया जाने वाला भवन आवासीय था।

- न्यायोचित लागत को एसई द्वारा 30 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। तथापि, औचित्य पत्रक से यह देखा गया कि ईई ने अपने हस्ताक्षर के नीचे प्रस्तुत करने की किसी तारीख के बिना इसे एसई को प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, न्यायोचित लागत तैयार करने की सही तारीख का पता नहीं लगाया जा सका। उत्तर के अभाव और कोई अन्य अभिलेख जो न्यायोचित लागत तैयार करने की तारीख प्रमाणित कर सके, उपलब्ध नहीं कराए जाने से बोली लगाने वाले को संविदा देने के लिए औचित्य लागत में हेरफेर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- कोटेशन पत्र में वास्तविक क्षेत्रफल 4,778 वर्ग मीटर के स्थान पर 6,974 वर्ग मीटर का गलत प्लॉट क्षेत्रफल दर्शाया गया था।
- न्यायोचित लागत की गणना करते समय, पीडब्ल्यूडी ने बिना किसी औचित्य के अतिरिक्त सेवाओं के कारण दर को 50 प्रतिशत बढ़ाकर ₹ 450 प्रति वर्ग मीटर से ₹ 675 प्रति वर्ग मीटर कर दिया। इससे उच्च दरों को अपनाने से न्यायोचित लागत में ₹ 11.77 लाख<sup>42</sup> की वृद्धि हुई।

### (iii) प्रारंभिक अनुमानों में बार-बार परिशोधन

प्रारंभिक लागत अनुमान (पीई) अक्सर कार्य के निष्पादन की दिशा में पहला कदम होता है। ये अनुमान के.लो.नि.वि. द्वारा प्रकाशित प्लिंथ क्षेत्र दरों (पीएआर)<sup>43</sup> के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य सम्मिलित कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एए एंड ईएस) प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त, के.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली, 2019 की मानक संचालन प्रक्रियाओं की धारा 3/2 (12) में यह प्रावधान है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयू) द्वारा अधिसूचित प्लिंथ क्षेत्र स्केल का पालन सामान्य

<sup>42</sup> 5,230 वर्ग मीटर (न्यायोचित लागत की गणना के लिए प्रयुक्त क्षेत्र) X ₹ 225 (₹ 675 प्रति वर्ग मीटर - ₹ 450 प्रति वर्ग मीटर)

<sup>43</sup> प्लिंथ क्षेत्र दरें 2019, नई सामग्रियों के उपयोग, नई निर्माण प्रौद्योगिकियों और एमओएचयू द्वारा अनुमोदित संशोधित सामान्य पूल रिहायशी आवास मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गईं, जिन्हें जुलाई 2020 में अद्यतन किया गया था।

पूल आवासों के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों/विभागों के आवासों में सभी निर्माण कार्यों के लिए किया जाना है, जहां ऐसे मानदंड लागू हैं।

पीडब्ल्यूडी ने एनआईटी के उद्देश्य से टाइप VII और VIII/बंगलों के लिए पीएआर के लागू विनिर्देश के आधार पर ₹ 7.91 करोड़ की अनुमानित लागत पर पहला पीई तैयार किया और उसके बाद अतिरिक्त चार ए एंड ईएस भी प्रदान किए गए। सभी पांच पीई के प्रस्तावों को पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। विवरण तालिका-2.5.2 में दिया गया है।

**तालिका-2.5.2: पांच ए एंड ईएस का विवरण**

क्रम सं.	संख्या एवं दिनांक	राशि (₹ करोड़ में)	पीई तैयार करने का आधार	टिप्पणी
1	प्रथम, 1.9.2020	7.91	पीएआर 2020/ बाज़ार दरें	अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराना
2	द्वितीय, 8.6.2021	1.64	बाज़ार दरें	आंतरिक साज-सज्जा में परिवर्तन, रसोईघर/लॉन्ड्री/पेंटी की सामग्री, फर्श की वस्तुएं, संरचना में परिवर्तन
3	तृतीय, 22.10.2021	9.09	पीएआर 2021/ बाज़ार दरें	अतिरिक्त कार्य/क्षेत्र में वृद्धि/बेहतर विनिर्देश
4	चतुर्थ, 30.12.2021	5.73	बाज़ार दरें/ डीएसआर	तृतीय पीई की राशि से अधिक कलात्मक और प्राचीन परिष्करण वस्तुओं के संबंध में कार्य के दायरे में वृद्धि
5	पंचम, 29.6.2022	9.34	बाज़ार दरें	तृतीय पीई की राशि से अधिक कलात्मक और सजावटी कार्य (₹ 5.07 करोड़), डिजाइनर एक्सेसरीज़ फिटिंग्स (₹ 48.27 लाख), संगमरमर का काम (₹ 1.97 करोड़) आदि, जैसे कार्य के दायरे में परिवर्तन के कारण वृद्धि
<b>कुल</b>		<b>33.71</b>		

पीई के संबंध में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- **चयनित परामर्शदाता द्वारा पीई प्रस्तुत करने के संबंध में स्पष्टता का अभाव**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परामर्श कार्य के दायरे में पीई तैयार करना और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति मिलने तक सभी आशोधन करना शामिल था। तथापि, न तो कोई दस्तावेज़/अभिलेख मिला जिससे यह साबित हो कि परामर्शदाता द्वारा पीई प्रस्तुत की गई थी और न ही लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विभाग द्वारा कोई उत्तर दिया गया था। 1 सितंबर 2020 के प्रशासनिक

अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के अनुपालन के लिए नोट में भी इसका कोई संदर्भ नहीं था।

चूंकि प्रथम पीई वह ढांचा था जिस पर संपूर्ण कार्य-1 को क्रियान्वित किया जाना था, अतः चयनित परामर्शदाता द्वारा पीई की तैयारी के संबंध में स्पष्टता का अभाव, आगामी कार्य को अविश्वसनीय आधार पर रख देता है तथा परामर्शदाता को भुगतान के लिए औचित्य का अभाव पैदा करता है।

- **तीसरे पीई में निर्मित क्षेत्र में वृद्धि**

₹ 9.09 करोड़ के लिए तैयार किए गए तीसरे पीई को एसई द्वारा इस नोट के साथ मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था कि 'अतिरिक्त पीई अतिरिक्त कार्यक्षेत्र, उन मर्दों के लिए है जो पिछली मंजूरी में शामिल नहीं थे और निर्माण के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए है'। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्मित क्षेत्र को 1,397 से 1,905 वर्ग मीटर तक (36 प्रतिशत) बढ़ाया गया था, तथापि, अभिलेखों में इसके लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया था और न ही मुख्य अभियंता द्वारा इसके लिए पूछा गया था, जिन्होंने ए एंड ईएस प्रदान किया था।

क्षेत्र में यह मनमाना वृद्धि न केवल कार्य की खराब योजना को उजागर करती है, बल्कि इससे समग्र लागत भी बढ़ गई है।

- **प्रथम और द्वितीय पीई में पहले से सम्मिलित मर्दों को शामिल करने के कारण अनुवर्ती के पीई में वृद्धि**

प्रथम पीई टाइप VII और VIII/बंगलों के लिए पीएआर के लागू विनिर्देश के आधार पर तैयार किया गया था और ₹ 7.91 करोड़ की बेहतर इंटीरियर, बेहतर शौचालय और मॉड्यूलर किचन आदि कार्य शामिल थे।

तीसरे, चौथे और पांचवें पीई में शामिल विभिन्न मर्दों की तुलना करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उच्च विनिर्देश, कलात्मक और प्राचीन वस्तुओं, सजावटी कार्यों के उपयोग के लिए ₹ 5.46 करोड़ (तीसरे पीई के ₹ 9.09 करोड़ में से), ₹ 5.73 करोड़ (चौथा पीई) और ₹ 9.34 करोड़ (पांचवां पीई) शामिल थे। इसके अतिरिक्त तीसरे और पांचवें पीई की मर्दों पर प्रथम पीई में विचार किया जा चुका था। मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री, पेंट्री

आदि उपलब्ध कराने और तैयार करने के लिए ₹ 1.64 करोड़ के दूसरे पीई को मंजूरी दी गई थी, जिस पर भी प्रथम पीई में भी विचार किया गया था।

- **कार्य की समाप्ति के बाद एए एंड ईएस प्रदान किया गया**

₹ 9.34 करोड़ के एए एंड ईएस को मुख्य अभियंता द्वारा 29 जून 2022 को अर्थात् कार्य पूरा होने के दो महीने से अधिक समय बाद (20 अप्रैल 2022) मंजूरी दी गई।

यह स्पष्ट नहीं था कि पांचवे पीई में सम्मिलित कार्य की मदों को जिनके लिए कोई एए या निधि का प्रावधान नहीं था, कैसे निष्पादित किए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि कार्य पूरा होने के बाद एए एंड ईएस की मंजूरी के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था।

इस प्रकार, योजना चरण परामर्शदाताओं के संदिग्ध चयन, अनुमानों में बार-बार परिशोधन, पहले से सम्मिलित उच्च विनिर्देशों की वस्तुओं को फिर से शामिल करना, उचित औचित्य के बिना कार्य के दायरे को बढ़ाना आदि से भरा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप कार्य की निविदा लागत में 290 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अर्थात् ₹ 8.62 करोड़ की तुलना में ₹ 33.66 करोड़ का वास्तविक भुगतान किया गया।

### 2.5.3.2 निविदा प्रक्रिया

सार्वजनिक खरीद का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और निरंकशता को समाप्त करना है। तथापि, लेखापरीक्षा में कार्य-1 की निविदा प्रक्रिया में निम्नलिखित पाया गया:

(i) **सीमित निविदा के माध्यम से की गई निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं**

कें.लो.नि.वि. में संविदाकारों को सूचीबद्ध करने संबंधी नियमों के अनुसार, कें.लो.नि.वि. के साथ पंजीकृत संविदाकारों को उनकी निविदा सीमा के भीतर कार्यों के लिए निविदा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। वर्ग-II, I, I (ए), I (एए), I (एएए) और I (सुपर) के अंतर्गत पंजीकृत संविदाकारों क्रमशः ₹ 10.50 करोड़, ₹ 30 करोड़, ₹ 50 करोड़, ₹ 100 करोड़, ₹ 200 करोड़ और ₹ 500 करोड़

या उससे अधिक के मौद्रिक मूल्य वाले समेकित कार्यों के लिए निविदा देने के पात्र हैं।

कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली 2019 के अनुसार, 'सीमित निविदाएं गुप्त/विशेष प्रकृति की होती हैं, जिनमें विशेष उपकरण या वीआईपी आवासों/ महत्वपूर्ण भवनों के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, जिन्हें सीमित पूर्व-योग्य संविदाकारों से आमंत्रित किया जाता है।' ₹ 50 लाख से अधिक की सीमित निविदाएं सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर महानिदेशक (इंजीनियर-इन-चीफ/प्रधान मुख्य अभियंता) के पूर्व अनुमोदन के साथ अभिलिखित कारणों के साथ आमंत्रित की जा सकती हैं।

प्रधान मुख्य अभियंता ने सीमित निविदा के लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि यह कार्य वीआईपी आवास से संबंधित है और इसे तेज़ गति से पूरा किया जाना है। ई-निविदा के माध्यम से कार्य-1 के लिए पांच संविदाकारों से निविदाएं आमंत्रित की गईं (अक्टूबर 2020) और उन्हें बोली जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया गया। बोली में भाग लेने के लिए आमंत्रित पांच संविदाकारों में से केवल तीन ने अपनी बोली जमा की और कार्य सबसे कम बोली लगाने वाले यानी मेसर्स ए.के. बिल्डर्स को दे दिया गया।

सीमित निविदा के संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया:

- पीडब्ल्यूडी के एसई ने पांच संविदाकारों को इस आधार पर चयन किया कि वे आर्थिक रूप से मज़बूत, संसाधन संपन्न थे और उन्होंने वीआईपी क्षेत्रों में इसी तरह के महत्वपूर्ण काम किए थे। तथापि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए निविदा प्रलेखों की जांच से पता चला कि केवल एक संविदाकार यानी मेसर्स ए.के. बिल्डर्स (वर्ग-1) के पास वीआईपी क्षेत्र में काम करने का अनुभव था। शेष चार संविदाकारों ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, पार्क और अटल समाधि आदि के विकास से संबंधित कार्यों को निष्पादित किया, जो दर्शाता है कि इन संविदाकारों को वीआईपी क्षेत्रों में समान कार्य करने का अनुभव नहीं था। इस प्रकार, पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार की गई सूची शुरू से ही अपूर्ण थी क्योंकि एसई द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार केवल एक संविदाकार ही सीमित बोली में भाग लेने के लिए योग्य था।

- इसके अलावा अतिरिक्त एए एंड ईएस की शर्त संख्या 12 के अनुसार, कार्य केवल ई-निविदा के माध्यम से दिया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडब्ल्यूडी ने अतिरिक्त एए एंड ईएस के लिए ई-निविदा की संभावना नहीं खोजी और ₹ 25.80 करोड़ की राशि के कार्य मौजूदा संविदाकार द्वारा निष्पादित किए गए।

इस प्रकार, अतिरिक्त एए एंड ईएस के लिए खुली निविदा (ई-निविदा) का सहारा न लेने के साथ बोलीदाताओं के मनमाने चयन ने सरकार को ₹ 25.80 करोड़ (सभी चार अतिरिक्त पीई की कुल राशि) के कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों से वंचित कर दिया।

### 2.5.3.3 कार्य का निष्पादन

कार्य निष्पादन से संबंधित अधिकांश अभिलेखों, जैसे मापन पुस्तिका, आपूर्ति वाउचर, चालू खाता बिल आदि के अभाव में, लेखापरीक्षा निष्पादन प्रक्रिया के बारे में आश्वासन स्थापित नहीं कर सकी। तथापि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए सीमित अभिलेखों से, निम्नलिखित बातें देखी गईं:

#### (i) अनुबंध मात्रा में विचलन

संविदाकार के साथ की गई संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 12 के अनुसार, यदि संविदा मर्दे अनुसूची-एफ में निर्धारित सीमाओं से अधिक होती हैं, तो निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा के लिए दरों का निर्धारण बाज़ार दरों के आधार पर किया जाना था। संविदा की अनुसूची-एफ के अनुसार, मिट्टी के कार्य उप-शीर्ष की विचलित मद के निष्पादन के लिए 100 प्रतिशत तक और अन्य कार्यों के लिए 30 प्रतिशत तक संविदा दरों पर संविदाकार को भुगतान किया जाना था। उपर्युक्त सीमाओं से अधिक विचलनों के लिए बाज़ार दरों का भुगतान किया जाना था।

अनुबंध के अनुसार, संविदाकार को संपूर्ण कार्य I के लिए 338 मर्दों (133 सिविल + 205 इलेक्ट्रिकल) का निष्पादन करना था। तथापि, यह देखा गया कि कई सिविल और इलेक्ट्रिकल मर्दों के संबंध में अनुबंध मात्रा की तुलना में निष्पादित मात्रा में भिन्नता थी, जैसा कि तालिका-2.5.3 में वर्णित है।

तालिका-2.5.3: सिविल और इलेक्ट्रिकल अनुबंध मर्दों में भिन्नता

₹ करोड़ में

विवरण	निष्पादित अतिरिक्त मर्दों की संख्या	मात्रा	निष्पादित नहीं किए गए मर्दों की संख्या	राशि	कम निष्पादित मर्दों की संख्या	राशि
सिविल	50	3.51	52	0.73	30	0.91
इलेक्ट्रिकल	51	0.79	82	0.29	22	0.09
कुल	101	4.3	134	1.02	52	1.00

तालिका-2.5.3 से देखा जा सकता है कि कुल अनुबंध मर्दों में से, ₹ 4.30 करोड़, ₹ 1.02 करोड़ और ₹ 1 करोड़ की मात्राएं अनुमानित मात्राओं से क्रमशः अधिक निष्पादित, निष्पादित नहीं और कम निष्पादित की गईं।

- वास्तव में निष्पादित मात्राओं से अनुमानित मात्राओं की तुलना करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 74 मर्दों (35 सिविल + 39 इलेक्ट्रिकल) के संबंध में विचलन 30 प्रतिशत से अधिक था। 30 प्रतिशत से अधिक विचलन के कारण, पीडब्ल्यूडी को संविदा की शर्तों के खंड 12 के अनुसार ₹ 0.67 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, जो कि संविदा दरों और बाजार दरों के बीच का अंतर है।
- इसके अतिरिक्त सिविल कार्य विवरणों के अनुमोदन के समय, विचलित मात्राओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी गई थी। इस प्रकार, औचित्य के अभाव में, मर्दों में विचलन का सत्यापन नहीं किया जा सका।
- कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली वर्क्स मैनुअल के पैरा 5.11.1 (3) में यह प्रावधान है कि अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मर्दों को तैयार करने, जांचने और मंजूरी देने वाले अधिकारियों को मर्दों के नामकरण की उचित तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए, उन्हें निष्पादित करने के विशिष्ट कारणों को अभिलिखित करना चाहिए, और “साइट की स्थितियों के अनुसार आवश्यक” या “साइट पर आवश्यक” आदि जैसी आकस्मिक टिप्पणियां/कारण दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। इलेक्ट्रिकल कार्य के संबंध में, अतिरिक्त, प्रतिस्थापन और मर्दों के निष्पादन पर ₹ 2.57 करोड़ खर्च किए गए, जिसके प्रति 'साइट की आवश्यकता के अनुसार और अनुबंध में नहीं ली गई मात्रा और परामर्शदाता के अनुमोदन के अनुसार' जैसी आकस्मिक टिप्पणियों का उल्लेख किया गया, जो कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन है।

**(ii) प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन के कारण अतिरिक्त भुगतान**

प्रतिस्थापित मदें वे हैं जो संविदा की मात्रा अनुसूची में सम्मिलित कार्य मदों के स्थान पर निष्पादित की जाती हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.42 करोड़ की मदों 21 अनुबंध (अनुलग्नक 2.10) वस्तुओं को बेहतर विनिर्देशों वाली सामग्री से प्रतिस्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ।

**(iii) पीएआर की सीमा से अधिक अतिरिक्त मदों के रूप में ₹ 18.88 करोड़ का व्यय किया गया**

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह देखा गया कि अतिरिक्त पीई में सम्मिलित उच्च विनिर्देशों की मदों, कलात्मक और प्राचीन वस्तुओं, सजावटी कार्य आदि की वस्तुओं में से 198 मदें (सिविल) और 40 मदें (इलेक्ट्रिकल), जिनकी लागत ₹ 17.30 करोड़ है (उदाहरण के लिए - ₹ 68.76 लाख की मॉड्यूलर किचन से संबंधित वस्तुएं, ₹ 95.90 लाख मूल्य के शीर पर्दे आदि। (विवरण अनुलग्नक 2.11 में) और ₹ 1.58 करोड़ (अनुलग्नक 2.12) पीएआर की सीमा से अधिक अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किए गए। इससे ₹ 18.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, लागू विनिर्देशों के अलावा सुपर विनिर्देशयुक्त मदों को सम्मिलित करने से संबंधित मामले पर पीडब्ल्यूडी के किसी भी अधिकारी द्वारा आपत्ति नहीं उठाई गई। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों में प्लिंथक्षेत्र दरों की सीमा से परे अतिरिक्त वस्तुओं के निष्पादन का कोई कारण नहीं बताया गया था।

**2.5.4 कार्य-II - स्टाफ ब्लॉक/कैंप ऑफिस 6 स्टाफ फ्लैग रोड, सिविल लाइंस का परिवर्धन/परिवर्तन**

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों (जून 2021 का नोटिंग भाग) के अनुसार, परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक नक्शे में, आवासीय परिसर के अंदर स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण का प्रावधान था, जो क्रमशः 705 वर्ग मीटर और 510 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता था। यह कार्य (अनुबंध संख्या 19/21-22 दिनांक 14.7.2021) ₹ 16.54 करोड़ की निविदा लागत पर दिया गया था, जो ₹ 18.37 करोड़ की अनुमानित लागत से 10.01 प्रतिशत कम था। कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जुलाई 2021 एवं

जनवरी 2022 थी। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच से पता चला कि उसमें अनुबंध के तहत निर्मित स्टाफ ब्लॉक का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि कैंप ऑफिस का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया था।

कैंप ऑफिस का कार्य अक्टूबर 2023 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। तथापि, स्वीकृत राशि ₹ 19.87 करोड़ के प्रति संविदाकार को ₹ 19.22 करोड़ (सिविल - ₹ 14.64 करोड़, इलेक्ट्रिकल - ₹ 4.58 करोड़) का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रगति रिपोर्ट में स्वीकृत राशि के संदर्भ में कार्य की भौतिक प्रगति को 100 प्रतिशत पूर्ण बताया गया था परंतु कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार की गई फोरक्लोज़र रिपोर्ट (19 जून 2023) के अनुसार यह लंबित था, जो दर्शाता है कि प्रगति रिपोर्ट में कार्य की गलत स्थिति का उल्लेख किया गया था। बिलों/अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में शेष स्वीकृत राशि ₹0.65 करोड़ का विवरण ज्ञात नहीं हो सका। परिशोधित स्वीकृति अथवा अतिरिक्त स्वीकृति के अभाव में कार्य को रोकने का प्रस्ताव किया गया (जून 2023)। तथापि, सितंबर 2023 तक अंतिम निर्णय अभी भी लंबित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के विभिन्न चरणों के दौरान निम्नलिखित कमियां देखी गईं।

#### 2.5.4.1 कार्य की योजना

##### (i) स्टाफ ब्लॉक/कैंप ऑफिस के लिए ₹ 3.86 करोड़ का बढ़ा हुआ प्रारंभिक अनुमान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस में परिवर्धन/परिवर्तन के कार्य के संबंध में ₹ 9.87 करोड़ और ₹ 10 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान (पीई) क्रमशः 2020 और 2021 की प्लिंथ क्षेत्र दरों के आधार पर तैयार किए गए थे। लेखापरीक्षा में कई विसंगतियां देखी गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

##### स्टाफ ब्लॉक/कैंप ऑफिस

- स्टाफ ब्लॉक के संबंध में, पीडब्ल्यूडी ने गलत दरों अर्थात् 510 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए आरसीसी फ्रेमयुक्त संरचना की गणना के लिए आवासीय भवन (₹ 19700 प्रति वर्ग मीटर) के स्थान पर गैर-आवासीय

भवन (₹ 25,800 प्रति वर्ग मीटर) का प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप एए एंड ईएस में ₹ 0.31 करोड़<sup>44</sup> की वृद्धि हुई। इसके अलावा, प्रारंभिक अनुमान में बेसमेंट के निर्माण के लिए ₹ 0.53 करोड़ का प्रावधान था, जिसे संविदाकार के साथ किए गए अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था, जो इंगित करता है कि बेसमेंट का निर्माण किया जाना था। इस प्रकार, दोनों के कारण, पीई में ₹ 0.84 करोड़ की वृद्धि हुई। कैंप ऑफिस के संबंध में भी बेसमेंट के निर्माण के लिए ₹ 0.75 करोड़ का प्रावधान था, जिसे संविदाकार के साथ किए गए अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था, जो इंगित करता है कि बेसमेंट का निर्माण नहीं किया गया था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेवा और विद्युत कार्यों के प्रत्येक घटक के प्रतिशत की गणना प्रारंभिक अनुमान में उल्लिखित सिविल लागत की कुल राशि के आधार पर गणना की गई थी। चूंकि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस की सिविल लागत की कुल राशि क्रमशः ₹ 0.84 करोड़ और ₹ 0.75 करोड़ बढ़ा दी गई थी, इसलिए सेवा और विद्युत कार्यों का भी क्रमशः ₹ 1.41 करोड़<sup>45</sup> और ₹ 0.86 करोड़<sup>46</sup> अधिक अनुमान लगाया गया था।

इस प्रकार, सिविल लागत को गलत तरीके से अपनाने के कारण, कैंप ऑफिस/स्टाफ ब्लॉक की पीई में ₹ 3.86 करोड़ की वृद्धि हुई।

**(ii) प्रारंभिक अनुमान में विभिन्न मदों के लिए अतिरिक्त लागतों की गणना में अनियमितताएं और विसंगतियां**

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि पीई की तैयारी में एकरूपता का अभाव था क्योंकि समान मुद्दों के लिए दो पीई में अलग-अलग दरें अपनाई गई थीं जैसा कि नीचे तालिका-2.5.4 में दिखाया गया है।

<sup>44</sup> (₹ 25,800 - ₹ 19,700 = ₹ 6,100 x 510 वर्ग मीटर)

<sup>45</sup> सेवा और इलेक्ट्रिकल्स का प्रतिशत सिविल लागत का 168.25 है, अर्थात् (₹ 2.11 करोड़ - ₹ 1.27 करोड़) {₹ 2.11 करोड़ - ₹ 0.84 करोड़} का 168.25 प्रतिशत = ₹ 1.41 करोड़।

<sup>46</sup> सेवा और इलेक्ट्रिकल्स का प्रतिशत सिविल लागत का 115.25 है, अर्थात् (₹ 2.90 करोड़ - ₹ 2.50 करोड़) {₹ 2.90 करोड़ - ₹ 0.75 करोड़} का 115.25 प्रतिशत = ₹ 0.86 करोड़।

तालिका-2.5.4: स्टाफ ब्लॉक एवं कैंप ऑफिस के पीई में मदों की दरों की तुलना

क्रम सं.	मद का विवरण	स्टाफ ब्लॉक के पीई के अनुसार दरें	कैंप ऑफिस के पीई के अनुसार दरें
1	वीवीआईपी प्रतिष्ठानों के लिए विशेष एलईडी ल्यूमिनरी प्रकाश व्यवस्था के लिए अतिरिक्त	@20%	@10%
2	लैन सिस्टम	@1000/ वर्ग मीटर	@800/ वर्ग मीटर
3	आईपी-आधारित ईपीएबीएक्स प्रणाली का एसआईटीसी	@1000/ वर्ग मीटर	@600/ वर्ग मीटर
4	बेहतर और परिष्कृत गुणवत्ता वाली जल आपूर्ति और सैनिटरी की स्थापना के लिए अतिरिक्त	@20%	@10%
5	पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त	@20%	@10%

समान मदों के लिए एक समान दरें न अपनाना, कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक के प्रारंभिक अनुमानों की तैयारी में असंगतियों को दर्शाता है।

#### 2.5.4.2 निविदा प्रक्रिया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य-II के लिए सीमित निविदा ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की गई थी (जून 2021) और कार्य मेसर्स पीएनएससी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया था। तथापि, बोलीदाताओं के चयन के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा सम्मिलित निविदा प्रक्रिया के बारे में आश्वासन नहीं दे सकी।

#### 2.5.4.3 कार्य का निष्पादन

एए एंड ईएस के अनुसार स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस का निर्माण आवासीय परिसर के अंदर क्रमशः 705 वर्ग मीटर और 510 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाना था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित बातें देखी गईं:

- (i) सामान्य पूल रिहाइशी आवास के पुनर्विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में गैर-रिहाइशी भवन (कैंप ऑफिस) का निर्माण

फरवरी 2022 में, अर्थात् कार्य प्रदान किए जाने की तिथि से छह महीने से अधिक समय बाद, अधीक्षण अभियंता ने बेहतर समन्वय और मुख्यमंत्री कार्यालय के उपयोग के लिए अर्ध-स्थायी प्रकार के कैंप ऑफिस के निर्माण के

लिए 45-47 राजपुर रोड भूखंड<sup>47</sup> (6 फ्लैग स्टाफ रोड के पीछे) के हिस्से का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। इसे लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने मंजूरी दी। कैबिनेट नोट में (28 जुलाई 2021) रा.रा.क्षे.दि.स., यह उल्लेख किया गया था कि 45-47 राजपुर रोड पर सामान्य पूल रिहाइशी आवास (जीपीआरए) का मौजूदा भवन लगभग 50 वर्ष पुराना था और संरचनात्मक संकट का सामना कर रहा था। मंत्री (पीडब्ल्यूडी) और सचिव (पीडब्ल्यूडी) द्वारा की गई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन जीपीआरए कॉलोनियों को पूरी क्षमता से भूमि का उपयोग करने और नवीनतम संरचनात्मक दिशानिर्देशों और सुविधाओं के अनुसार नए फ्लैटों का निर्माण करने के लिए पुनर्विकास किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्री (पीडब्ल्यूडी) ने कैबिनेट के निर्णय का उल्लंघन करते हुए रिहाइशी भवन के रूप में पुनर्विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में अर्ध-स्थायी गैर-रिहाइशी संरचना के निर्माण को मंजूरी दी। इसके अलावा, कैंप ऑफिस का क्षेत्रफल भी 275 प्रतिशत (705 वर्ग मीटर से 2,640 वर्ग मीटर) बढ़ा दिया गया। इस प्रकार, कार्य II के संबंध में निर्माण स्थल के स्थान और इसकी संरचनात्मक प्रकृति में परिवर्तन हुआ। कार्य को बंद करने का प्रस्ताव ईई द्वारा शुरू किया गया था। तथापि, अंतिम निर्णय के संबंध में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, कैंप ऑफिस का काम बीच में ही रोक दिया गया, जिससे उस सीमा तक निष्फल व्यय हुआ।

कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक के लिए मात्रा की अनुसूची अलग न होने के कारण कैंप ऑफिस के अधूरे निर्माण पर होने वाले खर्च की गणना नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कार्यों की माप पुस्तिकाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गईं।

## (ii) स्टाफ ब्लॉक का निर्माण नहीं किया गया

स्टाफ ब्लॉक के निर्माण के लिए दिया गया एए एंड ईएस ₹9.87 करोड़ था। तथापि, विभाग द्वारा भेजे गए फोरक्लोज़र नोट के अनुसार कार्य-II के अनुबंध के तहत किए गए कार्यों की सूची में स्टाफ ब्लॉक का कोई उल्लेख नहीं है। कार्य को रोकने के लिए दिए गए कारण फरवरी 2023 से कार्य की प्रगति में

---

<sup>47</sup> कैबिनेट अनुमोदन (28 जुलाई 2021) के अनुसार, उक्त भूखंड को जीपीआरए क्वार्टरों के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित किया गया था।

अभाव और परिशोधित स्वीकृति अथवा उसके लिए अतिरिक्त स्वीकृति की गैर-प्राप्ति थे।

**(iii) धन का अपयोजन**

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 26 (ii) के अनुसार, अपने अधीन रखे गए धन के संबंध में नियंत्रण अधिकारी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए धन उपलब्ध कराया गया है।

निम्नलिखित ऐसे उदाहरण हैं जहां उपर्युक्त प्रावधान का पालन नहीं किया गया:

• **आवासीय परिसर के लिए निधियों का अपयोजन**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवास पर (मुख्यमंत्री के) सैनिटरी आइटम, फर्नीचर और जिम उपकरण उपलब्ध कराने और लगाने/रखने पर ₹ 1.87 करोड़ (अनुलग्नक 2.13) की राशि खर्च किया गया था। तथापि, इन मदों को कार्य-I यानी 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर परिवर्धन निर्माण और परिवर्तन में शामिल करने के बजाय, इन मदों को कार्य-II यानी स्टाफ ब्लॉक/कैंप ऑफिस, 6 स्टाफ फ्लैग रोड, सिविल लाइंस में परिवर्धन/परिवर्तन में शामिल किया गया और मुख्य अभियंता द्वारा इसकी स्वीकृति भी दी गई।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व उठाए गए किसी मुद्दे के बारे में कुछ भी नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक निधि का अपयोजन हुआ।

• **सेवक आवास निर्माण हेतु लगभग ₹ 1.33 करोड़ का अपयोजन**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के निर्देशानुसार, पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आवास के भूखंड से सटी चारदीवारी पर स्थित सेवक क्वार्टरों<sup>48</sup> को 33 शामनाथ मार्ग दिल्ली डायलॉग कमीशन परिसर में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा सड़क को चौड़ा करने के लिए किया गया था ताकि अग्निशमन गाड़ियों को निर्बाध आवाजाही मिल सके। इसके लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमति दी गई थी।

<sup>48</sup> 45-47 राजपुर रोड आबंटिती

नए स्थान पर उपर्युक्त आठ सेवक क्वार्टरों के निर्माण के प्रति, पीडब्ल्यूडी ने कार्य II में अतिरिक्त मदों के रूप में लगभग ₹ 1.33 करोड़ का व्यय किया और इसे मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया। सेवक क्वार्टरों पर वास्तविक व्यय की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे कि बिजली स्टेशन और सुरक्षा कक्षाओं पर व्यय की गई राशि को सेवक क्वार्टर मदों के साथ अतिरिक्त मदों के रूप में अलग नहीं किया गया था।

- **मंत्री के बंगले के लिए निधि का अपयोजन**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक मंत्री के बंगले पर स्थापित ट्रेडमिल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए संविदाकार को ₹ 6.41 लाख का भुगतान किया गया था, जबकि कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक के लिए धन का उपयोग किया गया था। प्रभाग द्वारा माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत न किए जाने के कारण स्थापना स्थल का सत्यापन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, ऐसे कई उदाहरण थे जिनमें कार्य II के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग अन्य स्थानों पर किया गया था।

जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफों से देखा जा सकता है, कार्य II से कई वित्तीय विचलन थे, जिसके कारण अंततः वास्तविक निर्माण कार्य के लिए धन की कमी हो गई।

**(iv) कार्य II का निष्पादन**

कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली 2019 के अनुसार वे मदें जो पूर्णतः नई हैं और संविदा की मात्रा अनुसूची में समाविष्ट मदों के अतिरिक्त हैं, वे अतिरिक्त मदें हैं। कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अध्याय III के पैरा 3/3 के अनुसार, विस्तृत अनुमान पूर्ण और व्यापक होना चाहिए और इसे विस्तृत वास्तुशिल्पीय नक्शे, प्रारंभिक संरचनात्मक योजनाओं, विभिन्न सेवाओं के प्रारंभिक ले-आउट नक्शे, सम्मिलित कार्य के विभिन्न घटकों के लिए विस्तृत नक्शे और/या विनिर्देशों आदि द्वारा समर्थित होना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अतिरिक्त मदों की मात्रा/निष्पादन में वृद्धि के निम्नलिखित उदाहरण पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि एसओपी का पालन नहीं किया गया था, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

- **अनुबंध की मात्रा में विचलन**

₹ 9.66 करोड़ की निविदा राशि के प्रति, पीडब्ल्यूडी ने कार्य के सिविल घटक के निष्पादन के प्रति संविदाकार को ₹ 14.65 करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2023)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 170 अनुबंध मदों में से ₹ 1.03 करोड़ की 35 मदों अनुबंध में उल्लिखित मात्रा से अधिक थी। इसमें से ₹ 99.82 लाख का व्यय मुख्यमंत्री आवास और कैंप ऑफिस में सेवक क्वार्टर, इलेक्ट्रिकल मीटर कक्षा/सुरक्षा ब्लॉक के निर्माण से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेख में किए गए व्यय का स्थलवार विवरण उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.88 करोड़ और ₹ 3.14 करोड़ के 73 और 59 अनुबंध मदों के गैर-निष्पादन और कम निष्पादन के यथार्थ कारणों को सत्यापित नहीं किया जा सका, क्योंकि यह कार्य अक्टूबर 2023 तक पूर्ण नहीं किया गया था।

विचलन विवरण के टिप्पणी कॉलम में, यह उल्लेख किया गया था कि 'संविदा में प्रावधान नहीं लिया गया'। यह दर्शाता है कि कार्यों की योजनाएं और डिज़ाइन पूर्ण और व्यापक नहीं थे। इसके अतिरिक्त, माप पुस्तकों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में अनुबंध मदों के निष्पादन का वास्तविक स्थान सत्यापित नहीं किया जा सका।

- **मात्रा में विचलन के लिए अधिक भुगतान**

संविदा की सामान्य शर्त के खंड 12.3 के अनुसार, संविदा मदों की मात्रा में विचलन के मामले में, जो अनुसूची एफ में निर्धारित सीमा से अधिक है, संविदाकार को अनुबंध दर/बाजार दर जो भी कम हो, पर भुगतान किया जाना था। संविदा की अनुसूची एफ के अनुसार, विचलन सीमा 100 प्रतिशत थी।

बिलों की लेखापरीक्षा से पाया गया कि 14 अनुबंध मदों में विचलन था। इन मदों में, यद्यपि अनुबंध दरें बाजार दरों से कम थीं, संविदा की शर्त के उल्लंघन में ₹ 0.38 करोड़ का भुगतान बाजार दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 0.38 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(v) **कोडल औपचारिकताओं को पूरा किए बिना परामर्शदाताओं की नियुक्ति**

जीएफआर के नियम 183 और 184 के अनुसार, जहां परामर्श सेवा की अनुमानित लागत पच्चीस लाख रुपये तक है, संभावित परामर्शदाताओं की एक

लंबी सूची समान गतिविधियों में शामिल अन्य मंत्रालयों या विभागों या संगठनों, वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, परामर्शदात्री फर्मों के संघ आदि से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ के आधार पर तैयार की जानी है और जहां परामर्श सेवाओं की अनुमानित लागत पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, परामर्शदाताओं से 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्राप्त करने के लिए पूछताछ, केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) और जीईएम पर प्रकाशित की जानी चाहिए। अपनी वेबसाइट रखने वाले संगठन को अपनी सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ भी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार परामर्शदाताओं का चयन प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए और परामर्शदाताओं की भूमिका बौद्धिक, परामर्शी और अनुशासनात्मक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की आवश्यकता वाली स्थितियों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का सहारा लिया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग के पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है।

कैंप कार्यालय के लिए (छ: परामर्शदाता) इंटीरियर डिज़ाइनिंग (₹ 50.84 लाख), लैंडस्केप (₹ 50.84 लाख), लाइटिंग डिज़ाइन सेवाएं (₹ 17.39 लाख), संरचनात्मक डिज़ाइन (₹ 66.90 लाख), वास्तुकला योजना और डिज़ाइनिंग (₹ 93.66 लाख) और पूर्ण मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी) डिज़ाइन (₹ 66.90 लाख) नियुक्त किए गए। संविदाकार द्वारा अतिरिक्त मदों के रूप में परामर्शदाताओं की नियुक्ति को मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2023) किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परामर्शदाताओं का चयन पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें सीधे संविदाकार द्वारा नियुक्त किया गया था। उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन में परामर्श कार्यों के लिए अतिरिक्त मदों के रूप में ₹ 25 लाख, ₹ 25 लाख, ₹ 5 लाख, ₹ 66.90 लाख, ₹ 55 लाख और ₹ 4 लाख कुल 1.81 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को किए गए वास्तविक कार्य की तुलना में सौंपे गए कार्य का दायरा, भुगतान अनुसूची, इन परामर्शदाताओं के साथ किए गए अनुबंध से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखापरीक्षा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि चयनित परामर्शदाता सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने में सक्षम था। इसके अलावा, अतिरिक्त मदों के रूप में परामर्शदाताओं की नियुक्ति जीएफआर, वित्त मंत्रालय और सीवीसी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विरुद्ध थी।

**(vi) विद्युत उपकरणों के उपयोग के बारे में आश्वासन न मिलना**

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर, यह पाया गया कि कैंप ऑफिस के कार्य के प्रारंभ के समय संविदाकार द्वारा ₹ 1.34 करोड़ (अनुबंध मद दर का 80 प्रतिशत) की लागत की 12 विद्युत सामग्री<sup>49</sup> की आपूर्ति की गई थी।

इन मदों को कैंप ऑफिस में स्थापित, परीक्षित और चालू किया जाना था। तथापि, पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य II के लिए प्रस्तुत किए गए फोरक्लोज़र नोट के अनुसार, कैंप ऑफिस का केवल कच्चा निर्माण ही किया गया था। परिणामस्वरूप, इन उपकरणों की स्थापना, परीक्षण और चालू करने की स्थिति और स्थान की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी।

**(vii) संरचनाओं का अनियमित रूप से ध्वस्तीकरण**

कैं.लो.नि.वि. निर्माण नियमावली की धारा 8.4 में यह प्रावधान है कि निर्मित या खरीदी गई किसी भी सरकारी इमारत का निपटान बेचकर या ध्वस्त कर तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि पहले यह सुनिश्चित न कर लिया जाए कि सरकार के किसी विभाग को इसकी आवश्यकता नहीं है, और/या यह संकटपूर्ण स्थिति में है और/या इसकी मरम्मत करना संभव नहीं है, या मौजूदा इमारत के स्थान पर सरकारी इमारत या संरचना के निर्माण के लिए खाली जगह होना आवश्यक है। जब किसी इमारत को ध्वस्त करना प्रस्तावित हो, तो एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और इमारत की बिक्री या ध्वस्तीकरण को मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत

<sup>49</sup> छह इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित मोटर चालित स्विंग गेट ड्राइव यूनिट, दो नियंत्रण पैनल, आठ स्विंग गेट, तीन हाइड्रॉलिक रूप से संचालित क्रैश रेटेड बोलार्ड, छह हेंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, तीन मल्टी जोन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, दो एलईडी ट्रैफिक लाइट, सभी गेटों और बोलार्ड पर सुरक्षा के लिए 12 आईआर बीम फोटो सेंसर, परिधि घुसपैठ पहचान प्रणाली, इसके नेटवर्क से जुड़े सभी नोड नियंत्रण इकाइयों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर/एपीआई, आईपी आधारित नोड नियंत्रण इकाई, 160 केवीए के दो साइलेंट प्रकार के डीजल जेनरेटिंग सेट।

की जानी चाहिए। जहां इमारत के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव पर भारत सरकार की मंजूरी आवश्यक है और सैद्धांतिक रूप से ऐसी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, महानिदेशक/अपर महानिदेशक/मुख्य अभियंताओं को ऐसी सर्वेक्षण रिपोर्टों को मंजूरी देने के लिए वित्तीय शक्तियां सौंपी जाती हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट मंजूर होने के बाद, अधिकारियों द्वारा केवल ध्वस्त सामग्री के मूल्यांकित बचाव मूल्य को ध्यान में रखते हुए, सौंपी गई शक्तियों के अनुसार आरक्षित मूल्य तय किया जाएगा। जो इमारतें कें.लो.नि.वि./संपदा निदेशालय, एमओएचयू के स्वामित्व में नहीं हैं, उनके निपटान का अनुमोदन स्वामी/ग्राहक से लिया जाएगा।

रा.रा.क्षे.दि.स. के मामले में, पीडब्ल्यूडी के सचिव के अध्यक्षता वाली शाखा, पीडब्ल्यूडी के आबंटन शाखा पात्र आवेदकों को सरकारी आवास आबंटित करती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री आवास में पुराने क्वार्टरों को तोड़ने तथा आईएएस फ्लैट्स और क्वार्टरों<sup>50</sup> को ध्वस्त करने के लिए संविदाकार को ₹ 19.49 लाख का भुगतान किया गया था। फ्लैटों को ध्वस्त करने का काम पीडब्ल्यूडी द्वारा बिना किसी सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किए और आरक्षित मूल्य तय किए अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता लगाया जा सके कि सेवक क्वार्टरों और आईएएस फ्लैटों को ध्वस्त करने से पहले उचित प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं। इसके अतिरिक्त, पूरे अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि ढहाने के दौरान बरामद की गई उपयोगी सामग्री का उपयोग या निपटान किया गया।

### 2.5.5 अन्य मुद्दे

कार्य I और II के निष्पादन में देखी गई अन्य अनियमितताएं, जिनमें बढ़ी हुई लागत, बिना चिह्नित सर्वेक्षण/विश्लेषण/एकल कोटेशन के अधिक कीमत वाली मदें शामिल हैं, का विवरण तालिका-2.5.5 में दिया गया है।

<sup>50</sup> 45-47 राजपुर रोड पर

तालिका-2.5.5: निष्पादन के दौरान देखे गए अन्य मुद्दे

क्र.सं.	मद	राशि (₹ करोड़ में)	अनियमितता की प्रकृति
1	तीन बेड और छह साइड टेबल उपलब्ध कराना और लगाना - कार्य ।	0.09	द्वितीय प्रारंभिक अनुमान में एकमुश्त प्रावधान शामिल था। दरों का विश्लेषण और कोटेशन जिनसे दरें निकाली गई थीं, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाई गई।
2	शौचालयों में वैनिटी उपलब्ध कराना और लगाना - कार्य ।	0.15	द्वितीय प्रारंभिक अनुमान में एकमुश्त प्रावधान शामिल था। दर एकल कोटेशन के आधार पर निकाली गई थी
3	कार्य सौंपे जाने के एक वर्ष बाद परामर्श कार्य का प्रावधान - कार्य ।	1.00	तीसरे प्राथमिक अनुमान में बेहतर इंटीरियर और इसके परामर्श के लिए ₹ 1 करोड़ का प्रावधान शामिल था, जबकि मूल प्राथमिक अनुमान में परामर्श सेवाओं का प्रावधान था।
4	परामर्श अनुबंध में दंडात्मक खंड शामिल नहीं किया गया - कार्य ।	-	केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों (नवंबर 2002) के अनुसार, अनुबंध दिए जाने के बाद कार्य के दायरे में कोई बड़ा विचलन नहीं होना चाहिए और यदि विचलन के परिणामस्वरूप लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है, तो परामर्शदाता को खराब योजना के लिए दंडित किया जाना चाहिए। परामर्श कार्य के लिए कार्य आदेश में खराब योजना के लिए परामर्शदाता को दंडित करने का कोई खंड नहीं था। परिणामस्वरूप, पीडब्ल्यूडी परामर्शदाता को दंडित करने की स्थिति में नहीं था, यद्यपि कार्य अनुबंध में किए गए कार्य की मात्रा में भारी अंतर था।
5	भवन समिति और दिल्ली शहरी कला आयोग से अनुमोदन	-	कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली की धारा 4.10 (3) में प्रावधान है कि एनआईटी के अनुमोदन से पहले, जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय निकायों <sup>51</sup> से योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के अधिदेश के अनुसार, शहर में विकास कार्यों से संबंधित स्थानीय निकायों को मंजूरी देने से पहले भवन और इंजीनियरिंग प्रस्तावों को डीयूएसी को ऑनलाइन भेजना आवश्यक है। डीयूएसी अपने अधिदेश के अनुसार प्रस्तावों पर विचार करता है और संबंधित स्थानीय निकाय को ऑनलाइन अपनी सिफारिशें भेजता है। कार्य । के संबंध में 1 अक्टूबर 2020 को निविदा आमंत्रित की गई थी जबकि अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव 7 अक्टूबर 2020 को, अर्थात् निविदा आमंत्रण के बाद, भवन समिति को भेजा गया था। भवन समिति ने अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को खारिज करने में ढाई महीने का समय लिया। उस समय तक 20 प्रतिशत (जनवरी 2021) से 40 प्रतिशत (फरवरी 2021) कार्य निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त, भवन समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों का अभिलेखों में कोई अनुपालन नहीं पाया गया। इस प्रकार भवन को स्वीकृत योजनाओं के बिना बनाया गया था। डीयूएसी से 1,583.19 वर्ग मीटर के लिए भवन योजना की मंजूरी प्राप्त की गई थी, जबकि वास्तव में निर्मित क्षेत्र 1,906 वर्ग मीटर था। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में डीयूएसी से परिसंशोधित मंजूरी नहीं मिली।

<sup>51</sup> उत्तरी दिल्ली नगर निगम (जुलाई 2017) ने पीडब्ल्यूडी को भवन योजनाओं की मंजूरी लेने के लिए छूट दी है और इसलिए पीडब्ल्यूडी ने यह प्रमाणित करने के लिए अपनी समिति गठित की है कि भवन योजनाएं भवन नियमों के अनुरूप हैं।

क्र.सं.	मद	राशि (₹ करोड़ में)	अनियमितता की प्रकृति
			कार्य-II के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निविदा अग्रेषण जापान में, डीयूएसी/स्थानीय निकायों से भवन योजना मंजूरी के लिए अनुमोदन के कॉलम के सामने, पीडब्ल्यूडी ने 'स्वीकृत/प्रक्रियाधीन' का उल्लेख किया था। तथापि, एनआईटी से पहले इन प्राधिकरणों द्वारा दी गई मंजूरी के बारे में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में कुछ भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, कार्य सौंपे जाने के एक वर्ष और 6½ महीने बाद, कार्य-II का कार्यक्षेत्र पूरी तरह से स्थायी संरचना से अर्ध-स्थायी संरचना में बदल दिया गया।
6	205 गैर डीएसआर विद्युत मदों का दर विश्लेषण - कार्य I	-	वस्तुओं की खरीद मैनुअल, 2017 के पैरा 2.1 में यह निर्धारित किया गया है कि बाजार सर्वेक्षण या एक या अधिक संभावित आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन या प्रकाशित कैटलॉग/वस्तु पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के माध्यम से पता लगाया गया प्रचलित बाजार मूल्य उन वस्तुओं की अनुमानित लागत स्थापित करने का मुख्य स्रोत है जिनके लिए कोई ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य-I के विस्तृत अनुमान में 205 गैर-डीएसआर विद्युत मदें शामिल थीं, जिनमें से 104 मदों की बाजार दरें केवल एकल कोटेशन के आधार पर तैयार की गई थीं।
7	विभिन्न लेखा शीर्षों के एए एंड ईएस का विलय	19.87	<p>कें.लो.नि.वि. की निर्माण नियमावली 2019 की धारा 3.1.1.8 में प्रावधान है कि एक ही कार्य के लिए विभिन्न स्वीकृतियों को संयोजित करना और एकल तकनीकी स्वीकृति जारी करना तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी पर निर्भर है, बशर्ते कि एक ही कार्य के लिए सभी स्वीकृतियों का योग उसकी क्षमता के अंतर्गत आता हो।</p> <p>कार्यों के संबंध में, जैसे 'ऑफिस ब्लॉक (कैंप ऑफिस) में परिवर्धन और परिवर्तन: गैर-आवासीय' और 'स्टाफ ब्लॉक में परिवर्धन और परिवर्तन: आवासीय', जिनके अलग-अलग लेखा शीर्ष हैं, मुख्य अभियंता द्वारा दो अलग-अलग लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 10.00 करोड़ और ₹ 9.87 करोड़ के लिए एए एंड ईएस जारी किए गए थे।</p> <p>उपर्युक्त के विपरीत, पूरी तरह से अलग दोनों कार्यों के अनुमान (आवासीय/गैर-आवासीय) संयुक्त रूप से तैयार किए गए और मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत किए गए। उपर्युक्त के अलावा, दोनों कार्यों की मात्रा की संयुक्त अनुसूची तैयार की गई और तकनीकी रूप से स्वीकृत की गई। विभिन्न प्रकृति के दो कार्यों की तकनीकी स्वीकृति को मिलाने के परिणामस्वरूप, पीडब्ल्यूडी इन कार्यों पर होने वाले व्यय को उचित लेखा शीर्षों में चार्ज करने की स्थिति में नहीं था।</p> <p>लेखापरीक्षा में व्यय की अनियमित बुकिंग भी देखी गई, जैसे कि संविदाकार को लेखा शीर्ष-4216 (आवास पर पूंजीगत व्यय) के अंतर्गत ₹ 2.80 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया। जबकि इसका समायोजन राजस्व शीर्ष यानी 2059 में किया गया और दूसरे चालू खातों के बिल का भुगतान उसी खाता शीर्ष यानी 4216 के अंतर्गत किया गया और समायोजित किया गया, जबकि तीसरे चालू खाते के बिल का अग्रिम भुगतान लेखा शीर्ष 4059 के अंतर्गत किया गया।</p>

क्र.सं.	मद	राशि (₹ करोड़ में)	अनियमितता की प्रकृति
			इस प्रकार, बिना किसी विशेष कारण के दो विभिन्न शीर्षों अर्थात् सामान्य पूल आवास (4216) और कार्यालय भवन सुधार (4059) की मंजूरी को मिलाना अनियमित था और इससे व्यय का पता लगाना अस्पष्ट हो गया।
8	बिना उचित आधार के स्टाफ ब्लॉक का प्रारंभिक अनुमान तैयार करना	-	विशेष एलईडी ल्यूमिनरी लाइटिंग, विशेष विद्युत उपकरण, ऑडियो वीडियो सिस्टम, सुपीरियर फ्लोरिंग जैसी विभिन्न मदों का आधार पीएआर में उपलब्ध नहीं था और प्रतिशत के आधार पर पीई में शामिल था, जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा पीई के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि मदों का लागत निर्धारण बिना किसी आधार के किया गया था।

इस प्रकार, पीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू किए गए दोनों कार्यों के संबंध में केवल कार्य-I पूरा किया गया था जबकि कार्य-II (कैंप ऑफिस/स्टाफ ब्लॉक का निर्माण) कैंप ऑफिस का केवल कच्चा निर्माण किया गया था और स्टाफ ब्लॉक का निर्माण नहीं किया गया था। योजना चरण परामर्शदाता के संदिग्ध चयन, अनुमानों के बार-बार परिशोधन, उचित औचित्य के बिना कार्य के दायरे में वृद्धि से भरा था। निविदा के चरण भी निविदाकर्ताओं की प्रतिबंधात्मक सूची की मनमानी तैयारी से भरे हुए थे। निष्पादन चरणों में अनुबंध मात्राओं के निष्पादन, अतिरिक्त मदों के रूप में बेहतर विशिष्टियों की मदों (₹ 18.88 करोड़) के निष्पादन, निधियों के अपयोजन आदि में भी भारी विचलन शामिल था।

## 2.6 ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय

कार्य सौंपने से पहले बाधा मुक्त साइट सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण मुख्य बुराड़ी रोड की जल निकासी प्रणाली के निर्माण के कार्य को रोकना पड़ा, जिससे कार्य पर ₹ 1.47 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 15.1 (2) में कहा गया है कि एनआईटी के अनुमोदन से पहले, स्पष्ट स्थल की उपलब्धता, निधियों और स्थानीय निकायों से भवन योजनाओं का अनुमोदन वांछनीय हैं।

बेहतर जल निकासी/सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने और सड़क पर जलभराव से बचने के उद्देश्य से, हिरंकी बांध से अमृत विहार तक मुख्य बुराड़ी रोड के स्वरूप नगर रोड में सिंचाई नाले तक जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कार्य ₹ 5.64 करोड़ की निविदा लागत पर मेसर्स कॉम्पिटेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी को

शुरुआत और समापन की निर्धारित तिथि क्रमशः 31 मार्च 2018 और 30 सितंबर 2018 के साथ सौंपा गया (मार्च 2018) कार्य के दायरे के अनुसार, अमृत विहार से हिरंकी बांध (दोनों तरफ) 5555 मीटर की लंबाई के आरसीसी बॉक्स पुलिया नाली का निर्माण कराया जाना आवश्यक था। तथापि, भूमि स्वामित्व पर एक अदालती मामले के कारण नाली का निर्माण केवल 1062.35 मीटर (कार्य का 20 प्रतिशत) की लंबाई के लिए किया जा सका और शेष कार्य, अमृत विहार से हिरंकी बांध तक 4492.65 मीटर नाली का निर्माण नहीं किया गया।

अप्रैल 2013 से मार्च 2022 की अवधि के लिए सी एंड एनडी रोड्स डिवीजन के अभिलेख (जुलाई/अगस्त 2022) की नमूना जाँच से पता चला कि जिस जमीन पर नाले का निर्माण किया जाना था, वह विवादित थी और एनआईटी जारी करने की तिथि (23 फरवरी 2018) से काफी पहले एक अदालती मामला लंबित था। इसके अलावा, यह पाया गया कि नाली के निर्माण के लिए स्पष्ट जगह उपलब्ध नहीं थी और साइट पर अतिक्रमण था।

चूंकि भूमि पर कब्जे और स्वामित्व के विवाद के कारण साइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए काम मई 2019 में बंद कर दिया गया था और पूर्ण कार्य के लिए संविदाकार को ₹ 1.47 करोड़ का भुगतान किया गया था।

प्रस्तावित जल निकासी/सीवरेज सुविधाओं पर उचित सर्वेक्षण/भूमिगत स्थिति/उचित सीमांकन के बिना कार्य सौंपने में विभाग की विफलता के कारण अंततः कार्य को बंद करना पड़ा और ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, आंशिक रूप से निर्मित नाली परियोजना के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, यानी अमृत विहार से हिरंकी बाँध तक जल निकासी की समस्या कम नहीं होगी।

मामला दिसंबर 2022 में विभाग को भेजा गया था, उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।

## राजस्व विभाग

### 2.7 त्वरित प्रतिक्रिया के लिए वाहनों को परिवर्तित करने में विफलता के कारण ₹ 1.81 करोड़ का निष्फल व्यय

डीडीएमए/विभाग द्वारा खरीदे गए वाहनों में 25 से 42 महीने बीत जाने के बाद भी न तो आवश्यक उपकरण लगाए गए और न ही कोई निर्माण कार्य किया गया, जो कि वाहनों को त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों (क्यूआरवी) में बदलने के लिए एक पूर्व शर्त थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना 2015-16 को मंजूरी दी थी (8 जुलाई 2015), जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों (क्यूआरवी) की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वाहनों और मशीनरी की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए संभागीय आयुक्त (आपदा प्रबंधन) की अध्यक्षता में दिल्ली अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग और औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय के विशेषज्ञों की एक बैठक (अक्टूबर 2015) आयोजित की गई। प्रत्येक क्यूआरवी में लगने वाले उपकरणों की अर्थात् निर्माण कार्य, ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक उपकरण, टेट्रा सेट/वायरलेस सेट, फ्लैशलाइट, सायरन, लोगो इत्यादि सूची तैयार की गई।

प्रत्येक वाहन को तीन प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (एक चालक सहित) द्वारा चौबीसों घंटे संचालित किया जाना था। इनोवा 2.5 जी की श्रेणी में 46 क्यूआरवी की खरीद के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से माननीय उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद, विभाग ने 13 क्यूआरवी की तत्काल खरीद के लिए एक प्रस्ताव (मार्च 2018) रखा, अर्थात् मुख्यालय के लिए एक क्यूआरवी, शाहदरा जिले के लिए दो और अन्य जिलों के लिए दस।

डीडीएमए ने अक्टूबर 2018 में ₹ 95,35,725/- की लागत से सात क्यूआरवी (इनोवा) और मार्च 2020 में ₹ 85,79,864/- की लागत से छह क्यूआरवी (इनोवा) की खरीद की थी। उन्हें ठीक से कार्यात्मक बनाने के लिए सभी 13 क्यूआरवी में उपकरणों (ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक उपकरण, टेट्रा सेट/वायरलेस सेट, फ्लैशलाइट, सायरन, लोगो, इत्यादि) का निर्माण एवं लगाने

का काम किया जाना था। डीडीएमए, विशेष सीईओ, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश (31 जुलाई 2020) के अनुसार वाहनों का उपयोग विशेष रूप से आपदा संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए था और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डीडीएमए/राजस्व विभाग ने इन वाहनों की खरीद के लगभग तीन से पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इन वाहनों में न तो आवश्यक उपकरण लगाए गए और न ही कोई संरचना का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि इनमें से कुछ वाहनों का उपयोग संबंधित जिले द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था जो की आपदा संबंधी गतिविधियों से संबंधित नहीं थे।

वाहनों को क्यूआरवी के रूप में कार्यशील बनाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप दिल्ली में किसी भी आपातकालीन या आपदा की स्थिति से निपटने के लिए ये जिले में पूरी तरह से क्यूआरवी सुसज्जित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.81 करोड़<sup>52</sup> का व्यय निष्फल हो गया और वाहनों का जीवन अबधि काल भी तीन से पांच वर्ष तक कम हो गई।

मामला सरकार को भेजा गया (जून 2023), उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

## 2.8 नौ वी-सैट टर्मिनलों की खरीद और स्थापना पर ₹ 2.38 करोड़ की धनराशि का अवरोधन

नौ वी-सैट टर्मिनलों की समय पर खरीद और स्थापना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई।

आपदा स्थितियों में संचार नेटवर्क को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राजस्व विभाग द्वारा नौ राजस्व जिला मुख्यालयों पर बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनलों (वी-सैट) की खरीद और स्थापना के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया गया (अगस्त 2019) ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सभी ग्यारह जिलों में आपदा स्थितियों के दौरान निर्बाध संचार के लिए वी-सैट टर्मिनल हो। दिल्ली के दक्षिण तथा उत्तर-पूर्वी जिलों और

<sup>52</sup> 95,35,725 (7 क्यूआरवी) + 85,79,864 (6 क्यूआरवी)

आपातकालीन परिचालन केंद्र (मुख्यालय) में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की एनडीएमएस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वी-सैट टर्मिनलों की आपूर्ति और स्थापना की गई थी।

राजस्व विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने केयू बैंड नौ वी-सैट टर्मिनलों की आपूर्ति और स्थापना के संबंध में निविदाओं के लिए उप मंडल अभियंता (बीडी), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), बेंगलुरु से अनुरोध किया था (अगस्त 2019)। उत्तर में, बीएसएनएल ने इसके लिए अपनी कोटेशन प्रस्तुत की (सितंबर 2019) और विभाग ने नौ वी-सैट टर्मिनलों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु तथा राजस्व विभाग के नौ विभिन्न जिलों में तीन वर्षों के लिए कुल लागत ₹ 6.98 करोड़ की लागत पर सैटेलाइट और इंटरनेट लीज्ड लाइन (2 एमबीपीएस की आईएल एलबैंडविड्थ) प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को एक आदेश जारी किया (दिसंबर 2019)। विभाग ने बीएसएनएल को वी-सैट हार्डवेयर सामग्री की शत प्रतिशत लागत और उपग्रह के लिए वार्षिक आवर्ती शुल्क और पहले वर्ष के लिए 2 एमबीपीएस की आईएल एलबैंडविड्थ के लिए ₹ 2.38 करोड़ की अग्रिम संस्वीकृति दी (फरवरी 2020)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबंध के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने वाले किसी भी एमओयू/समझौते को निष्पादित किए बिना ही 13 फरवरी 2020 को बीएसएनएल को ₹ 2.38 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था। यह देखा गया कि बीएसएनएल ने इन वी-सैट टर्मिनलों को स्थापित किया था, लेकिन इन्हें मई 2022 तक अर्थात् अग्रिम भुगतान करने के दो वर्ष बाद भी कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप मई 2022 तक दो वर्ष से अधिक के लिए ₹ 27.05 लाख<sup>53</sup> के ब्याज सहित ₹ 2.38 की धनराशि अवरुद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल के साथ किसी औपचारिक समझौते के अभाव में, विभाग टर्मिनलों का समय पर संचालन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था और न ही देरी के लिए कोई जुर्माना लगाया जा सकता था।

मामला सरकार को भेजा गया (फरवरी 2023), उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

<sup>53</sup>  $(23782109 \times 5.25 \times 2.17) / 100$ , दर = 5.25 (अवधि के लिए एसबीआई सावधि जमा औसत दर), अवधि = 26 महीने (फरवरी 2020 से मई 2022)

## समाज कल्याण विभाग

### 2.9 वृद्धाश्रमों के निर्माण में देरी

भूमि पर कब्जे के सात से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी तीन स्थानों पर अत्यंत आवश्यक वृद्धाश्रमों के निर्माण में समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) की विफलता के कारण ₹ 2.92 करोड़ रुपये के निरर्थक व्यय के अतिरिक्त, दिल्ली के 60 वर्ष की आयु के निराश्रित, वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों को आवश्यक सामाजिक समर्थन से भी वंचित कर दिया गया।

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के वृद्धाश्रमों (ओएच) की खंड 19(1) के अनुसार, राज्य सरकार सुलभ स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से इतनी संख्या में वृद्धाश्रम की स्थापना और अनुरक्षण कर सकती है, जितनी वह आवश्यक समझे, जिसकी शुरुआत प्रत्येक जिले में कम से कम एक से होगी ताकि ऐसे घरों में कम से कम एक सौ पचास निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को रखा जा सके। इन वृद्धाश्रम का उद्देश्य जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त भोजन/आवास, चिकित्सा देखभाल और परामर्श तथा मनोरंजन सुविधाएं प्रदान कर सके।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)/ग्राम पंचायत ने वर्ष 2013 में सामाजिक कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) को वृद्धाश्रम की स्थापना के उद्देश्य से तीन भूखंड आवंटित किए थे। इन भूखंडों को वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को तुरंत सौंप दिया गया। भूमि की उपलब्धता के बावजूद, वृद्धाश्रमों का निर्माण मार्च 2022 तक शुरू नहीं हुआ जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है:

1. डीडीए द्वारा 779.52 वर्गमीटर का एक आवंटित भूखंड (26 जुलाई 2013) को ₹ 58.68 लाख (नवंबर 2013) की लागत पर विभाग द्वारा कब्जे में ले लिया गया (नवंबर 2014)। वृद्धाश्रम के नक्शे को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा जनवरी 2016 में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था। पीडब्ल्यूडी द्वारा ₹ 3.58 करोड़ का प्रस्तुत, (अप्रैल 2018) प्रारंभिक अनुमान स्पष्टीकरण हेतु डीएसडब्ल्यू द्वारा

वापस कर दिया गया था। सचिव, डीएसडब्ल्यू द्वारा प्रधान सचिव के साथ पत्राचार किए जाने के बाद ही पीडब्ल्यूडी ने ₹ 4.47 करोड़ का अनुमान पुनः प्रस्तुत किया (जनवरी 2021)। स्थानीय निकाय से भवन योजना के अनुमोदन के आवेदन को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित कर दिया था (मई 2019)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने में देरी और डीएसडब्ल्यू की ओर से अनुसरण की कमी के परिणामस्वरूप, डीएसडब्ल्यू द्वारा, जमीन पर कब्जा लेने के बाद पीडब्ल्यूडी को ₹ 4.47 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति जारी करने में छह वर्ष से अधिक की देरी हुई (नवंबर 2021)। मार्च 2022 तक निर्माण शुरू होना बाकी था।

2. छतरपुर में 02 बीघे 10 बिस्वा का अन्य प्लॉट (मार्च 2013) को ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 43.57 लाख की लागत पर आवंटित किया गया (मई 2013), भूमि का कब्जा जुलाई 2013 में विभाग द्वारा ले लिया गया था। वृद्धाश्रम के नक्शे को नवंबर 2014 में मंजूरी दे दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इमारत के नक्शे को दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) ने मई 2020 में खारिज कर दिया था क्योंकि डिजाइन ठीक से उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे थे और प्लॉट का आकार वृद्धाश्रम निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके लिए (डीयूएसी ने) वैकल्पिक साइट का सुझाव दिया था। समाज कल्याण विभाग ने कहा (मार्च 2022) कि उसने भूखंड पर कम क्षमता वाले वृद्धाश्रम का निर्माण करने का निर्णय लिया और तदनुसार पीडब्ल्यूडी से निवासियों की कम संख्या के साथ संशोधित लेआउट के लिए अनुरोध किया।
3. गीता कालोनी में 1009.54 वर्गमीटर का एक अन्य प्लॉट (जून 2013) में डीडीए द्वारा ₹ 76.02 लाख की लागत पर आवंटित किया गया (अगस्त 2013)। नवंबर 2014 में विभाग द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस संबंध में कई बार पत्राचार के बावजूद समाज कल्याण विभाग/पीडब्ल्यूडी द्वारा नक्शा और प्रारंभिक अनुमानों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका (जून 2022)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ₹ 1.13 करोड़ (सरिता विहार के ₹ 27.82 लाख छतरपुर के ₹ 71.46 लाख और गीता कॉलोनी के ₹ 14.28 लाख) का व्यय भी विभाग द्वारा 2013-2020 के दौरान भूमि की निगरानी और अनुरक्षण तथा चारदीवारी के निर्माण पर किया गया था।

इस प्रकार, भूमि पर कब्जा लेने के सात से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी अति आवश्यक वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इन वृद्धाश्रमों के निर्माण में देरी को दिल्ली में वृद्धाश्रम के निर्माण के प्रति डीएसडब्ल्यू की ओर से प्रयास की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वृद्धाश्रम के निर्माण में देरी के कारण ₹ 2.92 करोड़<sup>54</sup> व्यय होने के बावजूद, दिल्ली के जरूरतमंद और गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सामाजिक समर्थन नहीं मिला।

मामला अक्टूबर 2022 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2024)।

---

<sup>54</sup> भूखंड अधिग्रहण की लागत के लिए ₹ 1.78 करोड़ प्लस ₹ 1.14 करोड़ भूखंडों की निगरानी और निर्माण हेतु।

## शहरी विकास विभाग

### दिल्ली जल बोर्ड

#### 2.10 समय पर संपत्ति कर का भुगतान न करने के कारण ₹ 2.65 करोड़ का अधिक भुगतान

समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने में विभाग के निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप संपत्ति पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ लेने में विफलता हुई जो कि ₹ 2.59 करोड़ थी, इसके अतिरिक्त संपत्ति कर के भुगतान में देरी के कारण ₹ 5.41 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान भी करना पड़ा।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 113 निगम को संपत्ति कर लगाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, "संपत्ति कर दिल्ली में भूमि और भवनों पर लगाया जाएगा"। इसके अतिरिक्त, निगम समय-समय पर परामर्श जारी करता है जिसमें प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही या 30 जून से पहले संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर 15 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली जल बोर्ड के निदेशक (वित्त और सामान्य) कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर डीजेबी की संपत्तियों के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 4.97 करोड़ संपत्ति कर की राशि के भुगतान के लिए डीजेबी को एक डिमांड नोटिस (18 अप्रैल 2019) दिया था। डिमांड नोटिस के अनुसार, यदि 30 जून 2019 को या उससे पहले ₹ 4.23 करोड़ का भुगतान किया जाता तो ₹ 74.58 लाख (₹ 4.97 करोड़ का 15 प्रतिशत) की छूट उपलब्ध थी। एनडीएमसी ने डीजेबी से एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों का विवरण प्रदान करने का भी अनुरोध किया था जिससे की छूटी हुई शेष संपत्तियों/भूमि का मूल्यांकन भी किया जा सके। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीजेबी ने न तो संपत्ति कर का भुगतान किया और न ही संपत्तियों/भूमि का विवरण प्रस्तुत किया।

एनडीएमसी ने डीजेबी की संपत्तियों के मूल्यांकन को संशोधित किया और डीजेबी को ₹ 17.35 करोड़ के संपत्ति कर की मांग जारी की (4 सितंबर 2019), जिसमें नरेला जल उपचार संयंत्र की संपत्ति पर ₹ 12.26 करोड़ का संपत्ति कर भी शामिल था, जो कि 2006-07 से 2019-20 तक मूल्यांकन से बाहर थे। डीजेबी द्वारा समय पर संपत्ति कर का भुगतान न करने के कारण, एनडीएमसी ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 156ए के अंतर्गत डीजेबी के बैंक खाते से ₹ 17.35 करोड़ की कुर्की के लिए शाखा प्रबंधक सिंडिकेट बैंक को "कुर्की अधिपत्र" जारी किया। इसके बाद, डीजेबी ने एनडीएमसी को ₹ 17.35 करोड़ के बकाया संपत्ति कर का भुगतान किया (मार्च 2020) **(अनुलग्नक 2.14)**।

इस प्रकार, समय पर संपत्ति कर का भुगतान न करने के कारण, डीजेबी संपत्ति कर पर ₹ 2.59 करोड़ की 15 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने में विफल रहा। जिसके कारण, संपत्ति कर के भुगतान में देरी के लिए डीजेबी द्वारा ₹ 5.41 लाख ब्याज का भी भुगतान किया गया। **(अनुलग्नक 2.14)**।

डीजेबी ने अपने उत्तर में कहा कि (जून 2022) बुक समायोजन के माध्यम से लंबित जल शुल्क के प्रति संपत्ति कर की बकाया राशि को समायोजित करने के लिए संबंधित डीएमसी के बीच लगातार पत्राचार किया गया है, लेकिन डीएमसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस अभ्यास के दौरान, संपत्ति कर पर छूट का लाभ उठाने की अवधि समाप्त हो गई और उत्तरी डीएमसी ने डीजेबी बैंक खाते की कुर्की करके अपना संपत्ति कर वसूल किया।

डीजेबी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है उसे समय पर संपत्ति कर का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए था क्योंकि यह एक वैधानिक उद्ग्रहण है जब लंबित जल शुल्क के प्रति संपत्ति कर के समायोजन के लिए डीएमसी से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

मामला सरकार को भेजा गया (दिसंबर 2022), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2024)।

## महिला एवं बाल विकास विभाग

### 2.11 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यान्वित लाडली योजना अनुपालन लेखापरीक्षा

2018-22 की अवधि के दौरान, महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया या इच्छित लाभार्थियों का कोई आंकड़ा तैयार नहीं किया और न ही लाडली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कवर करने के लिए कोई वार्षिक वित्तीय या भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया। डीडब्ल्यूसीडी द्वारा लाडली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई विज्ञापन अभियान या प्रचार गतिविधियां संचालित नहीं की गई थी।

2008-09 से 2020-21 की अवधि के दौरान नए लाभार्थियों का नामांकन 2009-10 में 1,39,773 के उच्चतम से 69 प्रतिशत से कम होकर 2020-21 में 43,415 हो गया था, जबकि जन्म के समय बालिकाओं का नामांकन 2009-10 में 23,871 से कम होकर 2020-21 में 3,153 ही गया।

डीडब्ल्यूसीडी ने योजना की शुरुआत (2008) के बाद 14 वर्ष की देरी के बाद लाभार्थियों को पंजीकरण, नवीनीकरण और परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए समय सीमा (2022) तय की।

आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन मोड की शुरुआत के बावजूद, जिला स्तरीय कार्यालय/डीडब्ल्यूसीडी, लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की प्रक्रिया और मंजूरी के लिए सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे थे।

डाटाबेस स्कीम में एक ही नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि के साथ 16,546 डुप्लिकेट और 131 तीन प्रतियों में पंजीकरण देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ₹ 11.49 करोड़ का अधिक भुगतान ही गया।

योजना में नामांकन के समय 78,065 लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष हो चुकी थी, जिसके कारण एसबीआईएल के पास इन लाभार्थियों के खातों में ₹ 180.92 करोड़ (ब्याज सहित) पड़े थे। इसी प्रकार, 3,20,272 लाभार्थियों की ₹ 618.38 करोड़ की धनराशि एसबीआईएल के पास बिना व्यय/अप्रयुक्त

पड़ी थी (31 दिसंबर 2022) जबकि लाभार्थियों ने परिपक्वता आयु प्राप्त कर ली थी।

### 2.11.1 परिचय

महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. ने 1 जनवरी 2008 से दिल्ली लाडली योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य समाज के साथ-साथ परिवार में बालिकाओं की सामाजिक स्थिति को बढ़ाना, उचित शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बालिकाओं को भेदभाव और अभाव से बचाना था।

डीडब्ल्यूसीडी पात्र<sup>55</sup> बालिका के नाम पर समय-समय पर सहायता प्रदान करता है, जिसे स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईएल) द्वारा उसके खाते में सावधि जमा के रूप में रखा जाता है और बाद में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं पास करने या बारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने के बाद अर्जित ब्याज के साथ भुनाया जाता है। वित्तीय सहायता के चरण और राशि चार्ट-2.11.1 में दी गई है।

#### चार्ट-2.11.1: वित्तीय सहायता के चरण



1 जनवरी 2008 या उसके बाद जन्मी लड़कियों को जन्म के तुरंत बाद उनके खाते में लाभ जमा किया जाएगा। 1 जनवरी 2008 से पहले जन्मी अन्य लड़कियों को इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2008-09 से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल में I, VI, IX, XII कक्षा में प्रवेश और X कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश पर लाभ मिलेगा।

<sup>55</sup> (i) आवेदक और उसके माता-पिता आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम तीन वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वास्तविक निवासी होने चाहिए (ii) बच्चे के माता-पिता की वार्षिक आय ₹ एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (iii) वित्तीय सहायता एक परिवार में केवल दो लड़कियों तक सीमित है (iv) बच्चा दिल्ली में किसी सरकारी एमसीडी/एनडीएमसी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा हो।

31 दिसंबर 2022 तक, योजना के अंतर्गत 8,84,710 सक्रिय लाभार्थी थे। लेखापरीक्षा अवधि (2019-22) के दौरान, 1,54,487 नए लाभार्थियों को पंजीकृत/नामांकित किया गया और 2,55,473 लाभार्थियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण स्तर पर अपना पंजीकरण नवीनीकृत किया। इस अवधि में 73,536 लाभार्थियों को ₹ 180.01 करोड़ की परिपक्वता राशि का भुगतान किया गया।

#### 2.11.1.1 डीडब्ल्यूसीडी में लाडली योजना की स्थापना

लाडली योजना डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता सचिव करते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक निदेशक (डीडब्ल्यूसीडी), एक संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक, एक सहायक निदेशक और एक लाडली शाखा होती है। इसके अतिरिक्त, लाडली योजना जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 10 जिलों के कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

डीडब्ल्यूसीडी ने योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए 30 जुलाई 2008 को एसबीआईएल और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लाभार्थियों के खातों रख-रखाव परिपक्वता राशि जारी करना और परिपक्वता राशि जमा करने के लिए एसबीआई में लाभार्थियों का बचत खाता खोलना शामिल है।

#### 2.11.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य के तहत यह आकलन करना था कि

- (i) क्या योजना के कार्यान्वयन लिए पर्याप्त योजना बनाई गई थी
- (ii) क्या धनराशि पर्याप्त थी और कुशल तरीके से उपयोग की गई थी,
- (iii) क्या योजना का कार्यान्वयन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बनाए गए दिल्ली लाडली योजना नियमों के अनुसार था और
- (iv) क्या योजना के प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद था।

### 2.11.1.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- (i) दिल्ली लाडली योजना नियमावली, 2008,
- (ii) डीडब्ल्यूसीडी/रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र,
- (iii) चयनित जिला और डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालय के अभिलेख,
- (iv) डीडब्ल्यूसीडी की बैठकों के कार्यवृत्त और
- (v) डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालय और उसके जिला कार्यालयों के उत्तर।

### 2.11.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कवरज और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने 2019-22 की अवधि को कवर करते हुए डीडब्ल्यूसीडी और 10 जिलों में से तीन जिलों<sup>56</sup> के अभिलेख की नमूना जांच की। इसके अतिरिक्त, डीडब्ल्यूसीडी द्वारा लाभार्थियों, नवीनीकरण, परिपक्वता दावे, राशि आदि से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की भी जांच की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए 04 अगस्त 2023 को निदेशक, डीडब्ल्यूसीडी के साथ एक एग्जिट मीटिंग आयोजित की गई। विभाग के उत्तर जहां भी प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.11.2 योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना बनाना

#### 2.11.2.1 लक्षित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही उन्हें कवर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए

डीडब्ल्यूसीडी पिछले वर्ष के बजट और व्यय के आधार पर लाडली योजना का वार्षिक बजट तैयार करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाडली योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लक्षित लाभार्थियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया या कोई आंकड़े तैयार किए गए और न ही लाडली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कवर करने के लिए कोई वार्षिक वित्तीय या भौतिक लक्ष्य तय किए गए।

<sup>56</sup> उत्तर-पश्चिम-11, उत्तर-पूर्व और पूर्व

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (जनवरी 2023) कि दिल्ली में पैदा होने वाले पात्र लाभार्थियों की सटीक संख्या की गणना करना संभव नहीं है और स्कूल स्तर पर नामांकन की सटीक संख्या को अनुमानित नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि पंजीकरण के मामले तब संसाधित किए गए जब वे विभिन्न स्रोतों जैसे स्कूलों/अभिभावकों के माध्यम से ऑफ़लाइन मोड या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर प्राप्त हुए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यूसीडी ने दिल्ली में जन्मी उन लड़कियों की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया, जिनके माता-पिता दिल्ली के वास्तविक निवासी थे और उनकी वार्षिक आय ₹ एक लाख से कम थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2023) कि डीडब्ल्यूसीडी का इरादा दिल्ली लाडली योजना 2008 के अंतर्गत पंजीकृत अधिकतम लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और डीडब्ल्यूसीडी पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धि के आधार पर प्रत्येक जिले का लक्ष्य तय कर रहा है तथा उसका अनुरक्षण कर रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

#### **2.11.2.2 लाडली योजना के बारे में जागरूकता/प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास का अभाव**

योजना का एक उद्देश्य उचित शिक्षा सुनिश्चित करना है ताकि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके जहां माता-पिता की आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये से कम हो। सचिव, डीडब्ल्यूसीडी ने एक बैठक (20 फरवरी 2020) में मासिक या त्रैमासिक आधार पर प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार के माध्यम से सामाजिक रूप से कमजोर और अशिक्षित लोगों के बीच लाडली योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीडब्ल्यूसीडी द्वारा 2019-22 के दौरान मासिक या त्रैमासिक रूप से लाडली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसी भी मीडिया/मोड के माध्यम से कोई विज्ञापन अभियान या प्रचार गतिविधियां आयोजित नहीं की गईं।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि व्यापक प्रचार/जागरूकता के लिए और जागरूकता पैदा करने के अभियान के रूप में समाचार पत्रों में विज्ञापन सितंबर 2020 और सितंबर 2022 में प्रकाशित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उत्तर के साथ सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे। उनके स्वयं के उत्तर से आगे यह मासिक या त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश के विपरीत तीन वर्षों में केवल दो बार प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अर्थात् रेडियो/टीवी पर ऑडियो/वीडियो के माध्यम से, कॉलोनियों/झुग्गियों आदि में प्रचार/जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ-साथ दिल्ली के मेट्रो/प्रमुख स्थानों में डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन विभाग की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।

### 2.11.2.3 जिला स्तर और एसबीआईएल पर नए पंजीकरण, नवीनीकरण और परिपक्वता भुगतान के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और प्रेषण में देरी

यद्यपि लाडली योजना जनवरी 2008 में शुरू की गई थी परंतु डीडब्ल्यूसीडी ने 14 वर्ष की देरी (अगस्त 2022) के बाद लाभार्थियों के नए पंजीकरण, नवीनीकरण और परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए समय सीमा तय की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-22 के दौरान जिलों और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रेषण और पंजीकरण में देरी हुई थी, जिसकी चर्चा इस प्रकार की गई है:

(ए) जिला उत्तर-पश्चिम-II के अभिलेख की नमूना जांच से पता चला कि वित्तीय सहायता के प्रेषण में आठ से 15 महीने की देरी से जिला कार्यालय ने एसबीआईएल को 139 तथा 74 नए जन्म पंजीकरण के मामले सौंपे जो क्रमशः 2019-20 और 2020-21 से संबंधित हैं। शेष दो चयनित जिलों पूर्व और उत्तर पूर्व ने आवेदनों की प्राप्ति और निपटान से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2023) कि डीडब्ल्यूसीडी ने सभी जिला कार्यालयों और एसबीआईएल को नए लाडली मामलों के पंजीकरण

नवीनीकरण और लाभार्थियों को परिपक्वता राशि के भुगतान के संबंध में समयसीमा का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं (अगस्त 2022)। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण न करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

- (बी) पंजीकरण के समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है जैसे दिल्ली में तीन वर्ष का निवास प्रमाण, माता-पिता द्वारा वार्षिक आय ₹ एक लाख से अधिक न होने की स्व-घोषणा, एमसीडी/एनडीएमसी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और यदि उपलब्ध हो तो माता-पिता एवं बच्चे के आधार कार्ड की प्रति।

दो चयनित जिलों के अस्वीकृत मामलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 35 आवेदनों को जिला कार्यालयों द्वारा अमान्यता के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि

- पांच आवेदन माता-पिता के आधार कार्ड की प्रतिलिपि जमा नहीं करने पर रद्द कर दिए गए जबकि, यह एक अनिवार्य दस्तावेज नहीं है।
- 15 मामले इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि आवेदकों ने अपनी वार्षिक आय ₹ 1 लाख घोषित की थी, जबकि नियमानुसार आय ₹ 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम अंकित नहीं होने पर आठ मामले खारिज कर दिये गये।
- चार मामलों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि फॉर्म पर स्कूल के प्रधानाचार्य की मोहर और हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जबकि फॉर्म स्कूल के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित थे।
- तीन मामलों में बच्चों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न नहीं की गई थी।

इसी प्रकार, अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार करते समय, अस्वीकृति के कारणों को संबंधित स्कूल अधिकारियों/अभिभावकों को सूचित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कक्षा शिक्षकों द्वारा सत्यापित 26 आवेदनों को स्कूल के प्रधानाचार्य की मोहर और हस्ताक्षर ना होने के कारण स्कूल या बच्चों के माता-पिता को बताए बिना रद्द कर दिया गया था।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि आवेदकों को टेलीफोन पर सूचित किया गया था और स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए, अस्वीकृत मामलों का विवरण लाडली योजना प्रभारी संबंधित विद्यालय को प्रदान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदनों को अपर्याप्त आधार पर खारिज कर दिया गया था। आवेदकों को अस्वीकृति के कारण बताने के संबंध में उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण संलग्न नहीं किया गया।

#### **2.11.2.4 ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लाडली योजना का डिजिटलीकरण पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया गया**

डीडब्ल्यूसीडी मंत्री ने ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से लाडली योजना को ऑनलाइन मोड प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 तक की समय सीमा निर्धारित की थी। इसमें ई-डिस्ट्रिक्ट में आवेदकों से ऑन-लाइन आवेदन/फॉर्म प्राप्त करने, ई-डिस्ट्रिक्ट पर इन आवेदनों की मंजूरी और अनुमोदन, अन्य जिलों के मामले में आवेदनों के हस्तांतरण का प्रावधान शामिल है।

योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने का प्रावधान डीडब्ल्यूसीडी द्वारा 24 दिसंबर 2020 से कार्यात्मक बना दिया गया था।

आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन मोड की शुरुआत के बावजूद, जिला स्तरीय कार्यालय/डीडब्ल्यूसीडी, जिला कार्यालयों/डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालयों के स्तर पर तकनीकी समस्याओं<sup>57</sup> के कारण लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की प्रक्रिया

---

<sup>57</sup> बिलिंग प्रयोजन के लिए अंतरिम शीट तैयार नहीं की जा सकी और संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से निधि मूल्य एसबीआईएल को हस्तांतरित नहीं किया जा सका, ई. पोर्टल पर आवेदक द्वारा गलत जिले में आवेदन करने की स्थिति में जिलों के बीच आवेदनों के हस्तांतरण में कमी, उन मामलों में सुधार/अस्वीकृति के लिए प्रावधान का अभाव जहां आवेदक उचित सूचना के बाद भी अपने आवेदन में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं आदि।

और मंजूरी के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे थे और आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित थे।

फरवरी 2021 से अगस्त 2022 के दौरान तीन चयनित जिलों पूर्व, उत्तर पश्चिम-II और उत्तर पूर्व के संबंध में क्रमशः 731, 525 और 1006 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आवेदनों पर कार्रवाई की गई थी और उन्हें 'आवेदन स्वीकृत' के रूप में चिह्नित किया गया था, फिर भी वे योजना के अंतर्गत नामांकित/पंजीकृत नहीं थे और लंबित थे।

जिला अधिकारी पूर्व ने कहा (मार्च 2023) कि आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी स्वीकृत और अस्वीकृत मामलों पर कार्रवाई करने के लिए डीडब्ल्यूसीडी द्वारा मुख्यालय स्तर पर किसी प्रणाली को विकसित या/अपनाया नहीं गया है। डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (मार्च 2023) कि कोरोना के अचानक उभरने के कारण कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम थी और योजना के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में देरी हुई।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए लाडली शाखा आईटी शाखा और एसबीआईएल के साथ लगातार संपर्क में है। ऑनलाइन लंबित मामलों के संबंध में सरकार ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण इन मामलों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे लंबित मामलों को हल करने के लिए, डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालय ने जून 2023 में एसबीआईएल, आईटी शाखा और जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी।

### 2.11.3 निधि प्रबंधन

#### 2.11.3.1 बजट एवं व्यय

2019-22 की अवधि के दौरान लाडली योजना के कार्यान्वयन पर बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय तालिका-2.11.1 में दिया गया है।

**तालिका-2.11.1: लाडली योजना के कार्यान्वयन पर बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	व्यय	अपव्ययित बजट	अपव्ययित बजट (प्रतिशत में)
2019-20	100.00	85.30	14.70	14.70
2020-21	100.00	84.82	15.18	15.18
2021-22	90.00	85.02	4.98	5.53
<b>कुल</b>	<b>290.00</b>	<b>255.14</b>	<b>34.86</b>	

तालिका-2.11.1 से देखा जा सकता है कि 2019-22 के दौरान 5.53 से 15.18 प्रतिशत तक का बजट अपव्ययित रहा।

बचत जिला कार्यालयों में नए नामांकन/नवीनीकरण आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई थी। विभाग ने कहा कि पंजीकृत अधिकतम लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग को सक्रिय रूप से उन बालिकाओं की पहचान करनी चाहिए थी जिन्हें योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी।

सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि 2019-22 की अवधि के दौरान, महामारी का नए पंजीकरण के साथ-साथ पंजीकरण मामलों के नवीनीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

**2.11.3.2 एसबीआईएल को भेजी गई राशि और डीडब्ल्यूसीडी द्वारा दर्ज किए गए व्यय में विसंगति**

डीडब्ल्यूसीडी बालिका के नाम पर समय-समय पर भुगतान करता है, जिसे स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईएल) द्वारा रखा जाता है। दिल्ली लाडली योजना नियमावली 2008 के नियम 7 (6) के अनुसार, डीडब्ल्यूसीडी हर छह महीने के बाद संबंधित अधिकृत बैंक के साथ व्यय का मिलान करेगा। एसबीआईएल द्वारा बनाए गए निधि विवरण के अनुसार एसबीआईएल को भेजी गई निधि और 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान डीडब्ल्यूसीडी द्वारा बुक किया गया व्यय तालिका-2.11.2 में दिखाया गया है।

**तालिका-2.11.2: एसबीआईएल को प्रेषित निधि और डीडब्ल्यूसीडी द्वारा दर्ज किया गया व्यय**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नया नामांकन	नवीनीकरण	एसबीआईएल को भेजी गई राशि (नए मामले)	एसबीआईएल को भेजी गई राशि (नवीकरण)	एसबीआईएल को भेजी गई कुल राशि	डीडब्ल्यूसीडी द्वारा दर्ज किया गया व्यय	अंतर
2019-20	30,192	92,161	18.80	55.09	73.89	85.30	(+)11.41
2020-21	61,546	86,514	35.08	52.11	87.19	84.82	(-)2.37
2021-22	62,749	76,798	36.12	48.40	84.52	85.02	(+)0.50
<b>कुल</b>	<b>154487</b>	<b>255473</b>	<b>90.00</b>	<b>155.6</b>	<b>245.6</b>	<b>255.14</b>	

स्रोत: एसबीआईएल द्वारा अनुरक्षित लाडली योजना का फंड विवरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीडब्ल्यूसीडी ने 2019-22 के दौरान लाभार्थियों और एसबीआईएल को भेजी गई राशि का त्रैमासिक मिलान नहीं किया। परिणामस्वरूप डीडब्ल्यूसीडी द्वारा दर्ज व्यय और एसबीआईएल द्वारा बुक वार्षिक आंकड़ों में अंतर था।


अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि उत्तर एसबीआईएल से प्राप्त करने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 2.11.4 पंजीकरण एवं नवीनीकरण

##### 2.11.4.1 योजना में नवीन लाभार्थियों का पंजीकरण

2008-09 से 2020-21 की अवधि के दौरान दिल्ली लाडली योजना में नए लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रवृत्ति चार्ट-2.11.2 में दी गई है।

चार्ट-2.11.2: 2008-21 के दौरान पंजीकरण में रुझान



उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2008-09 से 2020-21 की अवधि के दौरान नए लाभार्थियों का नामांकन वर्ष 2009-10 में 1,39,773 के शिखर से 2020-21 में 69 प्रतिशत कम होकर 43,415 हो गया है।

इसके अतिरिक्त, जन्म के समय बालिकाओं का नामांकन 2009-10 में 23,871 से घटकर 2020-21 में 3,153 हो गया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि उत्तर एसबीआईएल से प्राप्त होने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 2.11.4.2 दिल्ली लाडली योजना के अंतर्गत डुप्लिकेट लाभार्थी

डीडब्ल्यूसीडी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र (आधार से जुड़ा) नहीं था कि योजना के अंतर्गत केवल अद्वितीय लाभार्थी ही पंजीकृत हों। इसके अतिरिक्त, लाडली योजना को डीबीटी मोड में शामिल करने की प्रक्रिया योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा मई 2023 में ही शुरू की गई थी। अद्वितीय लाभार्थियों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक ही लाभार्थी का एक से अधिक बार पंजीकरण हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 8,84,710 सक्रिय लाभार्थियों (दिसंबर 2022) के डाटाबेस में एक ही नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि के

साथ 16,546 का पंजीकरण दो बार और 131 तीन बार पंजीकृत थे। इसके परिणामस्वरूप एसबीआईएल को ₹ 11.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त, ₹ 29.23 करोड़ की भुगतान वाले 20,127 मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों का नाम, जन्म तिथि और माता-पिता का नाम एक ही था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है, जो संभावित डुप्लिकेट मामलों को इंगित करता है और इसे पूरी तरह से सत्यापित करने की आवश्यकता है।

कुछ उदाहरणात्मक उदाहरण तालिका-2.11.3 में दिए गए हैं।

**तालिका-2.11.3: समान लाभार्थियों के उदाहरण**

क्र.सं.	सदस्य नाम	माता का नाम	पिता का नाम	सदस्यों की जन्म तिथि
1.	आफिया	फिरदौस	मोहम्मद आसिफ	07-10-2005
	आफिया	फिरदौस	मोहम्मद आसिफ	07-10-2005
2.	आफिया	नगीना	नवाबुद्दीन	14-08-2004
	आफिया	नगीना खातून	नवाबुद्दीन	14-08-2004
3.	आकांक्षा	विभा राव	रवि राव	10-01-1998
	आकांक्षा	विभा राव	रवि राव	10-01-1998
4.	आंशी कुमारी	ममता	अतर सिंह	17-08-2015
	आंशी कुमारी	ममता देवी	अतर सिंह	17-08-2015
5.	आचल	सरिता देवी	जगबीर सिंह	15-11-2005
	आचल	सरिता देवी	स्वर्गीय जगबीर सिंह	15-11-2005
6.	अदिति कौशल	प्रीति कौशल	आरडी कौशल	26-09-2007
	अदिति कौशल	प्रीति कौशल	-रामेश्वर दयाल कौशल	26-09-2007
7.	आफिया	शमा	नूर हसन	20-07-2010
	आफिया	शमा	नूर हसन	20-07-2010

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'पिता का नाम' और 'माता का नाम' जैसे महत्वपूर्ण कॉलमों में रिक्त/अमान्य प्रविष्टियां थीं जो उचित इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव को दर्शाती हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 371 मामलों और 2484 मामलों में क्रमशः 'पिता का नाम' और 'माता का नाम' के कॉलम में एकल अक्षर, लागू नहीं, संख्या जैसी रिक्त या अमान्य प्रविष्टि थी।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पश्चिम जिले ने डुप्लिकेट पंजीकरण के 42 मामलों के संबंध में रिफंड राशि के लिए एसबीआईएल को लिखा था (मार्च 2020), तथापि, यह लंबित था (मार्च 2023)।

विभाग को ऐसे मामलों की समीक्षा करने और उन्हें अलग करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है कि एक ही लाभार्थी को कई बार पंजीकृत नहीं किया जाए। विभाग लाभार्थी आंकड़ों के डिजिटलीकरण के दौरान पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण भी सुनिश्चित कर सकता है। उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि ऐसा अभिभावकों की जागरूकता के अभाव के कारण हुआ, जो अनजाने में जिला कार्यालयों में नवीनीकरण फॉर्म के बजाय नए फॉर्म भर देते हैं। आगे कहा गया कि विभाग ने ऐसे सभी मामलों के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है ताकि धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। यह भी कहा गया कि डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालय ने लाभार्थियों के डाटाबेस के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु एसबीआईएल को निर्देश जारी किए हैं। इसने सभी जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भविष्य में कोई दोहरा मामला सामने नहीं आएगा। सरकार ने यह भी कहा कि एसबीआईएल से पूरा उत्तर प्राप्त करने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 2.11.4.3 वयस्क लाभार्थियों के अनियमित पंजीकरण के परिणामस्वरूप लाडली योजना के अंतर्गत ₹ 180.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ

रा.रा.क्षे.दि.स., बालिकाओं के नाम पर (जन्म के समय, कक्षा I, VI, IX और XII में प्रवेश और कक्षा X उत्तीर्ण करने पर) दीर्घकालिक एफडीआर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसको केवल तभी भुनाया जा सकेगा जब उक्त बालिका 18 वर्ष की हो जाए और कक्षा X उत्तीर्ण कर ले या XII कक्षा में प्रवेश ले ले। दस्तावेज़ अनुसूची II की मास्टर पॉलिसी के अनुसार, योजना में प्रवेश के समय किसी व्यक्ति की आयु 17 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। डीडब्ल्यूसीडी द्वारा जारी परिपत्र (अक्टूबर 2022) में, सभी जिला अधिकारियों, डीडब्ल्यूसीडी और एसबीआईएल अधिकारियों को दिल्ली लाडली योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए उल्लिखित आयु मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया था और कक्षा XII में प्रवेश के मानदंडों में उल्लेख किया गया था कि बच्चे की आयु 16 से अधिक लेकिन 18 से कम होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 8,84,710 सक्रिय लाभार्थियों (दिसंबर 2022) में से 78,065 लाभार्थियों (8.82 प्रतिशत) ने योजना में नामांकन के समय 18 वर्ष

की आयु प्राप्त कर ली थी। इन लाभार्थियों के एसबीआईएल के खातों में ₹ 180.92 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि पड़ी थी। विभाग को ऐसे मामलों की समीक्षा करके उचित कदम उठाने चाहिए।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि स्कूल लाडली के नए पंजीकरण हेतु कोई आयु मानदंड नहीं बताया गया है। आगे कहा गया कि योजना में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि 17 वर्ष की आयु में बालिका का नामांकन नहीं कराया जा सकेगा। यह भी कहा गया कि पूरा उत्तर एसबीआईएल से प्राप्त होने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग और एसबीआईएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के मास्टर पॉलिसी दस्तावेज़ अनुसूची II में यह प्रावधान है कि योजना में प्रवेश के समय किसी व्यक्ति की आयु 17 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में इंगित किए गए मामले योजना में लाभार्थी के नामांकन से संबंधित थे, जिनकी आयु नामांकन के समय 18 वर्ष की हो चुकी थी।

पूर्व जिले के परिपक्वता आंकड़े की नमूना जांच से पता चला कि 1842 लाभार्थियों को ₹ 4.77 करोड़ की परिपक्वता राशि का भुगतान किया गया था, जबकि ये लाभार्थी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योजना में शामिल हुए थे।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 298 मामलों में, 'जन्मतिथि' कॉलम खाली था जो परिपक्वता के समय लाभार्थियों के आंकड़े की अपूर्णता को इंगित करता है।

#### **2.11.4.4 जन्म के समय से पांच से 15 वर्ष के अंतराल के बाद लाभार्थी का पंजीकरण**

लाडली योजना नियमावली, 2008 के नियम 6.2 के अनुसार, लड़की के माता-पिता को प्रारंभिक भुगतान ₹ 10,000/₹ 11,000 के लिए पात्र होने के लिए बच्चे के जन्म की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन जमा करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत मामले की श्रेष्ठता गुण-दोष के आधार पर उपर्युक्त समय सीमा में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। इसके बाद,

आवेदक पंजीकरण के बाद होने वाली आगामी उपलब्धियों के लाभ के लिए पात्र होगा।

सक्रिय सदस्यों के आंकड़े की संवीक्षा से पता चला (दिसम्बर 2022) कि 51 मामलों में ₹ 5.54 लाख की राशि के ऐसे पंजीकरण पांच से 15 वर्ष के समय अंतराल पर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन मामलों में अगले तत्काल लक्ष्य के प्रति भुगतान लंबित दिखाया गया था। अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि जन्म के एक वर्ष के बाद जिला कार्यालय में कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है, तथापि, एसबीआईएल की कार्यप्रणाली के कारण जो भुगतान प्राप्त होने के बाद ही मामले को सिस्टम में सक्रिय करता है, यह भ्रम पैदा करता है क्योंकि कुछ मामले समय पर प्राप्त होते हैं लेकिन वर्ष के बाद ही सक्रिय होते हैं। आगे यह भी कहा गया कि पूरा उत्तर एसबीआईएल से प्राप्त होने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंकड़ों से पता चला है कि पंजीकरण पांच से 15 वर्ष के अंतराल पर किए गए थे और आवेदन का समय पर निपटान करना विभाग की जिम्मेदारी है।

#### **2.11.4.5 वित्तीय सहायता एक परिवार में दो लड़कियों तक सीमित नहीं थी**

नियम 4(5) के अनुसार, वित्तीय सहायता एक परिवार में दो लड़कियों तक सीमित होगी। एसबीआईएल द्वारा प्रदान किए गए सक्रिय लाभार्थियों के आंकड़े के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के आधार पर, वित्तीय सहायता के चार मामले देखे गए जो एक परिवार में दो लड़कियों तक सीमित नहीं थे। उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र के अभाव में, इसी तरह की कमी के अतिरिक्त मामलों से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि उत्तर एसबीआईएल से प्राप्त करने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 2.11.4.6 जिला स्तर पर नए आवेदनों की प्राप्ति एवं निपटान से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया

एमओयू के अनुसार, पंजीकरण फॉर्म निवास प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और वार्षिक आय प्रमाण पत्र जैसे प्रासंगिक अभिलेख जिला कार्यालय द्वारा स्कैनिंग के लिए एसबीआईएल को भेजे गए थे और एसबीआईएल द्वारा रखी गई उसकी हार्ड कॉपी को नष्ट किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकृत लाभार्थी के पंजीकरण फॉर्म, निवास प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और वार्षिक आय प्रमाण पत्र की न तो मूल प्रति और न ही इसकी स्कैन की गई प्रति डीडब्ल्यूसीडी/जिलों के पास उपलब्ध थी। अपेक्षित दस्तावेजों की उपलब्धता के अभाव में, लेखापरीक्षा नमूना जांच में योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की सत्यता और वास्तविकता का पता नहीं लगाया जा सका।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि चूंकि डीडब्ल्यूसीडी आंकड़ों का संरक्षक है, इसलिए सभी अभिलेख डीडब्ल्यूसीडी द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित किए जाने चाहिए।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2023) कि जिला कार्यालयों के पास लाभार्थियों के पंजीकरण/नामांकन अभिलेख का पूरा अभिलेख है और जानकारी के लिए प्रतियां भी रखी गई हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ उदाहरण थे जहां अभिलेखों का ठीक से अनुरक्षण नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान पंजीकरण फॉर्म, निवास प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और पंजीकृत लाभार्थी का वार्षिक आय प्रमाण पत्र आदि की प्रतियां मांगी गई थीं, लेकिन वे उनके पास उपलब्ध नहीं थीं और लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी।

#### 2.11.4.7 नए पंजीकरण में दो सदस्यों के लिए एक ही विशिष्ट आईडी जारी करना

एमओयू के अनुसार, जिला कार्यालय नए पंजीकरण में प्रत्येक बालिका के लिए एक 'सदस्य विशिष्ट संख्या/फॉर्म संख्या' बनाएगा। 2019-22 की अवधि के लिए तीन चयनित जिलों के आंकड़े की जांच से पता चला कि एक ही विशिष्ट

संख्या/फॉर्म संख्या को एक से अधिक लाभार्थियों को आवंटित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22, 9 और 135 मामलों में क्रमशः उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम-II और पूर्वी जिलों में दो अलग-अलग लाभार्थियों को एक ही फॉर्म संख्या को सौंपा गया था। उत्तर पूर्वी जिले के एक मामले में तीन अलग-अलग लाभार्थियों को एक ही फॉर्म संख्या को सौंपा गया था। इन मामलों में बालिका की विशिष्ट आईडी सुनिश्चित किए बिना ₹ 30.16 लाख की धनराशि एसबीआईएल को हस्तांतरित की गई थी।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि लाडली योजना का फॉर्म एसबीआईएल को भेजने से पहले, इसे कई चरणों से गुजरना होगा और किसी भी स्तर पर लिपिकीय त्रुटि की संभावना रहती है और मुख्यालय लाडली योजना के उचित अभिलेख रखने/प्रबंधन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

#### 2.11.4.8 माइलस्टोन मामलों का नवीनीकरण

दिल्ली लाडली योजना नियमावली 2008 के नियम 8 (i और ii) के अनुसार, दीर्घकालिक सावधि जमा प्राप्तियों को जमा के प्रत्येक अगले चरण में नवीनीकृत किया जाना था और यह डीडब्ल्यूसीडी की जिम्मेदारी थी कि वह लाभार्थी बालिका के जीवित होने तथा नियमित स्कूल में पढ़ने संबंधी प्रमाण पत्र स्कूल प्राधिकारियों से प्राप्त करे। विभाग ने 2019-22 की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए देय कुल मामलों और नवीनीकृत मामलों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार लेखापरीक्षा उन मामलों की संख्या का पता नहीं लगा सकी जिनका नवीनीकरण नहीं किया गया था।

वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान तीन चयनित जिलों के संबंध में नवीनीकरण के बकाया देय मामलों और नवीनीकृत मामलों की स्थिति तालिका-2.11.4 में दी गई है।

#### तालिका-2.11.4: चयनित जिलों में नवीनीकरण की स्थिति

जिले का नाम	नवीकरण हेतु बकाया मामलों की संख्या	वास्तव में नवीकृत मामलों की संख्या
उत्तर पूर्व	प्रस्तुत नहीं की गई	30,137
उत्तर पश्चिम - II	प्रस्तुत नहीं की गई	32,901
पूर्व	49,735	35,244

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पूर्व जिले के संबंध में मामलों के नवीनीकरण का प्रतिशत केवल 70.86 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी पता चला कि 98,282 नवीनीकृत मामलों में से 18,746 (19.07 प्रतिशत) में, 2 से 4 माइलस्टोन मामलों का नवीनीकरण एक साथ किया गया था क्योंकि नवीनीकरण राशि ₹ 5,000 की अपेक्षा ₹ 10,000 से ₹ 20,000 के बीच थी जैसा कि तालिका-2.11.5 में दिया गया है।

**तालिका-2.11.5: ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 2 से 4 माइलस्टोन मामलों के नवीनीकरण में देरी हुई थी**

जिले का नाम	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें चार माइलस्टोन मामलों के लिए एक साथ ₹ 20000 का भुगतान किया गया था	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें तीन माइलस्टोन मामलों के लिए एक साथ ₹ 15000 का भुगतान किया गया	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दो माइलस्टोन मामलों के लिए एक साथ ₹ 10000 का भुगतान किया गया था
उत्तर पूर्व	02	463	4233
उत्तर पश्चिम-II	117	707	4621
पूर्व	71	1142	7390

मामलों के समय पर नवीनीकरण में देरी के परिणामस्वरूप परिपक्वता के समय संचित राशि पर ब्याज की हानि हुई।

पूर्वी जिला कार्यालय ने अपने उत्तर में कहा कि लाभार्थी के माता-पिता को योजना के बारे में जानकारी नहीं थी और जिले को स्कूल से समय पर जानकारी नहीं मिली थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यूसीडी मामलों के नियत समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार है, जब ये देय हो जाते हैं।

**2.11.4.9 माइलस्टोन मामलों के नवीनीकरण में एसबीआईएल को ₹ 63.13 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया**

तीन नमूना जांच किए गए जिलों अर्थात् उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम-II और पूर्व के 2019-22 के आंकड़ों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 1082 लाभार्थियों के मामले में, जिला कार्यालय ने 1076 लाभार्थियों को ₹ 5000 का दो बार और माइलस्टोन मामलों के नवीनीकरण के समय छह लाभार्थियों को ₹ 5000 का

तीन बार भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 63.12 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ जैसा कि तालिका-2.11.6 में विवरण दिया गया है।

### तालिका-2.11.6: एसबीआईएल को किए गए एकाधिक भुगतान

जिले का नाम	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	एसबीआईएल को देय राशि	दो/तीन बार नवीनीकृत मामलों की संख्या	भुगतान की गई कुल राशि	अधिक राशि का किया गया भुगतान
उत्तर पूर्व	2019-20	24	1,25,000	48	2,45,000	1,20,000
	2021-22	777	49,10,000	1557	94,60,000	45,50,000
उत्तर पश्चिम II	2019-20	13	85,000	26	1,70,000	85,000
	2021-22	1	5,000	2	10,000	5,000
पूर्व	2019-20	23	1,57,500	46	3,15,000	1,57,500
	2020-21	133	7,22,500	269	15,05,000	7,82,500
	2021-22	111	6,12,500	222	12,25,000	6,12,500
<b>कुल</b>		<b>1082</b>	<b>66,17,500</b>	<b>2170</b>	<b>1,29,30,000</b>	<b>63,12,500</b>

इससे पता चलता है कि जिला कार्यालय एसबीआईएल को नवीनीकरण मामलों की सूची भेजने या मंजूरी आदेश जारी करने/एसबीआईएल को भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए उचित श्रम नहीं करते हैं कि किसी भी लाभार्थी को नवीनीकरण के समान चरण के लिए एक से अधिक बार लाभ नहीं दिया जाए।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि जिला कार्यालयों, पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर-पश्चिम-II ने कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया है, परन्तु जनवरी 2015 में विभाग के कार्यालय आदेश के अनुसार, यदि नवीनीकरण किसी भी माइलस्टोन मामलों पर छूट गया है, जबकि बालिका अभी भी स्कूल में है, तो जिला अधिकारी आगे के नवीनीकरण के लिए निर्णय ले सकता है और जारी आदेश के अनुरूप, नवीनीकरण के लिए दो बार/तीन बार भुगतान कर सकता है, यदि लड़की वर्तमान में स्कूल में पढ़ रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने एक ही लाभार्थी को एक ही माइलस्टोन मामलों के लिए दो/तीन बार भुगतान किया था, न कि लुप्त मामलों के लिए।

### 2.11.5 परिपक्वता

#### 2.11.5.1 एक ही बैंक खाते में एक से अधिक परिपक्वता राशि का अंतरण

नियम 7(5) के अनुसार, संचित राशि का भुगतान बालिका को उसके नाम पर एसबीआई में खोले गए खाते के माध्यम से किया जाएगा।

2019-22 के दौरान 73,536 लाभार्थियों को भुगतान की गई ₹ 180.01 करोड़ की परिपक्वता राशि के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे। नमूना जांच किए गए जिलों द्वारा प्रस्तुत परिपक्वता आंकड़े की जांच से पता चला कि तीन अवसरों पर, जिनमें अलग-अलग सदस्य आईडी और लाभार्थी के नाम वाले दो मामले शामिल थे, राशि एक ही खाता संख्या में जमा की गई थी।

**तालिका-2.11.7: उन खातों का विवरण जिनमें दो लाभार्थियों का भुगतान किया गया**

अवधि	सदस्य विशिष्ट आईडी (टी)	सदस्य का नाम	खाते का विवरण	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ में)
2019-20	022998डीपी	सुमन	31735900563	30-04-2019	33997
2020-21	036321	सोनिया	31735900563	13-12-2019	9073
2019-20	211728	सौम्या गुप्ता	35755912872	06-03-2020	33935
2021-22	03जीई1920टी1522	सृष्टि गुप्ता	35755912872	19-05-2020	40352
2019-20	283568	नेहा	38255860055	12-08-2021	32029
2021-22	347945	नेहा	38255860055	27-01-2022	11157

इन खातों में कुल ₹ 1.61 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

**2.11.5.2 ईएफटी की विफलता और समय बाधित चेकों के कारण ₹ 2.68 करोड़ की परिपक्वता राशि का वितरण नहीं किया गया**

डीडब्ल्यूसीडी और एसबीआईएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के खंड 16 में यह प्रावधान है कि दावों की परिपक्वता तिथि से छह महीने के भीतर, बालिका को एसबीआई में एक बैंक खाता खोलना होगा और परिपक्वता राशि का दावा करते समय बैंक खाते का विवरण जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और एसबीआईएल, चेक/डीडी/यूटीआर या ईएफटी के माध्यम से परिपक्वता भुगतान को हस्तांतरित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2008 से सितंबर 2021 के दौरान, एसबीआईएल द्वारा ईएफटी के माध्यम से लाभार्थी खातों में संसाधित की गई ₹ 2.68 करोड़ परिपक्वता राशि को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने विभाग से इन अस्वीकृत मामलों के लाभार्थियों को भुगतान के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी देने का अनुरोध किया था। डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (मार्च 2023) कि ईएफटी, बंद खातों, अवयस्क खातों और लाभार्थियों के गलत खाता विवरणों के कारण अस्वीकृत कर दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अस्वीकृत मामलों के भुगतान की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत नहीं की है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि उत्तर एसबीआईएल से प्राप्त होने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

### 2.11.5.3 एसबीआईएल के पास ₹ 618.38 करोड़ की असंवितरित राशि का होना

रा.रा.क्षे.दि.स. और एसबीआईएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के नियम 18 और 19 के अनुसार (जुलाई 2008), परिपक्वता दावों का निपटान सदस्य (लाभार्थी) के एसबीआई बचत खाते के पक्ष में किया जाएगा और सरकार के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियमों में यह प्रावधान है कि मृत्यु दावों का निपटारा सरकार के नाम पर किया जाएगा और सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले दावों का निपटारा भी सरकार के पक्ष में किया जाएगा।

विभाग द्वारा प्रस्तुत 8,84,710 सक्रिय लाभार्थियों के डाटाबेस (दिसंबर 2022) का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाडली योजना (2008) की शुरुआत से लेकर अब तक 3,20,272 लाभार्थियों की ₹ 618.38 करोड़ की राशि एसबीआईएल के पास अव्ययित/अप्रयुक्त पड़ी थी (31 दिसंबर 2022) जबकि लाभार्थियों ने परिपक्वता आयु प्राप्त कर ली थी। विवरण तालिका-2.11.8 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.11.8: एसबीआईएल के पास पड़ी अव्ययित/दावा न की गई राशि

(₹ करोड़ में)

माइलस्टोन मामले	18 से 20 वर्ष की आयु के लाभार्थी		21 से 25 वर्ष की आयु के लाभार्थी		26 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी		कुल लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है		मामलों की संख्या (प्रतिशत में)
	लाभार्थियों की संख्या	दावा न की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	दावा न की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	दावा न की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	दावा न की गई राशि	
जब अस्पताल/नर्सिंग होम में बालिका का जन्म होता है	10	0.02	6	0.01	0	0.00	16	0.03	0.00
जब घर पर बालिका का जन्म होता है	3	0.01	2	0.01	0	0.00	5	0.01	0.00
प्रथम कक्षा में प्रवेश	10,242	13.92	1,316	1.84	36	0.05	11594	15.81	3.62
छठी कक्षा में प्रवेश	19,834	28.51	21,401	27.24	2,916	4.17	44151	59.93	13.79
9वीं कक्षा में प्रवेश	35,513	57.37	38,963	62.85	15,070	22.70	89546	142.92	27.96
10वीं कक्षा उत्तीर्ण	22,732	42.90	24,549	49.54	17,834	35.90	65115	128.34	20.33
12वीं कक्षा में प्रवेश	37,206	93.30	31,712	83.07	40,927	94.97	109845	271.34	34.30
<b>कुल</b>	<b>125540</b>	<b>236.03</b>	<b>117949</b>	<b>224.56</b>	<b>76783</b>	<b>157.78</b>	<b>320272</b>	<b>618.38</b>	<b>100.00</b>

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 1.26 लाख लाभार्थी, 18 से 20 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके थे, जिसके प्रति ₹ 236.03 करोड़ की राशि बिना दावे के पड़ी थी। इसी प्रकार, 20 से 26 वर्ष की आयु वाले 1.18 लाख लाभार्थियों और 26 वर्ष से अधिक आयु वाले 0.77 लाख लाभार्थियों की तुलना में क्रमशः ₹ 224.56 करोड़ और ₹ 157.78 करोड़ की राशि एसबीआईएल के पास अव्ययित/बेदावा राशि असंवितरित पड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त, 1,74,960 (54.63 प्रतिशत) मामलों का निपटारा नहीं किया गया था, जहां लाभार्थियों ने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने और X कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परिपक्वता के मानदंडों को पूरा किया था, लेकिन राशि अभी भी एसबीआईएल के पास पड़ी थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन सदस्यों/लाभार्थियों तक पहुंचने का निर्णय लिया (नवंबर 2019) जो परिपक्वता चरण में चले गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस केवल दो बार (10 सितंबर 2020 और 17 जून 2022) जारी की गई थी। इस प्रकार, लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने में डीडब्ल्यूसीडी की विफलता और उचित माध्यमों से लाभार्थियों का पता लगाने में पर्याप्त कार्रवाई की कमी के कारण 3.20 लाख बालिकाएं, कुल मिलाकर ₹ 618.38 करोड़ बेदावा राशि के लाभ से वंचित रहीं।

इसके अतिरिक्त, डीडब्ल्यूसीडी ने बार-बार एसबीआईएल को दावा न की गई राशि वापस करने और लाडली नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार सरकार के पक्ष में इसका निपटान करने का निर्देश<sup>58</sup> दिया, लेकिन एसबीआईएल द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (मार्च 2023) कि सरकारी खातों में प्रतिदाय के लिए एसबीआईएल के पास पड़ी बेदावा राशि का मामला अभी भी प्रक्रिया में है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि लाभार्थी, अपनी पॉलिसी की परिपक्वता के बाद भी पॉलिसी को भुनाने के लिए नहीं आते हैं, जो स्थानांतरण, प्रस्थान करने या अन्य कारणों से हो सकता है। डीडब्ल्यूसीडी ने एसबीआईएल के पास पड़ी बेदावा राशि को वापस करने के लिए एसबीआईएल के साथ मामला उठाया है, लेकिन एसबीआईएल से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इसमें

<sup>58</sup> अगस्त 2018 से मार्च 2023

आगे कहा गया है कि उत्तर, एसबीआईएल से प्राप्त करने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सोशल मीडिया का उपयोग करके जन जागरूकता अभियान, स्थानीय समाचार पत्र, कार्यशालाओं सेमिनार आदि के माध्यम से योग्य लाभार्थियों की दावा न की गई परिपक्वता राशि के संवितरण के संबंध में संपर्क और पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तीन चयनित जिलों<sup>59</sup> में से दो के संबंध में देय परिपक्वता राशि के मामले में, लाभार्थियों के प्राप्त आवेदन और 2019-22 के दौरान लाभार्थियों को किए गए भुगतान तालिका-2.11.9 में दिए गए हैं।

**तालिका-2.11.9: देय परिपक्वता राशि के मामले, लाभार्थियों का आवेदन और किया गया भुगतान**

जिले का नाम	परिपक्वता पर भुगतान हेतु देय मामले	परिपक्वता भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन	वे मामले जिनमें एसबीआईएल ने भुगतान किया
उत्तर पूर्व	22349	12194	12111
पूर्व	60843	11643	9362

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि भुगतान के लिए देय परिपक्वता के कुल मामलों में से केवल 19.13 प्रतिशत (पूर्व) और 54.60 प्रतिशत (उत्तर पूर्व) ने परिपक्वता दावे के लिए आवेदन किया था। लाभार्थियों को वास्तव में भुगतान किए गए दावे का प्रतिशत 80.40 प्रतिशत (पूर्व) और 99.31 प्रतिशत (उत्तर पूर्व) के बीच था।

लाभार्थियों को भुगतान न होने का कारण लाभार्थी का अधूरा विवरण, अमान्य खाता विवरण आदि था।

**2.11.5.4 चेक/डीडी संख्या/यूटीआर नंबर/ईएफटी संदर्भ संख्या का उल्लेख नहीं होना**

लाडली नियमावली 2008 यह प्रावधान करता है कि परिपक्वता तिथि से छह महीने पहले, बालिका को एसबीआई में एक बैंक खाता खोलना होगा और परिपक्वता राशि का दावा करते समय बैंक खाते का विवरण जिला कार्यालय में जमा किया जाएगा और एसबीआईएल परिपक्वता भुगतान को चेक डीडी/यूटीआर या ईएफटी के माध्यम से हस्तांतरित करेगा।

<sup>59</sup> उत्तर-पश्चिम-II जिले द्वारा आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे।

एसबीआई लाइफ लाभार्थियों को निधि मूल्य, अगले माइलस्टोन मामलों की देय तिथि, योजना में शामिल होने की तिथि आदि जैसे विवरण देखने के लिए लॉगिन सुविधा प्रदान करता है। एक बार परिपक्वता राशि के लिए दावा संसाधित हो जाने पर, लाभार्थी को आंकड़े लाइली वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला कार्यालयों के पास उन लाभार्थियों के नाम जिन्हें भुगतान किया गया था और भुगतान की वास्तविक तिथि की जांच करने के लिए कोई अभिलेख नहीं है।

जिला कार्यालय पूर्व और उत्तर पश्चिम-II द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019-22 की अवधि के लिए परिपक्वता भुगतान आंकड़े की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि क्रमशः 46 मामलों (₹ 14.17 लाख) और 31 मामलों (₹ 10.22 लाख) में, अमान्य क्रेडिट खाते, अमान्य लाभार्थी विवरण आदि के कारण लाभार्थी के खातों में परिपक्वता राशि जमा नहीं की गई थी। वसूली की स्थिति के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भुगतान अंततः लाभार्थियों के खातों में जमा किया गया था या नहीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीडब्ल्यूसीडी की सलाह पर एसबीआईएल द्वारा परिपक्वता दावों को संसाधित करने के बाद, लाभार्थी आंकड़ों को वेबसाइट से हटा दिया जाता है और जिला कार्यालयों के पास लाभार्थी को प्राप्त भुगतान और अस्वीकार किए गए मामलों के अभिलेख भी नहीं होते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला अधिकारी (केंद्रीय) ने भी जून 2021 में एसबीआईएल के साथ यह मामला उठाया था क्योंकि जिला कार्यालय के पास परिपक्वता राशि के बारे में लाभार्थी को संतुष्ट करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी। इसने एसबीआईएल से जिला कार्यालय को इस आंकड़े तक पहुंच प्रदान करने का बार-बार अनुरोध किया था लेकिन एसबीआईएल से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि लाभार्थियों के अमान्य विवरण और अमान्य बैंक खातों के कारण ईएफटी को अस्वीकार कर दिया गया था। इस संबंध में विभाग संबंधित जिला कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगेगा और पूरा उत्तर इसके एसबीआईएल से प्राप्त होने के बाद उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

### 2.11.6 निगरानी एवं पर्यवेक्षण

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण पर एक प्रभावी निगरानी तंत्र का होना आवश्यक था। तथापि 'लाडली योजना' के निगरानी तंत्र में निम्नलिखित कमियां थीं:

#### 2.11.6.1 लाडली योजना की आवधिक समीक्षा नहीं की गई

दिल्ली लाडली योजना 2008 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। दिल्ली लाडली योजना 2008 के नियम 12 में यह प्रावधान है कि योजना की हर दो वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए और इसकी प्रगति की निगरानी विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2008 में इसकी शुरुआत के बाद से लाडली योजना की समीक्षा नहीं की गई थी। योजना की आवधिक समीक्षा के अभाव में, डीडब्ल्यूसीडी, पंजीकरण, नवीनीकरण आदि जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में बाधाओं का आकलन करने और योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने की स्थिति में नहीं था।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (मार्च 2023) कि लाडली नियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखने का मामला प्रक्रियाधीन है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि डीडब्ल्यूसीडी, योजना की समीक्षा कर रही है और लाडली योजना में संशोधन से संबंधित फाइल डब्ल्यूसीडी मंत्री को सौंपी जा रही है।

#### 2.11.6.2 योजना से संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण में कमियां

लाडली योजना नियमावली 2008 के अनुसार, आवेदक को दीर्घकालिक सावधि जमा रसीद प्रदान की जानी चाहिए।

(क) लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित तीन जिलों ने लाभार्थियों को जारी दीर्घकालिक सावधि जमा रसीदों का विवरण दर्ज करने के लिए किसी रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। उचित अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आवेदकों को जमा रसीदें प्रदान की गई थीं या नहीं।

(ख) जिला कार्यालयों ने परिपक्वता के दावों के लिए आवेदन का विवरण दर्ज करने के लिए रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया था। इस प्रकार, परिपक्वता के मामलों की प्रक्रिया में लगने वाले समय का पता नहीं लगाया जा सका।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (जुलाई 2023) कि चयनित तीन जिलों में दीर्घकालिक सावधि जमा रसीदें लाडली वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान न तो रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया था और न ही ऐसी लाडली निधि की वेबसाइट पर उपलब्धता का उत्तर दिया गया था, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आवेदकों को जमा रसीदें प्रदान की गई थीं या नहीं।

### 2.11.7 निष्कर्ष

डीडब्ल्यूसीडी द्वारा लाडली योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले इच्छित लाभार्थियों का न कोई आंकड़ा तैयार किया गया और न ही लाभार्थियों को कवर करने के लिए कोई वार्षिक वित्तीय या भौतिक लक्ष्य तय किए गए। 2019-22 के दौरान डीडब्ल्यूसीडी द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच लाडली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाला अपर्याप्त विज्ञापन अभियान चलाया गया था। डीडब्ल्यूसीडी ने मामलों के समय पर निपटान के लिए जिलों/एसबीआईएल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लाडली योजना का डिजिटलीकरण पूर्णतः कार्यात्मक नहीं था।

2008-09 से 2020-21 की अवधि के दौरान पंजीकरण में 2009-10 में 1,39,773 के उच्चतम से 69 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और यह 2020-21 में 43,415 हो गई। इसके अतिरिक्त, जन्म के समय बालिकाओं का नामांकन 2009-10 के 23,871 से घटकर 2020-21 में 3,153 हो गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 8,84,710 सक्रिय लाभार्थियों (दिसंबर 2022) के डाटाबेस में समान नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि के साथ 16,546 का दो बार और 131 का तीन बार पंजीकरण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एसबीआईएल को ₹ 11.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। जन्म के समय पंजीकरण के 51 मामले पांच वर्ष से 15 वर्ष के अंतराल के बाद योजना में शामिल हुए। पंजीकरण के समय योजना दिशानिर्देशों के प्रति 78,065 लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष हो गई थी, जिसके प्रति एसबीआईएल में इन लाभार्थियों के खातों में ₹ 180.92 करोड़ (ब्याज सहित) पड़े थे।

नमूना जांच किए गए जिलों में, लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण की कमी देखी क्योंकि चयनित जिलों में 1082 लाभार्थियों के माइलस्टोन मामलों को एक से अधिक बार नवीनीकृत किया गया था, जिसके कारण ₹ 63.13 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मोड पूरी तरह कार्यात्मक नहीं था क्योंकि तीन जिलों के संबंध में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त 2262 आवेदन (फरवरी 2021 से अगस्त 2022 तक) अपूर्ण कार्यान्वयन के कारण संसाधित नहीं किए गए थे (अप्रैल 2023)।

3,20,272 लाभार्थियों के ₹ 618.38 करोड़ एसबीआईएल के पास अव्ययित/अप्रयुक्त पड़े थे (दिसंबर 2022) जबकि लाभार्थियों ने परिपक्वता आयु प्राप्त कर ली थी।

योजना के कार्यान्वयन में प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव था क्योंकि 2008 से इसके कार्यान्वयन के बाद से योजना की एक भी बार समीक्षा नहीं की गई थी।

### 2.11.8 सिफारिशें

- दिल्ली लाडली योजना नियमावली 2008 के प्रावधान के अनुसार योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।
- डीडब्ल्यूसीडी को नियमित प्रचार अभियानों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लाभार्थियों के नामांकन में भारी गिरावट के कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- डीडब्ल्यूसीडी को लाडली योजना के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और उनके प्रसंस्करण के लिए जिला कार्यालयों/डीडब्ल्यूसीडी में आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करके ऑनलाइन मोड को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
- विभाग को लाभार्थियों के डुप्लिकेट/एकाधिक पंजीकरण, वयस्क लाभार्थियों के पंजीकरण और समय बाधित मामलों से बचने के लिए उचित तंत्र अपनाना चाहिए। एक लाभार्थी के एक ही माइलस्टोन मामले के दो बार और तीन बार नवीनीकरण से बचने के लिए उचित तंत्र को अपनाया जाना चाहिए।

- विभाग को संबंधित जिलों द्वारा नवीकरण मामलों, नए पंजीकरण मामलों और परिपक्वता भुगतान मामलों के उचित अभिलेख का अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
- पंजीकरण के लिए अस्वीकृत आवेदनों के प्रति अनुवर्ती कार्रवाई के लिए समय पर सूचित किया जाना चाहिए।
- डीडब्ल्यूसीडी को उन लाभार्थियों को सूचित करने के लिए जिन्होंने परिपक्वता आयु प्राप्त करने के बावजूद दावों के लिए आवेदन नहीं किया है और एसबीआईएल के पास पड़ी बड़ी बेदावा राशि के प्रतिदाय हेतु पर्याप्त आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।



नई दिल्ली:

दिनांक: 12 नवंबर 2024

(राजीव कुमार पाण्डेय)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली:

दिनांक: 13 नवंबर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

